सत्र-05 28 अप्रैल, 2026

खण्ड- 08 ..... मंगलवार, ...

अंक- 27 09 वैशाख,1948(शक्)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

आठवीं विधान सभा

पांचवा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-08 सत्र-05 में अंक 27 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विभान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

रंजीत सिंह

सचिव

RANJEET SINGH

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-5 मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026/09 वैशाख,1948(शक्)अंक-27

दिल्ली विधान सभा

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	4-5
2.	निधन संबंधी उल्लेख	6-8
3.	विशेष उल्लेख(नियम-280)	9-23
4.	सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार की घोषणा	24
5.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	25
6.	सरकारी संकल्प(नियम-90)	26-135

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026/09 वैशाख,1948(शक्)अंक-27

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

दिनांक 28.04.2026 को सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

क्रं.सं.	सदस्य का नाम	क्रं.सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अहिर दीपक चौधरी	32.	श्री पंकज कुमार सिंह
2.	श्री आले मोहम्मद इकबाल	33.	श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत
3.	श्री अभय कुमार वर्मा	34.	श्री प्रवेश साहिब सिंह
4.	डॉ. अजय दत्त	35.	श्री पवन शर्मा
5.	श्री अजय कुमार महावर	36.	श्रीमती पूनम शर्मा
6.	श्री अनिल झा	37.	श्री प्रवेश रत्न
7.	श्री अनिल कुमार शर्मा	38.	श्री प्रेम चौहान
8.	श्री अरविन्दर सिंह लवली	39.	श्री पुनरदीप सिंह साहनी
9.	श्री अशोक गोयल	40.	श्री राज करन खत्री
10.	सुश्री आतिशी	41.	श्री राज कुमार भाटिया
11.	श्री चन्दन कुमार चौधरी	42.	श्री राज कुमार चौहान
12.	चौधरी जुबैर अहमद	43.	श्री राम सिंह नेताजी
13.	डॉ. अनिल गोयल	44.	श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह
14.	श्री गजेन्द्र दराल	45.	श्री रविन्दर सिंह नेगी
15.	श्री गजेन्द्र सिंह यादव	46.	श्रीमती रेखा गुप्ता
16.	श्री हरीश खुराना	47.	श्री सही राम
17.	श्री जितेन्द्र महाजन	48.	श्री संदीप सहरावत
18.	श्री कैलाश गहलोत	49.	श्री संजय गोयल
19.	श्री कैलाश गंगवाल	50.	श्री संजीव झा
20.	श्री कपिल मिश्रा	51.	श्रीमती शिखा रॉय
21.	श्री करनैल सिंह	52.	श्री श्याम शर्मा
22.	श्री करतार सिंह तंवर	53.	श्री सोम दत्त

23.	श्री कुलदीप कुमार	54.	श्री सुरेन्द्र कुमार
24.	श्री कुलदीप सोलंकी	55.	श्री सूर्य प्रकाश खत्री
25.	श्री कुलवन्त राणा	56.	श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
26.	श्री मनजिंदर सिंह सिरसा	57.	श्री तिलक राम गुप्ता
27.	श्री मोहन सिंह बिष्ट	58.	श्री उमंग बजाज
28.	श्री मुकेश कुमार अहलावत	59.	श्री वीर सिंह धिंगान
29.	श्रीमती नीलम पहलवान	60.	श्री विजेन्द्र गुप्ता
30.	श्री नीरज बैसोया	61.	श्री वीरेन्द्र सिंह कादियान
31.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	62.	श्री विशेष रवि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र 05 मंगलवार, 28 अप्रैल,2026/09वैशाख, 1948 (शक)अंक-27

सदन पूर्वाह्न 11.01बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता पीठासीन हुए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: वंदे मातरम।

(राष्ट्रीय गीत- वंदेमातरम)

भारत माता की जय

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज आठवीं विधानसभा के पांचवें विशेष सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि हमेशा की तरह इस सत्र के दौरान सभी माननीय सदस्य लोकतांत्रिक मर्यादाओं, संसदीय परंपराओं और उच्च आदर्शों का पालन करते हुए सदन की कार्यवाही की गरिमा को बनाए रखेंगे। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे शालीनता पूर्वक अपने विचार सदन में प्रस्तुत करें और सदन का समय खराब ना होने दें। साथ ही कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय को मेरी अनुमति के बिना ना उठाएं।

<u>निधन संबंधी उल्लेख</u>

माननीय सदस्यगण, आप सबको ज्ञात है कि 12 अप्रैल, 2026 को देश की सुप्रसिद्ध गायिका श्रीमती आशा भोंसले का निधन हो गया। महाराष्ट्र के सांगली में 8 सितंबर, 1933 को जन्मी श्रीमती आशा भोंसले ने आठ दशकों के दौरान 20 भाषाओं में 12 हजार से ज्यादा गीतों को स्वर दिया। उन्होंने ना केवल भारतीय संगीत और सिनेमा को समृद्ध किया, बल्कि अपने मधुर स्वर और बहुमुखी प्रतिभा से पूरी दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी आवाज में ऐसी गहराई थी जो श्रोताओं के मन को सीधे स्पर्श करती थी। उनके निधन से भारतीय संगीत जगत को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। अपनी बेहतरीन आवाज के लिए उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा

साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। अपने गीतों के माध्यम से अपने प्रशंसकों के दिलों में वे हमेशा जिंदा रहेंगी।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्रीमती आशा भोंसले के निधन पर हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

माननीय सदस्य गण, आज हम एक 75 हजार उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं जिन्होंने विश्व युद्ध में अपने प्राण न्योछावर किए। उससे पहले मैं उस विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे आज की कार्यवाही रिकॉर्ड पर आ रही है ऐसे ही आज आज के ही दिन 108 वर्ष पहले इसी सदन में 28 अप्रैल, 1918 को इसी चैंबर में जहां आज हम एवं आप दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने दिनांक 27, 28, 29 अप्रैल, 1918 को एक ऐतिहासिक युद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था, इसी सदन में आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन में देश भर से लगभग 120 प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। राजवाड़ों के शासक, प्रांतों के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय नेता। विषय था- प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भूमिका।

माननीय सदस्यगण, मैं चाहूंगा कि लवली जी इस पर जरूर गौर करेंगे। इस सम्मेलन का महत्व केवल इतना नहीं था कि यह यहां से भारतीय सैनिकों की भर्ती का आह्वान हुआ था। यानी इस सदन में फैसला हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक जो हैं, वो युद्ध के मैदान में जाएंगे ब्रिटिश की तरफ से, बल्कि यह भी था कि महात्मा गांधी स्वयं इस सम्मेलन में उपस्थित थे उस दिन, आज के ही दिन 108 साल पहले इसी सदन में वो उपस्थित थे और उन्होंने साम्राज्य के प्रति भारत के पूर्ण सहयोग का समर्थन किया था, इस विश्वास के साथ कि युद्ध में भारत की निष्ठा का पुरस्कार स्वराज के रूप में मिलेगा। परंतु इतिहास गवाह है यह विश्वास छला गया। लगभग 13 लाख भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में साम्राज्य की ओर से मोर्चा संभाला। फ़्लैंडर्स के खूनी मैदानों से लेकर गैलीपोली एवं मेसोपोटामिया तक 74 हजार से अधिक भारतीय वीरों ने पराए देशों की मिट्टी में अपना रक्त सींचा यानी ब्रिटिश के लिए और विदेशी भूमि पर उनका रक्त बहा। 75 हजार सैनिक शहीद हुए। परंतु कृतज्ञता के पुरस्कार के स्थान पर हमें क्या मिला। इसी सदन में जब यह सम्मेलन हुआ उसके ठीक 11 महीने के बाद, 18 मार्च, 1919 को इसी सदन में भारत को मिला रॉलेट एक्ट और जिसकी परिणीति हुई जलियांवाला बाग। तो

75,000 सैनिकों की शहादत हुई इस उम्मीद पर कि हमें स्वराज दिया जाएगा, हमें लिबर्टी दी जाएगी, हमारी भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन मिला रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग।

माननीय सदस्यगण, यह सदन जिसमें हम आज बैठे हैं 1912 में निर्मित इ. मॉन्टेग्यू थॉमस द्वारा संरचित इस ऐतिहासिक पुराना सचिवालय केवल ईंट और पत्थर का ढ़ांचा नहीं है बल्कि ये भारत के संसदीय इतिहास की जन्म स्थल है। 27 जनवरी, 1913 को इसी चैंबर में पहली बार केंद्रीय विधायी परिषद की बैठक हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्रपाल, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, विट्ठल भाई पटेल जैसे महान व्यक्तियों ने इन्हीं दीवारों के बीच में उनकी वाणी आज भी गूंज रही है। अतः यह स्मरण करना हमारा कर्तव्य है कि आज तक उन 75,000 अनाम भारतीय सैनिकों का जिन्होंने दूसरों की लड़ाई में अपने प्राण न्योछावर किए और जिन्हें इतिहास ने बहुत देर तक भुलाए रखा। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस सदन में हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

साथ ही यह स्मरण करना भी हमारा कर्तव्य है कि सदन की विरासत कितनी गहरी है। जिन दीवारों ने एक समय साम्राज्यवादी वायसराय की वाणी सुनी थी, इसी सदन में हर साल जो एड्रेस होता है जिस तरह से उपराज्यपाल महोदय का हर साल वायसरॉय का एड्रेस होता था और उसकी 14 स्पीचीज इस सदन में वाईस राय की, जिनको हमने संग्रहित किया है।

वही दीवारें आज स्वतंत्र भारत की जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की गूंज सुन रही है। यह परिवर्तन, यह यात्रा, यही हमारे स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आइए इस अवसर पर हम सभी 1 मिनट का मौन रख कर उन भारतीय वीरों को नमन करें जिन्होंने 108 वर्ष पहले अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपना सर्वस्व न्योछावर किया था। तो आज की जो obituary है, ये आशा भोसले जी के लिए और 75,000 सैनिक जो शहीद हुए उनको ।

(सदन द्वारा 1 मिनट के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई)

ओम शांति, शांति, शांति, शांति।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जो श्रद्धांजलि अभी अर्पित की गई है इसी संदर्भ में 30 अप्रैल 2026 वीरवार अपराह्न 3:30 बजे दिल्ली विधानसभा परिसर में युद्ध सम्मेलन की 108 वीं वर्षगाँठ के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस

आयोजन में जनरल वी के सिंह जो माननीय राज्यपाल मिज़ोरम मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता होंगे, इस अवसर पर युद्ध सम्मेलन की अक्षरशः कार्यवाही की पुस्तक का जो यहाँ पर कार्यवाही हुई प्रोसीडिंग उस पर एक पुस्तक दिल्ली विधानसभा ने तैयार की है पूरी प्रोसीडिंग्स की वो उसकी कॉपी भी आपको भेजी जाएगी। अक्षरक्ष: कार्यवाही की पुस्तक का विमोचन भी जनरल वी. के. सिंह, माननीय राज्यपाल मिज़ोरम के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है की उस दिन 30 तारीख को 30 अप्रैल को आप अवश्य दिल्ली विधानसभा के परिसर में पधारें और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। माननीय सदस्यगण, अब निम्नलिखित सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के मामले उठाए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री तरविंदर सिंह मारवाह।

<u>विशेष उल्लेख(नियम-280)</u>

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी आपने मौका दिया धन्यवाद आपका। माननीय अध्यक्ष जी महोदय जंगपुरा विधानसभा में बीजेपी की सरकार आने के पश्चात शहरी बुनियादी ढ़ांचे को एक नई मजबूती प्राप्त हुई है तथा स्थानीय विकास कार्यों में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली है। इसके लिए मैं माननीया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में दुकानें हैं तथा एक विशाल व्यापारी वर्ग वहाँ से अपनी आजिविका चलाता है। यह केवल व्यापार का केंद्र नहीं बल्कि हजारों परिवारों के रोजगार का आधार भी इसी में है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इन व्यापारियों को हर संभव सहयोग और सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे प्रत्येक व्यापारी को सुगम व्यापारी वातावरण मिल सके और वहाँ कर्मचारियों को भी बेहतर कार्य परिस्थिति उपलब्ध हो सके। साथ ही बाजार क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा एवं बुनियादी सुविधाओं को भी सिद्ध किया जाए ताकि व्यापारिक गतिविधियों और अधिक से अधिक काम कर सकें। अध्यक्ष जी पार्किंग की समस्या बहुत ही अधिक है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा की लाजपत नगर, भोगल और एक पार्किंग जो है अभी भी कई सालों से वहाँ पर रुकी हुई है दिल्ली नगर निगम की मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि उसपे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो धन्यवाद आपका।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री प्रद्युमन सिंह राजपूत।

श्री प्रद्युमन सिंह राजपूत: अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री जी के संज्ञान

में लाना चाहता हूँ कि पिछले 70 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों को रिहायशी प्लॉट जो है पट्टे पर दिए गए थे और पूरी दिल्ली में इस तरह की कॉलोनियां काफी है। एक एजेंसी के अनुसार इन परिवारों की संख्या लगभग 72,000 बनती है। मेरी विधानसभा द्वारका विधानसभा के अंदर भी माननीय अध्यक्ष जी ईस्ट सागरपुर, हरिजन कॉलोनी व वैस्ट सागरपुर, एच ब्लॉक, हरिजन कॉलोनी, डाबड़ी हरिजन बस्ती, नसीरपुर हरिजन बस्ती है। किंतु पांच दशक बीत जाने पर भी इन लोगों को मालिकाना हक इनको अभी तक नहीं मिला। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इन अनुसूचित जाति के बंधुओं को भी इनके प्लॉटों का मालिकाना हक दिया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, एक अभी obituary जो श्रद्धांजलि विपक्ष के नेता आतिशी जी के पिता के देहांत पर श्रद्धांजलि के संदर्भ में मैं यहाँ पर सदन की ओर से प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी के देहांत पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज यह सदन एक अत्यंत दुखद समाचार के साथ यहाँ पर सभी सदस्यों को अवगत करा रहे है की 17 अप्रैल को इस सदन की नेता, प्रतिपक्ष हमारी आदरणीय बहन सुश्री आतिशी जी के पूज्य पिताजी प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी का निधन हो गया। प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के प्राध्यापक रहे हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन शिक्षा, अध्ययन और चिंतन को समर्पित किया। पीढ़ियों के विद्यार्थियों ने उनसे ज्ञान पाया और उनके विचारों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। एक शिक्षक का योगदान केवल कक्षा तक सीमित नहीं होता, वह समाज की चेतना को आकार देता है। प्रोफेसर विजय जी ने यही कार्य आजीवन निष्ठा से किया है। मैं चाहूंगा की सभी सदस्य 1 मिनट। क्योंकि ये विषय रह गया था पहले और अभी सदन के समक्ष ध्यान में लाया गया है।

(सदन द्वारा 1 मिनट के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई)

ओम शांति शांति।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब आगे 280 पर माननीय सदस्य श्री कर्नल सिंह जी।

श्री करनैल सिंह: अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद आपने मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया। मैं पिछली बार भी इसी विषय को लेकर के विधानसभा में 280 पर बोला था, दोबारा भी मेरा वही

विषय है। मेरी विधानसभा शकूर बस्ती एसी-15 के अंदर सीवरेज की जो 11 साल की पिछली सरकार की नाकामियां थी, वो ठीक करते-करते समय तो लगेगा लेकिन रेनी सीजन दोबारा आ रहा है। हमने जो एस्टीमेट लगाये थे वो एस्टीमेट कहीं न कहीं इधर-उधर फाइलों के होते हुए मैं उनको फोलोअप कर रहा हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को भी मैं ध्यान में दिलवाना चाहता हूं कि मेरी जो पेंडिंग एस्टीमेट हैं उनको जल्दी से जल्दी अप्रूव करके आगे बढ़ाया जाए ताकि रेनी सीजन में जो आने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके और मेरे विधानसभा में सबसे बड़ी जो समस्या है, जिस चीज को लेकर के हम पिछली सरकार में चर्चा करते रहे के गंदे पानी की समस्या उसका काम जितनी तेजी से चलना चाहिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का भी और धन्यवाद करता हूं हमारे जल बोर्ड मिनिस्टर का भी कि उन्होंने इस चीज की तरफ पूरा ध्यान दिया लेकिन कहीं ना कहीं मेरे विधानसभा के एस्टीमेट जो हैं वो पेंडिंग हैं। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे पेंडिंग एस्टीमेटों को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अशोक गोयल जी।

श्री अशोक गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय मंत्री जी का ध्यान मॉडल टाउन विधानसभा में एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मॉडल टाउन विधानसभा में ड्रग्स और अवैध शराब माफियाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और माननीय अध्यक्ष जी मॉडल टाउन विधानसभा में एक हमारे यहां लाल बाग क्षेत्र है, संगम पार्क है, चौकी नंबर 4 है और राजपुरा गुड़मंडी जहां पर खुलेआम ड्रग्स और शराब का धंधा खुलेआम चल रहा है। हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है युवा उनको इसकी लत लगती जा रही है और साथ ही यह युवाओं का दुरुपयोग ये ड्रग्स माफिया और शराब बेचने वाले अपने काम के लिए कर रहे हैं। जुवेनाइल को इसमें प्रयोग करते हैं, छोटी छोटी पुड़िया 280 रुपये में बेचते हैं और प्रशासन पूरी तरह से उदासीन है। बार बार वहां पर चाकू छुरी और हत्याएं करीब-करीब आम बात हो गई और जब भी कोई इसकी कंप्लेंट करता है तो पुलिस प्रशासन के जो कुछ लोग हैं वो इन ड्रग्स माफियाओं को और शराब के लोगों को बताते हैं कि इन व्यक्ति ने आपकी कंप्लेंट की है। रात को एक झुंड में

जाकर उनके घर पर चक्कूबाजी करना और कई बार हत्या करना भी ये वहां पर नजर आ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे और आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो खराब हो रही है और इसी से कोई ना कोई माफिया फिर कोई जन्म लेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि इसको यहीं पर रोका जाए ।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्रीमती शिखा राय जी।

श्रीमती शिखा रॉय: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने 280 के माध्यम से मुझे मेरी विधानसभा की बात रखने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरे यहां पर मेरी विधानसभा एक तरफ से प्रेस एंक्लेव जो रोड है उस पर समाप्त होती है और रिंग रोड विधानसभा के बीचों बीच निकलती है। अध्यक्ष जी, मैं जिस लिंक रोड को बनवाने की बात यहां रख रही हूं उसका कारण यह है कि वहां पर तीन हॉस्पिटल्स मैक्स, सुपर मैक्स, पी एस आर आई, वेणु आई हॉस्पिटल चौथा ये सब एक रो में प्रेस एनक्लेव रोड पर हैं और उसके साथ-साथ तीन स्कूल हैं खिड़की गांव, खिड़की एक्सटेंशन, पंचशील विहार, चिराग दिल्ली इन स्थानों के लोगों को उन हॉस्पिटल्स तक पहुंचने के लिए बहुत दूर से उल्टा रास्ता पकड़ करके पहुंचना पड़ता है अगर कोई भी इमरजेंसी वहां पर हो जाए। अध्यक्ष जी मैं जिस लिंक रोड को बनवाने की बात यहां कर रही हूं उसकी प्रपोजल 2009 में दिल्ली सरकार ने अप्रूव की थी ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है लेकिन 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स आने के कारण वो सब वहीं पर रुक गया था। प्रेस इन्क्लेव रोड से लेकर के आउटर रिंग रोड तक एक बीचों-बीच जो स्थान भी पड़ा है सारी उसके लिए व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं। अगर यह लिंक रोड बनती है तो पूरे क्षेत्र को और जो कोर्ट है साकेत में उसको भी इधर मूलचंद के साथ जुड़ने के लिए एक सीधा रास्ता मिलता है जो की अब तक सिर्फ एक ही रास्ते से शेख सराय से सबको आना पड़ता है चाहे इधर से कोई जाए या उधर से कोई आए। तो मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से निवेदन है कि इस प्रपोजल का निरीक्षण करवाया जाए और जो भी इसकी पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको निकाल करके उसके आगे व्यवस्था बनाई जाए क्योंकि ऐसा करने से उस क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या का हल होगा और जो कंजेशन प्रेस इन्क्लेव रोड पर होती है और अंदर गांव खिड़की गांव और खिड़की एक्सटेंशन में होती है वह बहुत हद तक टल सकती है क्योंकि वहां पर दो स्कूल भी हैं। तो मैं आपके माध्यम से यह मिनिस्टर साहब को निवेदन करूंगी कि जल्द से जल्द इस प्रपोजल पर ध्यान दिया जाए।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री श्याम शर्मा जी।

श्री श्याम शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं हरि नगर विधानसभा क्षेत्र के अत्यंत गंभीर और जनहित से जुड़ी समस्या आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये जो समस्या है मुझे लगता है कि हरि नगर विधानसभा की नहीं है ये पूरी दिल्ली की है। हमारे क्षेत्र में आवारा गायों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह समस्या केवल हरी नगर तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दिल्ली में है परन्तु हमारे क्षेत्र में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। सड़कों पर घूमती गायों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। कभी वाहन चालकों को चोट लगती है, तो कभी स्वयं गाय भी घायल हो जाती हैं। हमारे कार्यालय में प्रतिदिन लगभग 15 से 20 शिकायतें इस विषय में आती हैं। महोदय, एक और गंभीर पहलू यह है कि जब नगर निगम या संबंधित विभागों के कर्मचारी इन गायों को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो कई बार पशु मालिक उनके साथ मारपीट करते हैं। कर्मचारी भय के कारण अपना कार्य करने से कतराते हैं और कई मामलों में शिकायतें एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। पशु मालिक यह कहते हैं कि उनकी ऊंची पहुंच है जिसके कारण कई वर्षों से दिल्ली में गायों का जो है तांडव चल रहा है यह सब आप देख रहे हैं। पशु मालिक यह तक बोलते हैं कि जो आपने करना है वो कर लो हमनें तो ये दूध निकाल कर गौ माता का सुबह इलाके में, क्षेत्र में, पार्कों में छोड़ देना है ये उनका विषय है। हरि नगर विधानसभा में सरकारी हस्पताल जैसे दीन दयाल हस्पताल स्थित है, जहां हम घायलों का उपचार कराते हैं और कई बार गंभीर स्थिति में निजी अस्पतालों में भी लोगों को भेजना पड़ता है ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। इसके साथ ही सामाजिक संस्थाओं की मदद से घायल गायों का भी इलाज कराया जाता है। सबसे दुखद बात है कि कुछ पशु मालिक दूध निकालने के बाद गायों को सड़क पर छोड़ देते हैं। ये गायें कूड़ा और प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाती हैं और जो अत्यंत चिंताजनक है। अध्यक्ष महोदय, इस पर एक कठोर कानून बनना चाहिए। हमारे समाज में गाय को माता के रूप में जाना जाता है लेकिन इस प्रकार की लापरवाही हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए जाएं और ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई हो और इसमें दिल्ली सरकार के लेवल पर एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें पुलिस प्रशासन को भी इसमें जोड़ना चाहिए। जब भी ये कोई ड्राइव के लिए जाएं तो पुलिस को भी साथ अच्छे लेवल पर हाई लेवल पे उसको साथ रखना चाहिए ताकि सरकारी कर्मचारी को सुरक्षा मिले और वे बिना भय के अपना कार्य कर सकें, साथ ही पशु मालिकों की जिम्मेदारी तय

की जाए और लापरवाही करने वालों पर कठोर दंड लगाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री संजय गोयल जी। संजय जी, एक मिनट। अभी मैं जो 10 नाम ड्रॉ में आए थे उसके बाद जो 5 नाम और हैं उनको भी मैं बोलने का मौका दूंगा उनके नाम मैं पढ़ रहा हूं जिससे वो तैयारी रखे। श्री गजेन्द्र दराल जी, माननीय सदस्य डॉक्टर अनिल गोयल जी, माननीय सदस्य श्री कुलवंत राणा जी, माननीय सदस्य श्री हरीश खुराना जी, माननीय सदस्य श्री जितेंद्र महाजन जी, संजय जी।

श्री संजय गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदय आपका विशेष धन्यवाद, आज 280 के अंतर्गत बोलने का अवसर दिया। मैं इस सदन के समक्ष दिल्ली की न्याय व्यवस्था से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूँ। यह केवल प्रशासनिक व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि दिल्ली के लाखों नागरिकों के जीवन, अनेक अधिकारों और न्याय व्यवस्था में विश्वास का प्रश्न है। महोदय सर्वविदित है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। आज दिल्ली की अदालतों की स्थिति इस कथन को सत्य सिद्ध करती है। देश की राजधानी होने के बावजूद यहाँ प्रतिदिन हजारों नागरिक न्याय की आशा लेकर न्यायालयों के दरवाजा खटखटाते हैं किंतु वास्तविकता यह है कि पर्याप्त कोर्ट रूम उपलब्ध नहीं हैं, अनेक न्यायिक पद लंबे समय से रिक्त हैं तथा लंबित मामलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। महोदय, मैंने पूर्व में भी इस विषय पर तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया था किंतु आज तक यह कहकर उत्तर दिया गया कि ये हाई कोर्ट भेजा हुआ है हाई कोर्ट से इसका आन्सर आएगा। इससे प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस गंभीर विषय पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। यदि समय रहते पर्याप्त फास्ट टैग कोर्ट स्थापित नहीं किए गए तो इतनी स्थिति गंभीर न होती और महोदय, negotiable जैसा की एक एग्ज़ैम्पल के तौर पर negotiable instrument act की धारा 138 से संबंधित मामलों की स्थिति भी अत्यंत गंभीर है क्योंकि मेरे इन जो विधानसभा में सबसे ज्यादा बड़ा इंडस्ट्रीयल एरिया दिल्ली का है जोकि झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया और फ्रेन्डस कॉलोनी, दामोदर, जुल्फे बंगाल ये सब ऑथोराइज्ड इंडस्ट्रीयल एरिया हैं उसमें स्थिति ज्यादा अत्यंत गंभीर है क्योंकि चेक बाउंस के प्रकरणों में न्याय मिलने में लगभग 8 से 15 साल तक लग रहे हैं। खुद स्वयं मेरे साथ हुआ है इसलिए इस विषय को मैं आपके सामने समक्ष रख रहा हूँ और माननीय कानून मंत्री जी के समक्ष रख रहा हूँ जिससे पीड़ित पक्ष को समय पर राहत नहीं मिल पाती।

विशेष रूप से व्यापारी वर्ग, लघु उद्योगों तथा एमएसएमई के क्षेत्र को लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक मामलों में लोग माल या सेवाएं लेकर भुगतान नहीं करते, चेक जारी कर देते हैं और चेक बाउंस करवा देते हैं। इसके बाद पीड़ित व्यक्ति न्यायालय की शरण लेता है, किंतु उसे महीनों तक अगली तारीख नहीं मिलती और कई बार छः-छः महीने तक सुनवाई आगे बढ़ती रहती है और एक एग्ज़ैम्पल के तौर पे बताता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, नोटिस इश्यू होने के बाद कोर्ट के माध्यम से क्योंकि जब छः महीने में डेट मिलती है तो पहले नोटिस का जवाब जब तक नहीं आएगा तो दूसरा नोटिस इश्यू नहीं हो सकता फिर दूसरा छः महीने के बाद नोटिस इश्यू होता है यदि उसका भी जवाब नहीं आता है तो एसएचओ के माध्यम से वारंट इश्यू होते हैं यदि वारंट का भी नोटिस का जवाब नहीं आता है तो फिर एसएचओ के माध्यम से वारंट जाते हैं फिर एसएचओ के माध्यम से भी वारंट का जवाब नहीं आता है तो डीसीपी के माध्यम से वारंट जाते हैं और उस प्रक्रिया में लगभग तीन से चार वर्ष निकल जाते हैं। अब तीन से चार वर्ष यदि समय निकल जाएगा तो पैसे के अभाव में फैक्टरी कैसे चल पाएगी, कैसे व्यापार चल पाएगा और इसी तरह से महोदय बड़ी समय की हानि होती है जो अमूल्य है। एक सामान्य नागरिक, व्यापारी, उद्यमी वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाता है। अपना समय, धन और मानसिक शांति खो देता है। न्याय यदि 13-14 वर्ष के बाद मिले तो वह न्याय नहीं बल्कि केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। उससे ज्यादा तो interest हो जाता है उससे पहले तो फैक्टरी बंद हो जाती है, व्यापार बंद हो जाता है। अतः सरकार को चाहिए की हम आपसे निवेदन करते हैं आपके माध्यम से 138 के मामलों में शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जायें, संख्या कम है, कुछ कोर्ट बनी ैहै लेकिन और सुनवाई डिजिटल सुनवाई को बढ़ावा दिया जाए, समयबद्ध न्यायालय न्याय सुनिश्चित किया जाए। महोदय कई बार तो ऐसा होता है कि कोई नागरिक वर्षों तक मुकदमा लड़ने के बाद निर्दोष सिद्ध होता है किंतु उसके विरुद्ध गलत कार्रवाई करने वाले अधिकारी पर भी कोई जवाबदेही तय नहीं है। अधिकारी कई बार तो ऐसे करते हैं क्योंकि व्यापारी हूँ मैं पता है की अधिकारी किस तरह से टॉर्चर करते हैं और वो शुरू में कहते हैं यदि कोर्ट जाओगे तो ये न्याय 10 साल में मिलेगा यदि आपने अभी नहीं किया तो आपके आप देख लीजिए क्या होगा और 10 साल में वो अधिकारी प्रोमोट होकर बड़ा अधिकारी बन जाता है लेकिन व्यापारी जो काम करते-करते अपने व्यापार को ये सिद्ध करने में की मैं निर्दोष हूँ, 10 साल बाद यदि कोर्ट उसको निर्दोष साबित करती है तो अधिकारी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं

होती ये भी एक बहुत बड़ा कारण है करप्शन का माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपसे निर्णय आपके माध्यम से माननीय न्याय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कानून मंत्री जी से की दिल्ली में न्यायिक अवसंरचना को दृढ़ सुदृढ़ करने हेतु विशेष योजना बनाकर नए कोर्ट रूम का निर्माण कराया जाए और दूसरा ये है की मैं माननीय मंत्री जी से भी ये निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से की एक ऐसी एक्स्पर्ट की टीम गठित की जाए। जो देखे की कितने साल से कितने केस पैंडिंग हैं, उन पैंडिंग केसों के न्याय में क्या देरी रही है, क्यों इसकी देरी है, उस देरी को कैसे हम जल्दी से उसको खत्म करके न्याय सामने वाले को दिला सकते हैं, उस पर भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। एमएसएमई चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद एवं छोटे वाणिज्यिक मामलों में शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष फास्ट टैक अभियान चलाया जाए और जिन मामलों में नागरिकों के विरुद्ध दायर मुकदमे न्यायालय द्वारा निराधार पाए जाएं, उनमें संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर जांच व दंड का प्रावधान किया जाए और ये जो मेरे प्रश्न है उनका जवाब शीघ्र अति शीघ्र मुझे उपलब्ध कराया जाए, जिससे की हम भी एक बेस्ट वे में अपनी सरकार को एक इस समाधान हेतु सुझाव अच्छे सुझाव दे सकते हैं। महोदय, समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जनता का विश्वास न्याय व्यवस्था के साथ-साथ शासन व्यवस्था से भी उठ जाएगा और न्याय व्यवस्था किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती है और यदि यह कमजोर होती है तो समाज पर उसका गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस गंभीर विषय पर प्राथमिकता से कार्य करेगी और दिल्लीवासियों को सुलभ, त्वरित और पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री कुलदीप सोलंकी जी।

श्री कुलदीप सोलंकी: माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद आपने मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान पालम या दिल्ली ही नहीं अपितु देश में भी खाद्य पदार्थों की मिलावट की समस्या के और आकर्षित करना चाहता हूँ। ये विषय पहले भी विधानसभा में उठा है शायद पिछले सत्र में भी उठा था लेकिन अध्यक्ष महोदय स्थिति सुधर नहीं रही है और मिलावटखोरी का धंधा दिन-रात चमक रहा है। हम सब जानते हैं कि दूध, घी, तेल, मसाले, मिठाई, केमिकल, यूरिया, डिटर्जेंट का प्रयोग खुलेआम किया जा रहा है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से देखते हैं। कुछ समय पहले भी तेलंगाना में आम में खतरनाक केमिकल का उपयोग किया गया खुलासा किया गया वो दिल्ली तक सप्लाई होती है। हरियाणा के जींद में

ब्रांडेड नकली घी की फैक्टरी पकड़ी गई। हाल ही में दिल्ली में इनो, नेसकैफे, सेंसोडाइन, टूथपेस्ट आदि सामान की नकली फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। इस मिलावट की वजह से सभी की सेहत खराब हो रही है हमें भी नहीं पता लगता है कि हम भी कई बार नकली चीजों को यूज़ कर लेते हैं। कुछ दिन पूर्व दिल्ली में भी पहाड़गंज इलाके में मोमोज खाने से भी बहुत बच्चे बीमार हो गए थे। फुड प्रोसेसिंग का शिकार हुए, पोइजन का शिकार हुये। देश की राजधानी दिल्ली में मिलावटी सामान बिक्री और भंडारण में रोक नहीं लग पा रही है। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस पर विचार किया जाए और कुछ सख्त कानून इसके ऊपर बनाया जाए। सदन के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ मिलावटखोरों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बाजार में फुड इंस्पेक्शन बढ़ाया जाए, अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की जाए अन्यथा समस्या आगे बढ़ती ही रहेगी, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य एवं उपसभापति श्री मोहन सिंह बिष्ट जी।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा मुस्तफाबाद ए.सी.-69 ये बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। जिस कारण लोग अपने घरों और गंतव्य को नहीं जा सकते हैं उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, ये भी सत्य है कि दो विधानसभायें एक और करावल नगर दूसरी ओर मुस्तफाबाद, अंकुर इन्क्लेव से जौहरीपुर तक ये दिन दोनों क्षेत्रों के गंदे पानी की निकासी के लिए 150 फिट चौड़ा नाला बना है जो करावल नगर से जौहरीपुर और फिर जौहरीपुर से गोकुलपुर तक मेट्रो स्टेशन तक, लगभग 200 फिट चौड़ा नाला है। अध्यक्ष महोदय, इस नाले के माध्यम से जो गंदा पानी निकलता है उसमें कोई रुकावट नहीं बन सकती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एलिवेटिड रोड बना दिया जाए जिससे की पूरे क्षेत्र जिसके इर्द गिर्द में दोनों तरफ में घनी आबादी है वो लोग उस रोड एलीवेटेड से जा सकते हैं और एलिवेटेड रोड ही एकमात्र विकल्प है। अध्यक्ष महोदय, जौहरीपुर, गोकलपुरी, गोकलपुरी से मुस्तफाबाद और करावल नगर को भी इससे जोड़ा जा सकता है और इस एलीवेटेड रोड से ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान हो सकता है। इस रोड बनने से नाले में पानी की निकासी कोई समस्या तो नहीं बनेगी लेकिन जो लोगों की मेन समस्या थी उस समस्या का समाधान हो सकता है अत: मेरा आप के माध्यम से सिंचाई एवं बाढ़ मंत्री जी से अनुरोध है कि

मुस्तफाबाद जैसी विधानसभा में ट्रैफिक जाम की समस्याओं का समाधान के लिए और इर्द गिर्द की विधानसभाओं की जाम की समस्या के समाधान के लिए इस एलीवेटेड रोड की तुरंत स्वीकृति देकर के जनता को राहत मिल सके इसके लिए मैं आपका भारी रहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अजय कुमार महावर जी।

श्री अजय कुमार महावर: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 पर मेरे क्षेत्र की समस्या को उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने विधानसभा के अंतर्गत आने वाली दो ऐतिहासिक गांव की और दिलाना चाहता हूँ गढ़ी मेंढु और उस्मानपुर। इन दोनों के जो वहाँ जन जीवन है, जो लोग रहते हैं, उनका जीवन बिलकुल नारकीय हो चुका है, और वहाँ का सड़क, पेयजल, सीवर व्यवस्था, बिजली सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हमारी सनातन, हमारे देश की संस्कृति, हमारी संस्कार ये कहते हैं कि पशु-पक्षियों को भी, जीव मात्र को भी जीने का अधिकार है उसको भी रोशनी पानी का अधिकार है और उसकी चिंता करनी चाहिए। ऐसे में इन गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और **O-Zone** के कारण कागजों के बोझ के नीचे बार बार विकास को रोका जाता है। जबकि विकास जब होता है अभी हमारे यहाँ पिंक मेट्रो लाइन बनी है, उसी क्षेत्र से गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया, इससे पहले सिग्नेचर ब्रिज बना। लेकिन जब इन गांव वालों को बिजली, पानी और उसकी मूलभूत सुविधाओं की बात होती है तब बार बार ओजोन का अड़ंगा डाला जाता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नानक सर में एक दीवार या बांध का प्रबंधन करने की बात कही चार-पांच दिन पहले अखबारों में भी आया था। मैं माननीया मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ की आप गढ़ी मेंढु गांव और उस्मानपुर गांव में आप एक बांध बना सकते हैं, जैसे कभी सोनियापुर सोनिया विहार का पुस्ता बना तो वहाँ का जीवन को बहुत सारा लाभ मिला रहने की सुविधाएं मिली। वैसे ही हमारे वजीराबाद रोड से शास्त्री पार्क रोड तक भी एक पूरा का पूरा बांध बन सकता है। इससे माननीय अध्यक्ष आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ कर अपनी जनता की ओर से ये निवेदन करता हूँ कि इन ऐतिहासिक गांवों को आप संरक्षण प्रदान करें और एक बांध की संरक्षण करके हजारों परिवार जो रह रहे हैं उनको मूलभूत सुविधा मिले। देखिये अध्यक्ष जी, एक बात और जोड़ रहा हूँ कि उसमें की वहाँ पर बिजली के खंभे लगे हैं, ट्रांसफार्मर लगा है, सरकारी लाइट जलती है लेकिन गांव वालों को मीटर नहीं मिलता। पहले जो 2016 तक

मिले वो मिले और इस दिल्ली में कानून भी बीएसईएस वाले दो चला रहे हैं, जो **O-Zone** में मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ मीठापुर है, बदरपुर है इन गांव में बिजली दी जा रही है। लेकिन हमारे इन दो गांव में नहीं दी जा रही है तो एक ही राज्य में दो कानून कैसे चल रहे हैं **O-Zone** में, ये भी एक संकट का विषय है। मैं फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आपके माध्यम से मंत्री जी इस पर संज्ञान ले और आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार आपने नानक सर में व्यवस्था की है वैसी ही व्यवस्था आप हमारे गढ़ी मेंढु और उस्मानपुर की बांध की इजाजत दे करके इन सब लोगों के मूलभूत सुविधाओं के लिए अपना संरक्षण प्रदान करें, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री गजेंद्र दराल जी।

श्री गजेंद्र दराल: माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 280 के तहत मेरी मुंडका विधानसभा की एक बहुत ही गंभीर समस्या क्योंकि अभी गर्मी शुरू ही हुई है और मैं माननीय जल मंत्री के संज्ञान में आपके माध्यम से ये विषय लाना चाहता हूँ कि एक तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा। क्योंकि मेरी विधानसभा के अंदर दो वार्ड के अंदर दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा पानी दिया जाता है और लगभग तीन वार्ड के अंदर एनडब्ल्यूएस प्राइवेट कंपनी के द्वारा। जो जल बोर्ड के द्वारा पानी दिया जाता है उसमें लगभग तीन गांव रसौलपुर, रानीखेड़ा, मदनपुर और एक बड़ी कॉलोनी जैन नगर। उसके अंदर इतना गंदा पानी कि उस पानी को यूज़ करना तो दूर अगर हम हाथ में लेके सूंघने का प्रयास करें तो उससे भी उल्टी आ जाए, ऐसा मैंने कल खुद इस बात को वहाँ पे जाके जांच करके और महसूस किया है। तो मैं आदरणीय मंत्री जी के संज्ञान में आपके माध्यम से ये विषय लाना चाहता हूँ कि जैन नगर के अंदर जो लाइन है वो सीवर लाइन के नीचे लगभग नौ फुट नीचे दबी हुई है, पानी की लाइन सीवर लाइन के नीचे और उसके अंदर जहाँ पे भी लीकेज होती है उसको ठीक कर पाना उनके बस की बात नहीं रहती। मैं तीन चार बार उनको लिखित में दे चुका कि लगभग 26 किलोमीटर की लाइन उसके अंदर नई डलनी है। लेकिन इस पर कोई भी अभी तक उचित कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण लोगों का बहुत बड़ा जमावड़ा कभी ऑफिस पर, कभी फेसबुक के द्वारा जगह जगह पर मुझे भी और मेरी सरकार को कोसा जा रहा है। तो मैं आज अपनी इस विधानसभा की समस्या को माननीय जल मंत्री के संज्ञान में आपके माध्यम से लाना चाहता हूँ और हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जल्दी से जल्दी बजट देकर उस लाइन को चेंज करवाया जाए और जो अभी गर्मी की

शुरुआत हुई है और जो यूजीआर के अंदर जो पानी आता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा क्योंकि सात एमजीडी पानी आना चाहिए जबकि वहाँ पर जो कर्मचारी है उनका कहना है कि जी छः एमजीडी पानी आता है, एक एमजी डी पानी अभी हमारा शॉर्ट है। तो उस पानी की मात्रा को भी बढ़ाया जाए और साथ में नई पानी की लाइन बदलवा कर वहाँ के लोगों को वो सभी सुविधाएं दी जाए जो उनके मौलिक अधिकार है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉक्टर अनिल गोयल जी।

डॉक्टर अनिल गोयल: बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने रूल 280 में बोलने का मौका दिया। मैं आज एक रोजाना की समस्या जो रोड 57 पर जहाँ हजारों लोग गुजरते हैं, जो कड़कड़ी मोड़ से शाहदरा फ्लाईओवर तक जाती है, उस पर ट्रैफिक जाम और एंक्रोचमेंट की समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। वो रोड मेन आरटीआर रोड है जो एक तरफ कृष्णा नगर विधानसभा दूसरी तरफ विश्वास नगर विधानसभा आती है और इन दोनों में ट्रैफिक शाम में आप 1 घंटे में निकल जाएं तो मैं समझता हूँ कि हमको अपनी खुशकिस्मती महसूस होती है और इसका एक बड़ा कारण एन्क्रोचमेंट रोड 57 पर है और दूसरा एक बड़ा कारण बगल में एक सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट शाहदरा जिसको सीबीडी ग्राउंड, शाहदरा कहते हैं, वहाँ बेलगाम जो बैंक्वट हॉल्स बने हैं, वो एक दूसरा विशेष कारण है। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस जन समस्या जो भारी जाम की स्थिति बन रही है उसमें जो दर्जनों बैंक्वेट हॉल है, इन बैंक्वेट हॉल्स को बिना पर्याप्त पार्किंग एक बैंक्वेट हॉल है, एक बॉक्स टाइप हॉल है और उसमें कहीं कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पानी सारा वो बोरिंग से है, जल बोर्ड की लाइनें नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी का कितना मिसयूज है ये तो जांच का विषय होगा और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ नहीं है। शादी के सीज़न में अगर जाना है तो एक घंटा उसके अंदर जाने में लगता है और इसलिए वहाँ सारे दोनों विधान सभा में हमेशा जाम की स्थिति विशेष रूप से शाम को बनी रहती है और केवल मानो कोई मास्टर प्लान, कोई एमसीडी बायलॉज का फॉलो नहीं किया जाता और आम जनता के लिए दिन रात खास तौर से शाम को गंभीर असुविधा का कारण बन गया है। इसके अतिरिक्त इसी सीबीडी ग्राउंड में मैं पिछली सेशन में भी 280 में बताया कि ईस्ट दिल्ली हैबिटेड सेंटर पांच एकड़ जगह दिया गया वहाँ पर कांग्रेस के शासन में, वहाँ भी बैंक्वेट हॉल बॉक्स की तरह लाइन में बन गए हैं और अव्यवस्था और ट्रैफिक दबाव पूरे क्षेत्र में पूर्वी दिल्ली पर बढ़ गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ की इस क्षेत्र की विस्तृत फिजिबिलिटी स्टडी कराई

जाए। बैंक्वेट हॉल को विथाउट पार्किंग, विथाउट इंफ्रास्ट्रक्चर विथाउट एमसीडी बाइलॉज के वहाँ चलने की परमिशन नहीं दिया जाए। इसके लिए सुनिश्चित किया जाए कि जल आपूर्ति के लिए अनियंत्रित बोरिंग का उपयोग न हो। इसके साथ ही ट्रैफिक प्रबंधन जो रोड 57 है और कड़कड़डूमा कोर्ट रोड है, इस पर भी सुदृढ़ किया जाए आवश्यक नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाए जिससे जनता को इस टॉर्चर से आसानी से छुटकारा मिल सके। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि सीबीडी ग्राउंड का और रोड 57 से एन्क्रोचमेंट हटाना और रेस्टोरेशन ऑफ ईस्ट दिल्ली हैबिटेट सेंटर। वहाँ जो infrastructure development, no banquet hall without parking, म्यूनिसिपल लॉस के बाइलॉस को एनफोर्समेंट और इसके अलावा पानी सप्लाई के लिए नो बोरिंग, इसको एनफोर्समेंट किया जाए, ये मैं अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री कुलवंत राणा जी।

श्री कुलवंत राणा: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का अवसर दिया। मैं आपका ध्यान दिल्ली की जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है, उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ आपके द्वारा सदन को और मंत्रिमंडल को। ये आप सबको मालूम है सभी सदस्यों को हमारे दिल्ली के कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम की स्थिति बहुत खराब है। जहाँ जाओ वहीं ट्रैफिक जाम, जहाँ जाओ वहीं ट्रैफिक जाम और मैं एक लंबे समय से स्टडी करता हूँ देख रहा हूँ कि नेशनल हाईवे के ऊपर भी दिल्ली में भी कोई लेन निर्धारण नहीं है। कोई लेन निश्चित नहीं है कि इस लेन में ये वाहन चलेगा और ऐसा ना होने कारण भारी जो वाहन है वो सभी लेन्स में चलते हैं और किसी को इमरजेंसी है तो बाहर के मुल्कों में बाहर के राष्ट्रों में स्पेशल लेंस भी होती हैं। कोई अक्सीडेंटल केस है, कोई इमरजेंसी पेशेंट्स को किसी को हॉस्पिटल में अडमिट कराना है तो उस स्थिति में एक स्पेशल लेन निर्धारित होती है कि वो एक विशेष शुल्क दें और उस लेन का इस्तेमाल करें। तो दिल्ली में भी जो लेन निर्धारण ना होने के कारण ट्रैफिक अव्यवस्था बढ़ी हुई है और सड़कों का जो चौड़ीकरण कैसे हो सकता है, पुलों का चौड़ीकरण कैसे हो इसकी भी एक स्टडी करने की आवश्यकता है और योजना भी जब बने तो लंबे अरसे के लिए बने। अभी ध्यान में आया पीछे पुल बने 2008 के बाद उनकी आयु मुश्किल से पांच वर्ष अभी आप पुलों में चढ़ते हैं जैसे हमारे यहां आउटर रिंग रोड बाईपास पे ही पुल पे चढ़ने के लिए ही लंबे आधा आधा घंटे की इंतजार करनी पड़ती है। पंजाबी बाग में ऐसे जाम हो जाता था तो हर एक पुलों की स्थिति

ये ही है तो एक दीर्घकालीन योजना बनाते हुए 50 वर्ष की कम से कम योजना बने ताकि बार-बार उन पुलों को ना बदलना पड़े, ना उनकी चौड़ीकरण करना पड़े और संभावित ट्रैफिक की संख्या आगे इतनी बढ़ने वाली है। उसके आधार पर योजना बने। तो दिल्ली में ट्रैफिक जाम बहुत बढ़ रहा है इसके कारण से ट्रैफिक कर्मी भी कम हैं और ट्रैफिक जाम बढता है तो प्रदूषण स्वाभाविक है बढ़ेगा और ट्रैफिक जाम प्रदूषण का बड़ा कारण है। ये बड़ा कारण है इसका। प्रदूषण से, ट्रैफिक जाम से लोग तनाव में रहते हैं दिल्ली के और काम की औसत भी लोगों की कम हो गई है। तो ये एक बहुत बडा विषय है कि दिल्ली को ट्रैफिक जाम से कैसे मुक्त किया जाए। तो इसका एक पूरा इसका एक रोड मैप तैयार हो। रोड मैप करने के बाद दिल्ली के लोगों का तनाव कैसे कम हो, प्रदूषण कैसे कम हो, नई सड़कें दिल्ली को कैसे दे सकते हैं। हमारे यहीं पे एक यूईआर-2 बना, उसके लिए धन्यवाद माननीय मोदी साहब का यूईआर-1 वो भी बनना शेष है और 2001 का मास्टर प्लान है यूईआर-3 पेंडिंग है आधा उसको जोड़ा ही नहीं गया जीटी करनाल रोड से। वो भी एक विषय है। एक खेकड़ा सिटी से युईआर-1 जाएगा, वो जुड़ेगा, टॉनिका सिटी से एक यूईआर-2 जुड़ने वाला था, वो जुड़ा नहीं और यूईआर-2 सीधा वजीराबाद तक लिंक है मास्टर प्लान में।वो भी कार्य शेष है तो उसके साथ साथ वो काम होना चाहिए था। तो नई सड़कों के निर्माण से ट्रैफिक संतुलन बनेगा और ट्रैफिक जाम भी कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा और जगह जगह ट्रैफिक कर्मियों को क्रेन्स का भी उपयोग करना चाहिए। एक 15 किलोमीटर पे एक तैनाती हो ट्रैफिक की क्रेन की ताकि कोई भी गाड़ी खराब होती है तो एक शीघ्र प्रभाव से उसको हटा करके एक साइड में किया जाए ताकि बाकी ट्रैफिक बाधित ना हो और जो भी यात्री या जो भी व्यक्ति जिस अपने गन्तव्य को जाना है उस गन्तव्य तक पहुँच सके। तो एक गंभीर समस्या बनी हुई है ट्रैफिक की दिल्ली के अंदर तो हमको ट्रैफिक जाम मुक्त दिल्ली बनानी है। इसके लिए भी सरकार कोई ना कोई योजना बना रही होगी और मैं चाहूंगा की इस पे कोई हमारे माननीय मंत्री या मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर बयान दें। आगामी कोई योजना बनाई है तो उसके बारे में भी सदन को अवगत कराएं ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री हरीश खुराना जी।

श्री हरीश खुराना: धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती हुई बेसहारा गायों की गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना

चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, आज स्थिति ये है कि मुख्य सड़कों पर, गलियों में, बाजारों में, रिहायशी इलाकों में, यहाँ तक की रिंग रोड के जैसे व्यस्ततम जो रोड्स हैं उस पर भी गायें जो हैं खुलेआम वो लोग छोड़ देते हैं जो इनके जो डेरी वाले हैं वो छोड़ देते हैं। उसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं और जो अचानक सड़कों पे गाय आ जाती हैं उसकी वजह से वाहन चालकों को जो भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई बार बहुत गंभीर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं अध्यक्ष जी। जन सुरक्षा को तो खतरा है ही, जब ये गाय आक्रामक हो जाती हैं कई बार बुजुर्गों को और बच्चों को गंभीर खतरा पैदा हो जाता है ये भी बहुत चिंताजनक विषय है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का गंभीर मामला तो है ही कूड़े के ढेर पे जब ये हमारी गायें उनको खाती है तो उनको गंभीर समस्या उनको भी होती है। तो तमाम तरह की जो परेशानियां हैं इसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ की आवारा गोवंश को पकड़ने के लिए उनके प्रवास के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए। मोती नगर के क्षेत्र के अंदर स्थायी गोशाला का कुछ स्थान बनता है तो उनको एक स्थान की व्यवस्था की जाए। संबंधित विभाग जैसे नगर निगम जो हैं और पशुपालन विभाग को बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ उनको पकड़ने के लिए और अवैध डेरी जो मालिक हैं और जो पशुपालक हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मुझे लगता है कि ये समस्या सिर्फ मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, जबकि पूरे दिल्ली में आज ये समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। पशुपालकों को जो इनके जो डेयरी पालक है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री विजन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री जितेंद्र महाजन जी।

श्री जितेन्द्र महाजन: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय पी डब्ल्यू मंत्री और जल मंत्री का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। पहले एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट के इलाके में काम करता था सड़कों पर तो एक **dig and restore** पॉलिसी थी। डिपार्टमेंट अपना काम करता था और उसको रिस्टोर कर देता था। मगर पिछले कुछ दिनों से ये पॉलिसी खत्म हो गई है और इसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं। सरकार द्वारा जल बोर्ड के काम करने के लिए हमें फंड उपलब्ध करवाया गया। दिल्ली जल बोर्ड ने लाइन बिछाने के लिए पानी की लाइन बिछाने के लिए 80 लाख रूपए का एस्टीमेट बनाया जिसके अंदर खुदाई और पाइप डालना

और उसको रिस्टोर करना ये सब काम शामिल थे। मगर पीडब्ल्यूडी विभाग ने dig and restore पॉलिसी बंद कर दी और पीडब्ल्यूडी विभाग में अब जो उस खुदाई की जो चौड़ाई लेते हैं वो ढ़ाई मीटर लेते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो एस्टीमेट दिया वो डेढ करोड रूपया दिया। 80 लाख रूपए में जो काम जल बोर्ड कर रहा है वही काम के डेढ करोड रूपए पी डब्ल्यू डी ने एस्टीमेट दिया सड़कों को रिस्टोर करने का। तो दो विभागों के अंदर सामंजस्य ना होने का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि दिल्ली में गर्मी आने वाली है और जनता की सुविधा को देखते हुए dig and restore पॉलिसी दोबारा से लागू किया जाए और दो विभागों में कैसे सामंजस्य हो इस पर विचार किया जाए।

सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार की घोषणा

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्यगण मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि डॉक्टर अनिल गोयल को वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चयन किया गया है। उनके नाम को मेरी अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा शॉर्ट लिस्ट किया गया था जिसमें पूर्व सांसद लोकसभा श्री राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व महासचिव लोकसभा श्री पीडीटी आचार्य, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव, विधि श्री रितेश सिंह जी और दैनिक जागरण के संपादक श्री महेश शुक्ला जी शामिल थे। सर्वश्रेष्ठ विधायक के चयन का मापदंड सदन की कार्यवाही में योगदान, समिति की कार्यवाही में योगदान और सदस्य के आचरण नियमों का पालन पर आधारित था। इस पुरस्कार का उद्देश्य उन विधायकों को सम्मानित करना है जो सत्यनिष्ठा, नवाचार और समर्पण का प्रदर्शन करते हुए दूसरों के अनुसरण हेतु एक आदर्श स्थापित करते हैं। उन विधेयकों का सम्मान करके जो सार्थक बहसों में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं, विधानसभा में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं और नागरिक के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ते हैं। दिल्ली विधानसभा शासन के उच्च मानकों को प्रेरित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को सुदृढ़ करने का प्रयास करती है। मुझे विश्वास है कि सर्वश्रेष्ठ विधेयकों के लिए वार्षिक पुरस्कार संपूर्ण विधायी समुदाय के लिए जवाबदेही, प्रेरणा और गौरव का प्रतीक सिद्ध होगा। डॉक्टर अनिल गोयल को एक सम्मान समारोह में प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 51,000 रूपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। समारोह की तिथि तथा अन्य विवरणों की घोषणा पृथक रूप से की जाएगी। मैं एक बार पुन: डॉक्टर अनिल गोयल को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि

यह सम्मान हमारे सभी सदस्यों को सदन की कार्यवाही, समितियों और अन्य संबंधित गतिविधियों में अपने योगदान तथा उपस्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिससे दिल्ली विधानसभा के समग्र कार्य निष्पादन और प्रभाव में और अधिक सुधार हो सकेगा। और मैं ये सभी सदस्यों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जब चयन प्रक्रिया चल रही थी और जो मापदंड तय किए गए थे वो एक पारदर्शी और उसमें जो अंक दिए गए तो जब सूची बनी तो उसमें बहुत सारे विधायक हमारे ऐसे थे जो उस सूची में नजदीक नजदीक हैं तो, लेकिन चुंकि चयन एक विधायक का होना था और उसमें डॉक्टर अनिल गोयल जी को ये सम्मान प्राप्त हुआ। मैं उनको सदन की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पुन: धन्यवाद।

अब सदन पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीया मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित कार्यसूची के बिंदु क्रमांक तीन में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियों सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिंदु क्रमांक तीन में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं।

3. वर्ष 2024-25 हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे की प्रतियां।[1]

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीया मुख्यमंत्री नियम 90 के तहत सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने की परमिशन लेंगी।

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय में नियम 90 के तहत सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सदन की परमिशन चाहती हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

[1] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23615 तथा आर-23616 पर उपलब्ध।

हाँ, पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

सदन द्वारा, माननीया मुख्यमंत्री को संकल्प प्रस्तुत करने की परमिशन दी जाती है।

<u>सरकारी संकल्प(नियम-90)</u>

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने विधानसभाओं में और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम', 2023' पास की और उसके बाद भारत सरकार ने संविधान में संशोधन लाने के लिए 131 वां संविधान संशोधन विधेयक सदन पटल पे पेश करके महिलाओं को आरक्षण यथाशीघ्र लागू करने का उद्देश्य रखा और जब ये विधेयक वहाँ रखा गया, तो विपक्षी दलों ने अपनी संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक को पराजित करने के लिए षड्यंत्र रचा, ना केवल षड्यंत्र रचा, बल्कि इस पूरे विधेयक को गिरा दिया। सदन में गिरा दिया। सभी विपक्षी दलों ने मिलीभगत करके देश की आधी आबादी के साथ अन्याय किया। मैं आज यहाँ यह सदन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाए गए सराहनीय कदमों को विफल करने के विपक्षी दलों के प्रयास की निंदा करता है यह सदन तथा यह सदन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों जिसमें महिलाओं का आरक्षण भी शामिल है, का हार्दिक स्वागत करता है और ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम'' के शीघ्र क्रियान्वयन के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं। अब, जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी द्वारा सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उस पर चर्चा प्रारंभ करेंगी श्रीमती शिखा रॉय जी।

श्रीमती शिखा रॉय: धन्यवाद अध्यक्ष जी, और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, जिन्होंने आज दिल्ली ही नहीं देश भर की महिला का जो दुख और दर्द है उस पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। अध्यक्ष जी, भारत की सभ्यगत परंपरा ने सदैव महिलाओं को नैतिक और सांस्कृतिक शक्ति के केंद्र में स्थापित किया है। शक्ति की आराधना से लेकर गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषियों के बौद्धिक योगदान तक भारतीय चिंतन ने हमेशा महिलाओं की क्षमता और

स्वायत्तता को स्वीकार किया है। फिर भी सांस्कृतिक सम्मान से संस्थागत प्रतिनिधित्व यानि इंस्टिट्यूशनलाइज जो रिप्रेसेंटेशन है, उस तक की यात्रा अभी अधूरी रही है। अध्यक्ष जी, She was never absent from Indian history, but from the rooms where the history was written और यही 17 अप्रैल, 2026 को हुआ जब इतिहास में उसको एक राजनीतिक न्याय मिलना था और विपक्ष की सभी पार्टियों ने मिलकर एक बार फिर उसके अधिकार पर कुठाराघात किया। अध्यक्ष जी, भारत वह देश है जिसने आजादी के तुरंत बाद ही 1950 में एक व्यक्ति एक वोट। यानि पुरुष और महिला को समान वोट का अधिकार दिया। महिला ने सर्वोच्च पद भी संभालना, लेकिन व्यापक प्रतिनिधित्व आज भी सीमित है। आज भी एक बच्ची जब बड़ी हो रही होती है और अपने करियर अपने सपनों की चर्चा करती है उसकी तरफ सचेत होती है तो वह इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स वुमन, आर्मी ऑफिसर, डांसर, कलाकार सब कुछ बनने की बात करती है। पर क्या वे कभी कहती है कि वह नेता बनेगी, सांसद बनेगी, विधायक बनेगी, नहीं, क्योंकि वह जानती है कि इस राह पर अभी उसके पास अवसर नहीं है। वे जानती हैं कि ये एक संघर्ष का रास्ता है। अगर बनना भी चाहे तो भी अपने सपने को कुचल देती है और नहीं तो परिवार या समाज उसे रोक देता है, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में अभी समान तो क्या अवसर भी नहीं है। समान का मतलब पुरुष का मुकाबला पुरुष से स्त्री का मुकाबला स्त्री से। अध्यक्ष जी, भारत की लगभग 50% आबादी महिलाएं हैं, लेकिन लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व मात्र 14-15 परसेंट रहा है और ये प्रतिनिधित्व स्टेट असेंबलीज में तो negligible हो जाता है, लगभग ना के बराबर हो जाता है। ये अंतर उनकी क्षमता की कमी नहीं है, बल्कि अवसरों की कमी है। सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत बाधाओं ने वर्षों तक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सीमित किया है। इस असंतुलन को सुधारना कोई उपकार नहीं था, ये लोकतांत्रिक कर्तव्य था। अध्यक्ष जी, 2014 के बाद के भारत में पहली बार अगर महिलाओं को सशक्तिकरण दिया गया, अगर महिलाओं के बारे में किसी ने चिंता की तो वह मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की, क्योंकि उनके लिए महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं है। 'उज्ज्वला योजना' से सम्मान, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' से सोच में बदलाव, 'जनधन योजना' से आर्थिक सशक्तिकरण, 'मुद्रा योजना' से महिला उद्यमिता और 'स्वच्छ भारत' से गरिमा और इसके साथ ही उन्होंने दिया 2023 का ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम''। ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम'' यानि महिलाओं के लिए समान अवसर या आरक्षण। इस आरक्षण का इतिहास इस देश में हम सब जानते हैं। 1990

में पहली बार इस विषय को लिया गया और कई दशकों तक ये विषय केवल चर्चा में रखा गया, कभी भी इस पर स्पष्ट नीति विपक्षी पार्टियों ने नहीं रखी क्योंकि उनकी सरकारें लगातार इस देश पर राज़ कर रही थी। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री थे जिनकी नियत और नीति महिलाओं को लेकर स्पष्ट थी इसीलिए उनका हर कदम, उनकी हर योजना महिला केंद्रित होती थी और जब महिलाओं को राजनीतिक न्याय देने की बात आई तब 2023 में ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम'' को लाया गया और उसको बिल बनाया गया। अध्यक्ष जी, एक ऐसा राष्ट्र जो इक्कीसवीं सदी में अपनी आर्थिक शक्ति और अपनी सांस्कृतिक आत्मविश्वास के साथ विश्व के नेतृत्व करने की आकांक्षा रखता है, उसके विकास की असली कसौटी यही है कि वो कितना समावेशी है? भारत के लिए यह केवल एक सुधार का समय नहीं है बल्कि संरचनात्मक, structural परिवर्तन का समय है। महिला आरक्षण विधेयक इसी परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक और आवश्यक कदम है। महिला आरक्षण का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन उस समाज का वास्तविक प्रतिबिंब हो जिसकी वह सेवा करता है। यदि आधी आबादी निर्णय लेने वाली संस्थाओं में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं होती है तो लोकतंत्र अधूरा है। प्रतिनिधित्व केवल प्रतीक नहीं होता है ये नीतियों की दिशा और उनके प्रभाव को निर्धारित करता है। भारत के ग्रामीण स्तर पर इसका स्पष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिलने से 14 लाख से अधिक महिलाएं स्थानीय शासन में आई। इसके परिणामस्वरूप जल, स्वच्छता, शिक्षा, सुरक्षा, सामुदायिक विकास जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया गया। महिलाओं ने केवल भागीदारी नहीं की, उन्होंने शासन की प्राथमिकताओं को ही बदल दिया। अब इस परिवर्तन को विधानसभा और संसद तक ले जाना समय की मांग है। महिला आरक्षण केवल संख्या बढ़ाने का विषय नहीं है, बल्कि सोच बदलने का प्रयास है। ये महिलाओं को केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं बल्कि नीति निर्माण की भागीदार बनाता है और हर बेटी को संदेश देता है कि उसके सपनों का स्थान देश की सर्वोच्च संस्थाओं में भी है This bill is not about giving power to women, it is about accepting that they already deserve it. ये अधिकार आज का नहीं है, जो अचानक से उभर करके आया, दशकों से इसके लिए महिलाओं ने संघर्ष किया है। इसीलिए जब 2023 में ये बिल आया और बिल के साथ एक राइडर था कि नई परिसीमन के बाद ही इस बिल को लागू होना है और जब हमारे प्रधानमंत्री जी को ये महसूस हुआ कि अब इस देश की महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण हो चुका है, अब वो तैयार है देश की

राजनीति में हिस्सा लेने के लिए और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अब 2029 से इस बिल को लागू होना चाहिए तो उसके लिए एक संशोधन आवश्यक था। वो संशोधन 131वें संशोधन विधेयक के माध्यम से उन्होंने 16 अप्रैल को लोकसभा में रखा, जिसमें साथ में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का भी प्रस्ताव था। इसका उद्देश्य 33% महिला आरक्षण को 2011 की जनगणना के आंकड़े के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के नए delimitation से जोड़ना था बजाय कि अगली जनगणना की प्रतीक्षा करने के। 2029 से ही आरक्षण मिल जाए, इस उद्देश्य के साथ इस Amendment Bill को लाया गया। लेकिन अध्यक्ष जी, बहुत दुख होता है जब हमने देखा की इंडी अलायन्स के वो पार्टियां जो कांग्रेस के मुखिया के नेतृत्व में चल रही थी, जिन्होंने मिलकर 17 अप्रैल के उस दिन 2026 को इस देश की हर महिला जो सपने देख रही थी, वह हर भविष्य जो उड़ने को तैयार था उसके हर सपनों को चूर चूर कर दिया और अपने चेहरे से नकाब भी हटा दिया और इस संशोधन के खिलाफ़ मतदान किया। ये एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, संशोधन के खिलाफ़ मतदान अगर उन्होंने एबस्टैन भी किया होता तो हम मानते की उनको बिल के कुछ प्रावधनों में दिक्कत है या कोई और तकनीकी कारण उनको समझ आते हैं लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर इस बिल के विरोध में मतदान किया इसका मतलब ये उनका political decision है, ये उनका राजनीतिक निर्णय है, ये उनकी सोच है और विपक्षी पार्टियों का निर्णय क्या है, महिलाओं का विरोध। ये साफ और स्पष्ट उनके इस मत से समझ में आ गया है पूरे देश की महिलाओं को कि कांग्रेस हो, टी एम सी हो, डीएमके हो, सपा हो, कोई भी हो उनका महिलाओं के प्रति यही सोच है कि उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनकी भागीदारी देश की राजनीति में नहीं होनी चाहिए। कभी delimitation के बिल का बहाना, कभी south और north की सीटों का बहाना, कभी मुस्लिम आरक्षण का बहाना, अध्यक्ष जी जिस फॉर्म में ये बिल लाया गया था, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा justified कोई तरीका नहीं हो सकता, कोई न्यायोचित इससे ज्यादा अवसर नहीं हो सकता, जब पुरुषों का हक नहीं कट रहा था, दलित समाज को ज्यादा representation मिल रही थी, जनता को बढ़ी हुई सीट्स पर बेहतर प्रतिनिधित्व मिल रहा था और महिलाओं को राजनीतिक न्याय मिल रहा था। उनको अवसर मिल रहे थे। मैं कहूँगी अध्यक्ष जी कि जो शर्तों में उलझे रहे वो आगे ना बढ़ पाए और जो हिम्मत से खड़े रहे वही इतिहास रच पाए। हमने इस बिल की introduction से पहले social media के platform के माध्यम से, बहुत सारी statements के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को ये कहते हुए सुना कि वो महिला

सशक्तिकरण के पक्ष में है, उनको ये बिल पास होना चाहिए, वो जरूर इसमें हमें ऐसी पूरी उम्मीद थी उनकी बातों से जो उन्होंने convey की कि वो इस बिल के हक में वोट देंगे, लेकिन जब वोट देने की बारी आई, जब actual उसको implement करना था तो उन्होंने उसको अपनी सही नीयत और सही सोच को वहाँ दर्शा दिया। They asked for the right time, sometimes किसी ने बोला समय नहीं है अभी, after 30 years even time is asking. Then what are they waiting for? क्या इतना लंबा समय already इस अधिकार को देते देते नहीं बीत गया है! ये जो technical issues को लेकर इस बिल को गिराया गया, defeat करा गया, क्या वो सुधार से ज्यादा महत्वपूर्ण थी? ये एक ऐतिहासिक कदम था, ये एक ऐसा कदम था जिसने आने वाली पीढ़ियों को, आज के लिए नहीं आने वाली महिलाओं की पीढ़ियों को अवसर देने थे। अध्यक्ष जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल जी को समस्या बिल से नहीं थी, बिल लाने वाले से थी। उनको डर था कि मोदी जी जो महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं, उनको देते रहे हैं वो कहीं इसके माध्यम से महिला अधिकारों के champion न हो जाएं। ये एक ऐतिहासिक सुधार था, जिसे विपक्ष ने राजनीति के चलते रोक दिया, डर था उन्हें कि delimitation के बाद उनकी राजनीति और हाशिए में चली जाएगी, इसीलिए महिलाओं के मुद्दे को ढाल बनाया और ये नहीं सोचा कि जो अधिकार आज से कई दशकों पहले मिलना चाहिए था, आज जब उनके पास अवसर था कि उनके भागीदारी से ही ये अधिकार महिलाओं को मिल सकता था, उन्होंने उस पर महिलाओं को देश भर की महिलाओं को धोखा दिया है। अध्यक्ष जी, जनमानस के भीतर एक स्पष्ट भावना उभरी है लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या तकनीकी आपत्तियां, ऐतिहासिक सुधार और न्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अध्यक्ष जी, अंत में यही कहना चाहूंगी कि देश की महिलाएं अच्छी तरह से अब ये बात को समझ चुकी हैं कि कौन उनके हित की बात करता है और किसने उनके अधिकारों में रोड़ा अटकाया या उनके अधिकारों से उनको वंचित करने के लिए अपने वोट का उपयोग किया। अध्यक्ष जी कांग्रेस पार्टी से तो कभी कभी मैं सोचती हूँ के शायद कम उम्मीद इसीलिए लगती है की उनके यहाँ पर तो उनकी महिलाएं लगभग जितनी आती हैं सब परिवारवाद की राजनीति से आती हैं। किसी के दादा, किसी के नाना, किसी के फादर, ये सब राजनीति में थे तो इसलिए आज वो वहाँ पर हैं। इसलिए वो नहीं जानती हैं कि एक आम महिला का, किसी भी संस्थागत प्रतिनिधित्व पर और खासकर निर्णायक भूमिकाओं में पहुँच पाना कितना बड़ा संघर्ष होता है। ये बात दूसरी है कि रेखा जी सरीखे हम लोग इसलिए यहाँ विधायक हैं की

हमारी पार्टी के भीतर पहले से पार्टी के नेतृत्व ने 33% का आरक्षण हमें संगठन में दिया है। ये उनकी सोच, उनकी नीयत, जो आज से वर्षों पहले हमें ये अधिकार दिया उसके कारण हमें पार्टी अपनी पार्टी में अवसर मिलता है। लेकिन जो दूसरी पार्टियां जिन्होंने विरोध किया अगर संख्या उठा करके देखें, अगर फैक्ट्स उठा करके देखें तो कितनी टिकटें, कितना प्रतिनिधित्व वो अपने यहाँ पर अपनी महिलाओं को देते हैं। आखिर में अध्यक्ष जी दो लाइनें यही कहना चाहूंगी कि इतिहास ये नहीं देखता कि किसने सवाल उठाए, इतिहास ये याद रखेगा की किसने बदलाव का साथ दिया। अब अध्यक्ष जी half of the population of the country cannot be treated like a foot note in democracy.अब हम किताब के उस हाशिए पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जिन्होंने लगातार आने के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में हर बच्ची, हर महिला को हर आयाम पर सशक्तिकरण दिया है, अवसर दिए हैं और उसने उस अवसरों को भरपूर उपयोग कर अपनी क्षमताओं को दिखाया भी है। इसलिए उनके नेतृत्व में हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ये अधिकार हमें मिल करके रहेगा और हम अपनी क्षमताओं को उन स्थानों पर जहाँ से आज हम वंचित हैं पहुँच कर अपनी काबिलियत को साबित भी करेंगी और अपने अधिकार को लेकर के भी रहेंगी और ये जो वोट का अधिकार प्रयोग कर उन्होंने महिलाओं के साथ धोखा किया बल्कि जघन्य अपराध किया है इसका खामियाजा आने वाले हर चुनाव में तब तक उनको भुगतना पड़ेगा। हर पार्टी उस विपक्ष की पार्टी को चुनाव परिणाम में महिलाएं दिखाएंगी की जो उन्हें चुनता है वो उसको चुनेंगी। जब वो सोच समझ कर ये चुन सकती है की किसको चुनना है तो फिर आज ये भी सोचेंगी की किसको नहीं चुनना। इसलिए ऐसा कहते हुए कि आने वाले समय में यह अधिकार हमें जरूर मिलेगा। मैं पुनः एक बार रेखा जी का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने इस विषय को सदन के पटल पर रखा, अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

श्री विजेंद्र गुप्ता(माननीय अध्यक्ष): माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: धन्यवाद अध्यक्ष जी आज आपने मुझे ‘‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’’। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश की आधी आबादी का जो जन्म सिद्ध अधिकार है। आज उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है और हमारा विरोधी पक्ष कहीं न कहीं अपने कुत्सित परिणामों से इस लड़ाई में बढ़-चढ़ कर भाग ले रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है यत्र नारी पूज्यते तत्र रमनते देवता। तो भारत का जो एक इतिहास रहा

है। आज हमें इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी मैं 800 साल पहले की बात करता हूँ। 600 साल इस देश में मुगलों का राज़ रहा। 200 साल अंग्रेजों का राज़ रहा और 50 साल मुगलों और अंग्रेजों के वर्ण संकर कांग्रेसियों का राज़ रहा जिसमें इस देश की जो आधी आबादी महिलाएं जिनको कि हम जगत जननी माँ जगदंबे उनकी प्रतिकृति के रूप में पूरे देश में चार चार नवरात्र इस देश में आते हैं। लगभग सारा देश समर्पण भाव से उनकी पूजा करता है और हम जिस सनातन के अनुयायी हैं। लोग करते हैं बात नारी और पुरुष की तो हमारे सनातन में नारी और पुरुष दो अलग अलग चीजें नहीं हैं एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग अर्धनारीश्वर के पुजारी हैं और मैं ये समझता हूँ जब हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं तो उसमें पुरुष और नारी बेईमानी हो जाती है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि बिना शक्ति के शिव शव के समान है। जो शिव पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि को चलाता है, वो भी शक्ति के अधीन है और शक्ति क्या है माँ जगदम्बा, हम सबकी माँ जिसकी प्रतिकृति हर घर में माँ, बहन, बेटी, बच्ची, पत्नी के रूप में स्थापित है। अगर हम उसके साथ अन्याय करते हैं तो मुझे लगता है इससे जघन्य अपराध और कोई हो नहीं सकता। तो आज अप्रैल के महीने में महिला आरक्षण बिल के ऊपर बहस हुई। लोग कहते हैं कि ये भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी जी इसे राजनीतिक कारणों से लाए हैं, इस तरह के आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ 2014 में माननीय प्रधानमंत्री 650 साल की इस देश की गुलामी के बाद भारत माता का शेर, बब्बर शेर नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने और 2015 में 22 जनवरी 2015 इतने छोटे काल में, हरियाणा में 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' का नारा माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने दिया जिसको कि न केवल आज पूरा देश बल्कि विदेशों में भी इसके विषय में चर्चा होती है। नारी सशक्तिकरण के लिए अनेकों अनेक योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लाई है। जननी सुरक्षा योजना जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ₹6000, उनके और उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में किया। मिशन शक्ति उज्ज्वला योजना जो हमारी माँ बहनें धुएं से टीवी और फेफड़ों की अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो जाती थी, पूरे देश में उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों की संख्या में उनको एलपीजी के सिलेंडर दिए गए। निर्भ या निधि से हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए कार्य किया गया। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, महिला शक्ति केंद्र और जो बेघर लोग हैं समाज में उनको भी जो घर दिए गए हैं वो घर की जो मुखिया जो महिला है, महिला को सशक्त करने के लिए वो महिलाओं को दिए

गए ना कि पुरुष को। तो एक बहुत लंबी सीरीज है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का कार्य पूरे देश में सुचारू रूप से चल रहा है। महिलाएं आधी आबादी हैं, 50 परसेंट हैं उनको 50 परसेंट ना देकर 33 परसेंट आरक्षण का प्रावधान किया गया। 2023 में बिल आया और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का ये मंतव्य है कि 2029 के आने वाले आगामी चुनाव में ये जो one third reservation है ये लागू हो जिससे की जल्द से जल्द जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण में एक और मील का पत्थर स्थापित हो। लेकिन जो विपक्ष है देख भर में विपक्ष है। मैं एक जगह पढ़ रहा था सोनिया जी ने यह कहा कि महिला आरक्षण राजीव जी का सपना है, या सपना था। तो राजीव जी का जो सपना था राहुल बाबा तो उसके बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं और आज इस बिल को गिराने के बाद जो अट्टहास विपक्ष लगा रहा है उसको देखते हुए याद आता है महाभारत में कौरवों के द्वारा जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और पूरी सभा मौन बैठी थी, कोई ऐसा शूरवीर नहीं था के जो खड़ा होकर उस कार्य की निंदा करता है या उसको रोकता। ऐसे समय में भगवान कृष्ण को अवतरित होना पड़ा और उन्होंने द्रौपदी जी के साथ जो कुकृत्य हो रहा था, जो कलंक लगने वाला था उससे उन्होंने उसकी रक्षा की। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला, आने वाले समय में कौरवों का समूल नाश हो गया। 100 से ऊपर भाई, लाखों की सेना, सब मिट्टी में मिल गई। तो जब आप जगत जननी जगदंबे की प्रतिकृति किसी भी रूप में हो माँ, बहन, बेटी के जब जब उसका अपमान होता है, जब जब उसका रास्ता रोकते हैं, जब जब उसके अधिकारों का हनन होता है, तो समाज में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई। आज हमारे यहाँ, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं हमारी सीएम वो भी माँ जगदंबा की प्रतिकृत के रूप में देश की आधी आबादी उनके समर्थन में आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और मैं तो बहन जी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यह आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50 किया जाए क्योंकि उनकी संख्या आधी है। हम बड़े-बड़े छुट भैया पॉलिटिकल पार्टियों के बयान सुनते हैं वो क्या कहते हैं जितनी हमारी आबादी है उतने संसाधन हमको दो। तो भाई जब वो अपने लिए आबादी के अनुसार संसाधन पर कब्जा करने की बात करते हैं तो अपने मांगने के लिए उनका पैमाना अलग है और जो आधी आबादी जिसमें की वो भी शामिल हैं उसमें जब उनको आरक्षण के द्वारा, सशक्तिकरण के द्वारा, जब उनको देने का प्रयास होता है तो वो इसका विरोध करते हैं। तो ऐसे मतिमंद लोग इसको भारत की जनता देख रही है और देखने के साथ साथ समय आने पर देश की जनता जो कुकृत्य

वो कर रहे हैं उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी और हम सभी जो शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति तो नारी का स्वरूप है और उसका स्वरूप हर घर में है तो ये विपक्ष के लोग अपने घर में रहने वाली माँ, बहन, बेटी, बच्ची सबके साथ जो अन्याय कर रहे हैं इसको पूरी दुनिया देख रही है इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक पाप वो कर रहे हैं और इस पाप की उनको सजा मिलेगी। मैं आज अध्यक्ष जी को, माननीय सीएम महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को आप अपने इस हाउस में लाए और बहुमत से पूरी ताकत के साथ आप इसको पास करें और साथ साथ मेरा आपसे ये निवेदन है अगर टेक्निकली संभव हो तो इसको वन थर्ड से 50 परसेंट की लाइन इसमें लिखी जाए। जय हिन्द, जय भारत।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अजय महावर जी।

श्री अजय महावर: धन्यवाद अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के माध्यम से, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, देश के गृह मंत्री जो इस 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के पायलट मंत्री रहे उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। जिन्होंने लीक से हटकर जब लगा कि महिलाओं को उनका सम्मान और अधिकार प्राप्त करने में कुछ देर लग पाएगी तो उन्होंने इसके लिए भी दो संशोधन बिल को लाने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, ये बिल केवल सत्ता का नहीं था, महिला सशक्तिकरण का था। विरोध करना बहुत आसान है लेकिन बदलाव लाना मुश्किल है और हमारी सरकार बदलाव लाने के काम कर रही थी। आधी आबादी को उसके लोकतंत्र का अधिकार दिलाने का काम कर रही थी। राजनीति से ऊपर उठ कर हमने तब भी इसका समर्थन किया था जब कांग्रेस किसी जमाने में राज्यसभा में इसको लेकर आई थी। लेकिन राज्यसभा में जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया तब लोकसभा में कांग्रेस दुम दबाकर भाग गई थी क्योंकि उसकी नीयत ही नहीं थी कभी, ना तब नीयत थी, ना अब नीयत है। यह केवल कानून नहीं आधी आबादी को उसका अधिकार देने का संकल्प पत्र लेकिन दुर्भाग्य है कि जब देश आगे बढ़ रहा है तब कुछ लोग सवालों के घेरे को अवरोध बना करके और आधी आबादी के उनके अधिकारों को देने में अवरोध पैदा कर रहे हैं। जब आर्टिकल-106 के तहत 2023 में ये आया तब सेंसेस और परिसीमन के कारण देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को लगा कि महिलाओं को उनका अधिकार बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है और ये अभी 2029 में संभव नहीं होगा तब एक साइंटिफिक फॉर्मूला के तहत और पहले बात

करके लेकर आए। आर्टिकल 55, 81, 82, 172, 330, 332 और 33-ए के तहत संशोधन प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन इन लोगों ने तरह-तरह के बहाने किए। कुछ लोगों ने कहा कि दक्षिण भारतीयों के साथ इसमें धोखा हो रहा है। अरे धोखा तो कांग्रेस ने दिया जिन्होंने बरगलाया आपको, धोखा तो आप खा रहे हैं क्योंकि जब माननीय गृह मंत्री जी ने देश के सदन के सामने आंकड़े रखे और वो आंकड़े राज्यवार रखे कि किस प्रकार कर्नाटक में दक्षिण में 28 में से 42 सीट हो जायेंगी जो 5.5%, 5.14 से हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में 25 से 38 सीट हो जायेंगी, 4.6% से 4.65% हो जायेगा, तेलंगाना 17 से 26 प्रतिशत 3.13 से 3.18, तमिलनाडु, 39 से 59 सीट हो जायेंगी, केरल 20 से 30 हो जाएगी और प्रतिशत में भी सब ज्यादा यानि कुल मिलाके दक्षिण का पूरा राज्य 129 सीट से 195वे सीट हो रही थी और प्रतिशत भी 23 पॉइंट क्षेत्र से 23.97वे यानि 23.97% बढ़ रही हैं उनके अधिकार बढ़ रहे थे जबकि सेन्सेस से ये अधिकारों में इतना नहीं आ पाएगा लेकिन जब अपने ही पैर पे कोई कुल्हाड़ी मारे तो क्या करें। समाजवादी पार्टी आज बयान दे रही थी, उनका भी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही थी ये आम आदमी पार्टी की सरकार। जिन्होंने कभी भी इन्होंने तो हमेशा ही नारी विरोधी काम किया। एकमात्र महिला सांसद थी इनकी स्वाति मालीवाल, उनको अभी घर में आके पिटवा भी दिया और राज्यसभा में उनकी आवाज भी बंद कर दी, जिसके कारण विरोध स्वरूप उन्होंने छोड़ना मुनासिब समझा, ये तो इनकी हालत है। अभी संजय सिंह जी भी कह रहे थे जाति जनगणना नहीं हो रही जी देख लो जाति जनगणना नहीं हो रही तब माननीय गृह मंत्री जी ने बताया की अभी जनगणना में मकानों को गिना जा रहा है। ऐसी दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं कि मकानों पर जाति हो।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: शांत-शांत प्लीज।

श्री अजय महावर: तो देखो, ये आ गये ढोल के पोल जिन्होंने नारियों का कभी सम्मान करना नहीं सीखा चोर दरवाजे से विरोध करते हैं।

....व्यवधान....

श्री अजय महावर: ये वो लोग हैं जिनके एमएलएस ने, जिनके मंत्रियों ने एक राशन कार्ड बनाने के लिए महिलाओं के साथ रेप जैसा घिनौना अपराध किया था। ये वो लोग है जिनके मंत्री अभी जेल काट रहे हैं। महिलाओं के शोषण के आरोप में, एक महिला आत्महत्या करती है और वो

लिखकर जाती है इनके एमएलए के नाम सुसाइड नोट में, ये बेशर्म लोग आज आकर के यहाँ हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। परिसीमन का झूठा नैरेटिव गढा और तरह-तरह की बातें गुमराह करने की ये लगातार करते रहे। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी ये इनको भरोसा नहीं हो रहा। नीतियों में संतुलन आएगा, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता होती है इन नीतियों से ज्यादा संवेदनशील और संतुलित बनेगी, सामाजिक सोच में बदलाव आएगा। महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तो लड़कियों के प्रति नजरिया बदलेगा और इन्होंने कहा कि भई अभी इतनी महिला तैयार नहीं है। हमने तो अपनी पार्टी में भी 33% का आरक्षण रखा है, आप भी करें किसने मना करा है।

....व्यवधान....

श्री अजय महावर: और, और, और हमने तो 33% पार्टी के संगठन के अंदर भी आरक्षण रखा है और पंचायतों में 50% जब लागू किया गया तो हमारे देश में इतनी पंचायत की प्रमुख कुशल नेतृत्व के रूप में सामने आई हैं और देश की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू जी एक महिला आदिवासी है, कुशल रूप से देश को चला कर बता रही हैं। आज देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने देश को आर्थिक पायदान पर पूरी दुनिया में चौथे पायदान पर खड़ा कर दिया। आज हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट देकर बता दिया कि महिलाओं के हाथ में किस प्रकार राज्य और देश सुरक्षित होता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय 3 अक्टूबर, 2005 को अब्दुल कलाम जी जब तीन यूनिवर्सिटी के कॉमन प्रोग्राम को कंबाइंड रूप से यूनिवर्सिटी में कन्वर्सेशन कर रहे थे, तब एक लड़की ने पूछा था मुंबई की लड़की ने की “What is the future of women in Indian politics When all the parties opposing the women bill?” तब उन्होंने तब भी कहा था की ये सिर्फ समय की बात है सफलता संघर्ष के बगैर नहीं मिलती। आप कलैक्टिव संघर्ष करो, समय आएगा, सफलता निश्चित मिलेगी लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इनका महिला विरोधी चेहरा सामने आया है देश देख रहा है, नारी शक्ति देख रही है। दिल्ली की बेटियां भी कहती हैं कि कब हमारी बेटी को भी सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, कब उसको अवसर मिले जब वो सिर्फ लाभार्थी नहीं निर्णय की भूमिका में आए, विधानसभा में आए, संसद में आए, नारी अपना निर्णय लेने का अधिकार चाहती है लेकिन आज आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इनका गठबंधन का चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। एक बात कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा की अब नारी हर मुकाम पर अपना हक पाएगी, अब नारी हर मुकाम पर अपना हक पाएगी, ये

आप वाले हौसलों की उड़ान रोक नहीं पाएंगे, जो आज सिर्फ सवालों में उलझा रहे हैं, नारी विरोधी कल इतिहास के कूड़ेदान में फेंके जाएंगे, कूड़ेदान में फेंके जाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य डॉक्टर अनिल गोयल जी।

....व्यवधान....

डॉ. अनिल गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम'' जो होने वाला था 2029 में, इसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने वाले थे, उसमें विपक्ष का दोहरा चेहरा इसके against करने से expose हो गया। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह जी ने देश की करोड़ों माताओं बहनों के चरणों में जो समर्पित किया था, उस बिल पर मैं बात करना चाहता हूँ। ये किसी वर्ग की बात नहीं है अध्यक्ष जी ये भारत की आधी शक्ति की बात है और मैं बार-बार सुन रहा था की किस प्रकार से हर, ओमप्रकाश जी भी कह रहे थे मैं भी उस विधानसभा से आता हूँ जहाँ हर घर में शक्ति विराजमान है लेकिन आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा मन क्रोधित और आक्रोशित है और मुझे अच्छा है कि आज उसको सुनने के लिए कुछ विपक्ष के सदस्य भी यहाँ अभी-अभी आए हैं। ये नारी शक्ति के ऊपर उपकार की बात नहीं है। ये बड़े सामर्थ्य की, संसद विधानसभा में निर्णय लेने के अधिकार की बात है और ये देश के विकास की बात है। अध्यक्ष जी, आधी आबादी को जब उसका पूरा हक मिलने वाला था तो टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके, एसपी जैसी पार्टियों ने अपनी वर्षों पुरानी, महिला विरोधी मानसिकता का परिचय दिया। अध्यक्ष जी विधानसभा में निर्णय का अधिकार देकर देश की विकास की गति को रोका गया है। विपक्ष ने शोर मचाया 543 सीटों पर 33% आरक्षण कर दो। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ आज देश ने 147 ऐसी लोकसभा है जहाँ 23 लाख से 47 लाख तक जहाँ की पोपुलेशन है तो बताइए एक सांसद किस प्रकार से इस जनसंख्या के साथ न्याय कर सकता है जवाब है, emphatic no, नहीं कर सकता। 1976 में जब 543 सीटें फ्रीज़ की गई अध्यक्ष जी तब देश की आबादी मात्र 54.9 करोड़ 55 करोड़ के करीब थी। आज हम 140 करोड़ हैं ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो technical reasons दे रहे थे। सीटों का बढ़ना एक संवैधानिक और तार्किक प्रक्रिया है, इसमें विपक्ष में एक नया मुद्दा जोड़ा नॉर्थ-साउथ डिवाइड का डर। मेरे भाई अजय महावर जी ने अभी बताया तमिलनाडु राज्य से ये हर राज्य में जब 50% सीटें बढ़नी थी तो हर राज्य की भागीदारी 1 से 2 परसेंट बढ़

रही थी जैसे कि तमिलनाडु में महिलाओं की भागीदारी 23 से 24 परसेंट हो जा रही थी। अब आप अगर इतिहास में जायें किसी भी बिल का और पुराने इतिहास में जायें तो ये कांग्रेस का छल या पार्टियों का छल पता चलता है। 1996 में देवेगौड़ा सरकार ये बिल लाई, फिर 1998-99 में अटल बिहारी जी की सरकार ये लाई लेकिन तब विपक्ष ने संसद में बिल की कॉपियां फाड़ दी थीं। 2010 में यूपीए सरकार के समय यह बिल राज्यसभा में तो पास हुआ लेकिन लोकसभा में कांग्रेस ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि उनको डर था महिलायें सत्ता में आएंगी तो उनका पुरुष प्रधान वंशवाद खत्म हो जाएगा। पंचायतों में आप 50% दे देते हो पंचायत के आगे अब विधानसभा संसद में नहीं जाने दे रहे इसका मतलब आपको अपनी सत्ता का डर है पूर्व सत्ता का डर है। विपक्ष के लिए अमित शाह जी ने कहा संसद में महिला सशक्तिकरण एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है लेकिन बीजेपी के लिए मोदी जी के लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है एक मान्यता का मुद्दा है। अब ये राहुल गाँधी जी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, उन लोगों को आज मोहब्बत की दुकान चलाने का ढोंग कर रहे हैं और उनकी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वोट बैंक समझा और राहुल जी जिन महिलाओं की चिंता होती तो मैं पूछना चाहता हूँ जब मोदी जी ट्रिपल तलाक जैसा दंश खत्म कर रहे थे, तब आपकी मोहब्बत कहाँ थी। जब उज्जवला के जरिये 10 करोड़ माताओं के फेंफड़ों को धुयें से बचाया जा रहा था तब आप विरोध क्यों कर रहे थे। सच्चाई यह है कि इनका राजनीतिक अवरोध देश की प्रगति से इनका कोई लेना-देना मतलब ही नहीं है इस बात से मतलब है कैसे मोदी जी को रोका जाये और इस चक्कर में इन्होंने देश की करोड़ों बेटियों के अधिकार पर चोट की है। दलहित और स्वार्थ की राजनीति को राष्ट्र से ऊपर रखा है माननीय मोदी जी ने संसद में कहा मैं उसको कोट करता हूं। आप सोचिये नारी हित का प्रस्ताव गिरने पर ये परिवारवादी पार्टियां तालियां नहीं बजा रही थीं टेबल पर थाप नहीं महिलाओं के आत्म सम्मान पर चोट कर रहीं थीं। मोदी जी ने कहा मैं इस समय रिपीट करना चाहता हूं "देश की नारी अपमान कभी नहीं भूलती तो ये लोग जब कल वोट मांगने जायेंगे जो इधर बैठे हैं तो वो किस प्रकार से वोट मांगेंगे ये देश देखेगा, ये देश देखेगा।" मैं तो कहता हूँ कि महिला आरक्षण विरोध, संविधान निर्माताओं की भावनाओं का अपमान, संविधान और नारी शक्ति के अपराधी है ये इंडी अलायंस जिन्होंने देश को भी गुमराह किया है। पहले इनका पुराना रास्ता अंग्रेजों का कांग्रेस का बांटो, राज़ करो ये अब नहीं चलने वाला है। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी ने कहा मोदी जी ने विशेष रूप से कहा क्रेडिट आप ले लो, महिलाओं का अधिकार मत छीनो। लेकिन साथ में अमित शाह जी ने

कहा कि ये जब विपक्ष ने कहा कि आप 50% सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं तो वो अमित शाह जी ने साफ कहा तो अगर आपकी नियत साफ है तो हम 1 घंटे में 50% आरक्षण का बिल लाते हैं क्या आप समर्थन करेंगे? इसका किसी ने समर्थन नहीं किया इस परिवारवादी पार्टियों ने चाहे वो डीएमके हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, सबने चुप्पी साध ली क्योंकि ये इनकी महिला विरोधी मानसिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। मोदी जी की गारंटी के बाद भी नहीं माने, आज भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में कह रही है, साडा हक ऐथे रख। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही कहा था कि शायद ईश्वर ने ऐसे पवित्र कामों के लिए ही मुझे चुना है, उनके लिए राजनीति नहीं, यह वंदन है। जहाँ महिला सत्ता में होती है, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ किस प्रकार दिल्ली की चिंता माननीय मुख्यमंत्री कर रही हैं, मैं तो अपनी विधानसभा में देखता हूँ कि करोड़ों रुपए लग रहे हैं गरीब कल्याण में वहां मातृत्व का भाव है, श्रृद्धा का भाव है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसी अपनी मुख्यमंत्री को। इतने बड़े सामर्थ्य को वंचित किया जा रहा है देश की सेवा करने से संसद और विधानसभा में आने से। मैं इस सदन के माध्यम से एनडी अलाइंस की घोर निंदा करता हूँ, जिन्होंने इस बिल को रोका और साथ ही अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी से आग्रह करता हूँ आप इसे फिर लाइए देश की महिलाएं आपके साथ चट्टान की तरह खडी हैं। 2029 में हम सदन में 33% माताएं बहनों को बैठा देखेंगे ये हम लोगों को आज का इस सदन का संकल्प होगा। मोदी जी, अमित शाह जी ने दिखाया अध्यक्ष जी की राजनीति इच्छा शक्ति से चलती है, नए अवसर नए उड़ान बाधाएं हटाने का महायज्ञ। गलत नियत से एक पवित्र प्रयास को रोका गया। समय की मांग है कि भारत की विकास यात्रा में, जिसकी भ्रूण हत्या की गई उस नारी को जोड़ने का प्रयास, राज्य की शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया गया, ये माननीय मोदी जी ने कहा। मोदी जी की सरकार ने न केवल बिल लाया बल्कि संसद के नए भवन में सबसे पहले श्री गणेश किया । 33% का मतलब आज 181 महिलाएं संसद में होती,

(समय की घंटी)

डॉक्टर अनिल गोयल: ये लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव है। कुछ और बहाना बनाया केंद्र कोटा, देरी का बहाना बिलकुल लटकाने, भटकाने की साजिश रही। अमित शाह जी ने स्पष्ट किया कि जनगणना परिसीमन डी लिमिटेशन एक संवैधानिक प्रक्रिया है। बिना उसके बिल को लागू करना कानूनी रूप से कमजोर होता। मैं दिल्ली के अगले 2 मिनट कृपया दीजिए दिल्ली की डबल इंजन विचारधारा सशक्त नारी, सशक्त दिल्ली क्या किया है दिल्ली में एक हमारी माननीय

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, ये उनकी बातों से नहीं उनके बजट में दिखती है। दिल्ली की मातृ शक्ति को सशक्त करना 7406 करोड़ का बजट केवल और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए समर्पित किया है, यह कोई चुनावी रेवड़ी नहीं है, ये सशक्तिकरण का निवेश है, एक इन्वेस्टमेंट है। हमारी उज्ज्वला की बहनों को होली, दिवाली निशुल्क गैस सिलिंडर उनके रसोई के बजट को सम्मान देता है। लखपति बिटिया योजना के द्वारा हम बेटियों के जन्म से लेकर उनके भविष्य तक को सुरक्षित कर रहे हैं। मेरी पूंजी, मेरा अधिकार जो उन्हीं का पैसा था 190 करोड़ रूपये ये विपक्ष के मेरे साथी है, 70,000 से ज्यादा बेटियों को हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया 190 करोड़ रूपये उनका हक दिलाया, जो सालों से लंबित था।

(समय की घंटी)

डॉक्टर अनिल गोयल: आज 5 लाख से ज्यादा महिलाएं सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड के जरिए 1.3 लाख बेटियां निशुल्क साइकिल दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी, रानीहाट, ग्रीन हीटरों, स्कूल-कॉलेजों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन ये केवल सुविधाएं नहीं है

माननीय अध्यक्ष: चलिए कंक्लूड कर दीजिए अब।

डॉक्टर अनिल गोयल: महिला की गरिमा और सुरक्षा का कवच है।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद।

डॉक्टर अनिल गोयल: अध्यक्ष जी, बस एक आवाज ''नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान'', ये मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ। ये नारा नहीं है, दिल्ली की गलियों में गूंज है दिल्ली की हर विधानसभा में एक एक महिला देख रही है कि कौन उनके साथ खड़ा है, कौन उसके रास्ते में कांटे बो रहा है। जो आज बिल के रास्ते में खड़े हैं, वही महिलाएं उनको सत्ता के रास्ते से बाहर करेंगी।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद।

डॉक्टर अनिल गोयल: भारत की बेटियां मोदी जी के साथ अपने पंखों को मजबूती देने के लिए तैयार है। तारीख तय है, नीयत साफ है, मोदी जी के गारंटी पत्थर की लकीर है। आइए हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाए जहाँ महिलाएं केवल सम्मानित नहीं निर्णय कर्ता बने । मैं इंडी

अलायंस द्वारा इस बिल को संसद में पास न होने की निंदा करता हूँ, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी कानून बनाया जाए। जय हिन्द जय भारत, भारत माता की जय।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झा: बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। अभी मैं दो सदस्यों को सुन रहा था और दो ये सदस्य कह रहे थे कि ये जो बिल है ये बिल अपोजिशन ने रोका। पहली बात कि जो आप कर रहे हैं वो देश समझ रहा है और जो आप समझाने की कोशिश कर कर रहे हैं वो अपोज़िशन और देश नहीं समझना चाह रहा। कारण ये है कि आपकी मंशा और आप जिस तरह से इस बिल के नाम पर ना केवल इस देश की मातृ-शक्ति को आप जनतंत्र के ढांचे को भी आप खत्म करने की एक साजिश और कोशिश कर रहे हैं। संविधान के 106 में संशोधन में ये बिल पास हुआ और सर्वसम्मति से पास हुआ और दोनों सदनों में पास हुआ। तो फिर ये संशोधन की आनन-फानन में जरूरत क्या थी। अगर आपकी मंशा वास्तव में बिल पास कराने की होती तो आप विपक्ष के साथियों को बैठाते, बात करते, बातचीत करके बिल लाते। आपकी मंशा बिल पास करने की नहीं थी। आपकी मंशा नाटक करने की थी नाटक करने के लिए इसलिए थी कि आपकी मातृ संस्था है आरएसएस। जहाँ आज तक किसी महिला को जगह नहीं मिला और मुझे तो कई लोगों ने कहा,....

.....व्यवधान.....

श्री संजीव झा: अच्छा नाम बता दीजिए, एक सर सर संचालक का नाम बता दे, एक सर संचालक का नाम बता दें।

.....व्यवधान.....

श्री संजीव झा: एक, एक, सबसे ज्यादा वो उछल रहे हैं जो पहली बार सदन में आए हैं और सीनियर साथी हैं जिनका कि आरएसएस से नाता और रिश्ता रहा है।

.....व्यवधान.....

श्री संजीव झा: अब चुप करा दीजिए। चुप करा दीजिए, अध्यक्ष जी, ऐसे तो फिर टाइम काउंट होता रहेगा। हमने तो नहीं बोला है, हमने तो नहीं बोला है।

माननीय अध्यक्ष: आप भाषा का प्रयोग.....

.....व्यवधान.....

श्री संजीव झा: मंशा मंशा समझाना, मंशा समझाना बहुत जरूरी है। कितनी मिर्च लग जाती है।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष: चलिए बैठिए-बैठिए।

श्री संजीव झा: जब ये बात करो आप इंटेंशन की तो मिर्ची कितनी लगती है?

माननीय अध्यक्ष: आप आगे बढ़िए, थोड़ा शब्दों का संयम रखिए, शब्दों का संयम रखिए, बैठ जाइए। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए, आप बैठिए।

श्री संजीव झा: अरे मंत्री नहीं बनने वाले, शांत रहो मंत्री नहीं बनने वाले।

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री संजीव झा: मंत्री बन गए हैं।

माननीय अध्यक्ष: जी।

श्री संजीव झा: तो बस-बस मैं इतना कहना अरे आपका संघ से क्या रिश्ता नाता था भाई आप तो कांग्रेस से आए हो, बैठ जाओ। अरे कांग्रेस का संघ से रिश्ता नाता नहीं है, जबरदस्ती ना करो। तो आज तक, आज तक।

माननीय अध्यक्ष: देखिये ये आपको विषय की जानकारी नहीं हो तो उस विषय पे आप मत बोलिए तो अच्छा है क्योंकि राष्ट्रीय स्वंसेवक संघ में राष्ट्रीय सेविका समिति एक महिला संगठन है राष्ट्रीय सेविका समिति तो उसकी अध्यक्षता जो है, ठीक है ना तो आपको जानकारी नहीं है, आप अपने विषय में बात करिए, बस ठीक है बैठ जाइए।

श्री संजीव झा: अच्छा, अच्छा बस अच्छा मैं बस मेरा बस एक सवाल है।

माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। उनको जानकारी नहीं है उनको स्पष्ट कर दिया।

श्री संजीव झा: अच्छा आप उस समिति का नाम बता दो जो संघ में है, मान लूँगा।

माननीय अध्यक्ष: उनको मैंने को स्पष्ट कर दिया है। उनको जानकारी नहीं है उस विषय की बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, चर्चा को आने बढ़ने दीजिए।

श्री संजीव झा: उस समिति का नाम बता दें जो महिलाओं की समिति है। अच्छा मेरा बस इतना कहना था जो लोग जो लोग उछल रहे थे कि क्या कोई सर संचालक महिला बनी, समितियां तो बहुत बनती हैं। नाम बता दो। नाम बता दो। नाम बता दो।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अरे भई आप अपनी बात आगे बढाइये ना। आपको जानकारी नहीं है तो आप ऐसे ही बहस कर रहे हैं। आप अपनी बात आगे बढ़ाइए।

श्री संजीव झा: अच्छा अध्यक्ष जी हम तो यहाँ ज्ञान अर्जन करने आए हैं हम तो यहाँ ज्ञान अर्जन करने आए हैं देखो...

....व्यवधान....

श्री संजीव झा: ये जो लोग बैठे हैं यहाँ, ये जब बात करते हैं अच्छा, मैं उससे अलग बताता हूं कि भाजपा के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बनी जरा उनका नाम बता दीजिए। बड़ी मुश्किल से 21 राज्यों में सरकार। 21 राज्यों में सरकार, सुनिए ना...

....व्यवधान....

श्री संजीव झा: सुन तो लो 21 राज्यों में सरकार एक महिला मुख्यमंत्री, वो भी आधे अधूरे राज्य का । तीसरी बात, मैं अब नियत की बात कर रहा हूँ। लग रही है ना मिर्ची, लग रही है ना मिर्ची अभी तो शुरू ही किया है, अभी तो शुरू ही किया है, अभी बहुत कुछ पोल खोलना है। तो बस अभी तो हमने शुरू ही किया है, शुरू ही किया है सुनने की क्षमता, जनतंत्र में सुनना, बोलने का अधिकार देना, मानते हैं जनतंत्र को कि नहीं मानते हैं? संविधान को नहीं मानते आप लोग, लेकिन सुन लो। तीसरी बात, मुझे ये लगता है जो अंकिता भंडारी को न्याय ना दे पाए, सेंगर को संरक्षण देने वाला, बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देने वाले लोग अगर महिला न्याय की बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि कोई कोई हिंसक आदमी अहिंसा की बात करता है। खैर, खैर, खैर, खैर।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: रवि जी बैठ जाइए।

श्री संजीव झा: मुझे ये लगता है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बारी में अपने समय में रिप्लाई करिये।

श्री संजीव झा: देखिए अगर आप इसी तरह से चलाना चाहते हैं सदन को और इस तरह से सदन तो चलेगा नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात जारी रखिए ना समय ...

श्री संजीव झा: तो बस मेरा, मेरा अध्यक्ष जी ये कहना।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए, ओम प्रकाश जी। बैठ जाइए, बैठ जाइए।

श्री संजीव झा: रूल सब के लिए, अब ये बोल सकते हैं? यही है जनतंत्र। यही है सदन की मर्यादा। खैर। तीसरी बात, देखिए मुझे ये लगता है कि जब 2023 में ये बिल पास हुआ। आनन फानन में कई राज्यों में सरकारों थीं और इनको पता है कि पूरे देश में, ना केवल देश की जनता, महिलाएं इनके खिलाफ़ हैं। तो आनन फानन में एक बिल लाने को कोशिश इसलिए की गई कि मुझे कई लोगों ने कई जानकारों ने और सूत्रों ने मुझे बताया कि जैसे ही 2023 में ये बिल पास हुआ, आपकी मातृसंस्था आरएसएस बहुत नाराज हुई। उन्होंने कहा, महिलाओं को ये अधिकार दिया क्यों जा रहा है? तब ये संशोधन लाकर, उनको पता था कि ये संशोधन पास नहीं होने वाला है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब आप बैठ जाइए, बैठ जाइए।

श्री संजीव झा: इसिलिए संशोधन लाया गया और संशोधन ला करके देश को गुमराह करने की कोशिश की गई।

(समय की घंटी)

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइये, धन्यवाद माननीय, बैठ जाइये, बैठ जाइये समय हो गया है। अब विषय से भटक, नहीं आप सदन को गुमराह करने की अगर स्टेटमेंट देंगे तो फिर उस पर।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: आप मुद्दे पे बात करिए। अगर आप सदन के समक्ष गुमराह करने वाले।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: आप कांग्रेस, ये कांग्रेस को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ना? आप कांग्रेस को रिप्रेसेंट कर रहे हैं क्या, कांग्रेस को रिप्रेसेंट कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी को कर रहे हैं ना? तो आप आम आदमी पार्टी के एंगल से बोलिए।

सुश्री आतिशी, माननीय नेता प्रतिपक्ष: अध्यक्ष महोदय, ऐसा नियम बना दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: 1 मिनट। मैं आधा मिनट आपको और दे रहा हूँ। संजीव झा जी का माइक खोल दें।

श्री संजीव झा: अध्यक्ष जी मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को, उनके नियत को, उनके चाल को, उनके चरित्र को मैं सदन में रखना चाह रहा हूँ कि आखिर ये संशोधन उनको भी पता था कि आप जो संशोधन ला रहे हैं, इस संशोधन से इस बिल का नुकसान होने वाला है। ये संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? अचानक जरूरत पड़ी और अगर आपको संशोधन लाना था तो वर्तमान में जो 542 सदन के सदस्य थे लोकसभा में या जहाँ जहाँ चुनाव होने वाला है आप दे देते उसी में रिजर्वेशन, क्यों नहीं दिया आपने? भई देश की संसद से ये कह रहा है।

(समय की घंटी)

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: चलिए बैठिये हो गया आपका, धन्यवाद।

श्री संजीव झा: कि पहले ... और एक बात अंतिम बात मैं कह देता हूँ अध्यक्ष जी अगर आपकी नीयत इतनी ही अच्छी थी, बंगाल के चुनाव में टी. एम. सी. ने 27% महिलाओं को दिया। आप दे के दिखा देते ये बिल जरूरत है क्यों? अगर आप महिलाओं को अधिकार देना चाह रहे हैं जहाँ जहां चुनाव, देना पडा महिला आरक्षण । ये जो बिल के आड़ में छुपकर के आप नाटक कर रहे हैं ये नाटक देश समझ रहा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: चलिए धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती पूनम शर्मा जी।

श्रीमती पूनम शर्मा: धन्यवाद, अध्यक्ष जी। आज इस सदन में। जो नारी सशक्तिकरण अधिनियम आया उसके लिए अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि जो इतना महत्वपूर्ण संकल्प सदन के समक्ष उन्होंने रखा और अभी मेरे बड़े भाई। बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगी राष्ट्रीय स्वयंसेविका संघ के अंदर महिलाएं हैं। लक्ष्मीबाई कालेकर जी ने शुरुआत करी थी और आज जो प्रेजेंट में है वो सशक्ता जी हैं। आपको पता होना चाहिए अगर आपको हमारे अगर आपको हमारे संघ से इतना ही प्यार है तो झंडेवालान में जाके आप पूरी शिक्षा और दीक्षा वहाँ से ले सकते हो। आपका आपका एक सेकंड, संजीव जी, प्लीज़। आपने बोला हमने सुना अब मैं जो कह रही हूँ आप सुनिए, अगर आपको हमारे संघ इतना ही प्यारा लगता है तो मोस्ट वेलकम आप आइए शिक्षा और दीक्षा हम आपको दोनों की दोनों देंगे और आज 33% वुमेन रिजर्वेशन, मैं कहूं ये आरक्षण कोई

....व्यवधान....

श्रीमती पूनम शर्मा: आप सुनिए तो सही। आरक्षण कोई साधारण मुद्दा नहीं था, यह न्याय का प्रश्न था और समानता का प्रश्न और भारत के भविष्य का प्रश्न था जब देश की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे वो शिक्षा हो, सेना हो, विज्ञान हो और खेल हो। हर जगह अपना परचम लहरा रही है तो राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व क्यों नहीं? अध्यक्ष महोदय हम हर बारी बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं लेकिन जब उसके निर्णय और उसके अधिकार की बात आती है तो अपने मुँह पे चुप्पी साध लेते हैं। जब बड़े बड़े मंचों पे हम जाते हैं चुनाव के दौरान पे ये भाई बैठे हैं, ये भी जाते हैं और बड़ी बड़ी उस मंच से बातें करते हैं कि महिला हमारा सम्मान है। हम हमारे जिस देश में हम रहते हैं महिलाओं को देवी का सम्मान दिया जाता है। हम अपनी बेटियों की पूजा करते हैं। जब वो भी बेटी, बहन और माताओं को सम्मान देने की बात आई तो अपने मुँह पे चुप्पी साध ली। किस लिए? क्यों साधी? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका दिमाग और इनका मन महिला विरोधी है। क्योंकि ये नहीं चाहते कि महिलाएं हमारे सामान आके खड़ी हो जाएं। इनको सिर्फ अगर महिलाएं पसंद है तो अपने घर की पत्नी डिंपल जी पसंद है और राहुल जी को तो अपनी माता और अपनी बहन के अलावा कोई तीसरी महिला उनको नजर ही

नहीं आती जब एक बात … तो उनको अपना ही परिवार नजर आता है। मैं एक बात कहती हूँ, अगर पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ना सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि एक लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प था। आज इस देश में लाखों महिलाएं ऐसी है जिसकी आवाज़ इस सदन तक नहीं पहुँच पाती। मगर ये जो 33% आरक्षण बिल था उससे उनकी आवाज को और बल मिलता और वो अपनी आवाज को और दृढ़ निश्चय के साथ उठा पाती और मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि जब नारी आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा और ये आरक्षण किसी पे एहसान नहीं था। यह उनका हक है। जब महिलाएं अपना अवसर मिलता है तो वे सिर्फ अपने परिवार को नहीं, पूरे समाज को आगे लेकर चलती हैं। मैं सभी भाइयों से अपील करना चाहती थी उस टाइम में भी हमने सबसे अपील की थी कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये महिलाओं के सम्मान और अधिकार का मुद्दा है । आप लोग भी इसमें अपना समर्थन कीजिए, मगर नहीं आप लोगों ने किसी ने समर्थन नहीं किया। मैं आज कहना चाहती हूं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी इस बिल को, आज तो ये 33% है, आने वाले टाइम के अंदर हम इसको 50% रिजर्वेशन देंगे। अगर निगम के अंदर महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है तो विधानसभा में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी 50% परसेंट होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सब कहते हैं कि महिला विरोधी बात कर रहे हैं, कि प्रधानमंत्री जी ये बिल लाना ही नहीं चाहते थे, वो महिलाओं का सम्मान चाहते ही नहीं थे। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जब प्रधानमंत्री जी आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं को उन्होंने जनधन योजना के खाते सभी बहनों के खुलवाये कि डायरेक्ट उनके खातों में पैसे पहुँच जाएं। हमारी महिलाओं को परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो बिना किसी गारंटी के किसी भी बहन को लोन लेने में अपना व्यवसाय करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए, ये महिलाओं के सम्मान के लिए था। स्वच्छ भारत मिशन, घर घर शौचालय बनाने का काम किया तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि हमारी बहन बेटियां खुले में शौच में जाती हैं, उनको सम्मान की जिंदगी दी जाए। वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य के लिए सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा काम किया गया था कि हमारी बेटियां आगे बढ़ें और मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं राजनीति से ऊपर उठकर, तो पार्टी से भी ऊपर उठ कर हमें इस बिल का समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि यह किसी एक पार्टी का नहीं, देश भर की महिलाओं का मुद्दा था।

मगर महिलाएं, आज समझ चुकी हैं क्योंकि महिलाएं प्यार और भाव की भूखी होती हैं। अगर कुछ विपक्षी दल इसका रुकावट का काम नहीं करते तो एक नारी सब कुछ भूल सकती है मगर अपना मान और सम्मान कभी नहीं भूल सकती। उनको पता है कि अगर हमें मान सम्मान देने का काम करा तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था और अपना अपमान जब समय आएगा तो इसका बदला हर महिला लेंगी, क्योंकि आज हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, महिलाओं के अंदर एक दुख है और आज मैं उन्हीं बहनों की तरफ से कह रही हूँ जब समय मिलेगा, वक्त आएगा तो हर महिला अपना जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

सदन पुन: अपराहन 14.06 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: चर्चा को आगे बढ़ाते हुए माननीय मंत्री श्री एम.एस. सिरसा जी।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा, माननीय उद्योग मंत्री: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज आपने महिला आरक्षण विधेयक की चर्चा में मुझे भी भाग लेने का मौका दिया। बड़े दुख की बात है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो महिला ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम', 2023' के माध्यम से बिल लाया गया, जिसका मकसद था हमारी आधी आबादी को उनका योग, उनके लंबे समय से मांग के अनुकूल उनका लोकसभा, विधान सभा, राज्यसभा, राज्य परिषद में, विधान परिषद में उनका अधिकार हो। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, डीएमके ने और इन लोगों ने मिलकर जो पाप किया और ऐसा नहीं है कि ये पाप इन्होंने कोई पहली बार किया है। मैं कांग्रेस पे तो बाद में आउंगा पहले हमारे विपक्ष में क्योंकि ये बैठे हैं, देखिये आज सत्याग्रह पर गये हैं। गांधी जी महात्मा गांधी जी अगर घोर विरोधी थे किसी चीज

के, घोर विरोधी तो शराब के थे, नशे के थे। ये नशा तस्कर जिन लोगों ने जिन पर केस ही इस चीज का बना है, जो लोग शराब घोटाला करते, शराब घोटाले करते हुए पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने पे वो पॉलिसी को वापिस लेके आते हैं और जब शराब घोटाला करने वाले लोग आज ये तय कर रहे हैं,

.....व्यवधान.....

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा, माननीय उद्योग मंत्री: ये अध्यक्ष जी, हां हां वो भी अभी करेंगे, बतायेंगे तुम्हें इसी पे आयेंगे, इसी पे आयेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बारी में बात करना। उनको बोलने दो अपनी बात। अभी दो ही लाईन तो बोली हैं, आगे बोलने दो तो देखते हैं ना।

सुश्री आतिशी, माननीय नेता प्रतिपक्ष: संजीव झा जी ने दो ही लाईन बोली थीं सब खड़े हो गये थे।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा, माननीय उद्योग मंत्री: बोलेंगे, आप भी खड़े होइये न, आप होइये खड़े होइये, अरे होइये तुम्हारे लीडर के शराब घोटाले की बात हो रही है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: शराब घोटाले पे अलग से चर्चा करवा दें क्या?

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा, माननीय उद्योग मंत्री: करा दीजिये शराब घोटाले पे भी करा दीजिये एक चर्चा। शराब घोटाले पे भी एक चर्चा करा दीजिये।

...व्यवधान...

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा, माननीय उद्योग मंत्री: शराब घोटाले पे भी एक चर्चा हो जानी चाहिये।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: आप दे रहे हैं क्या प्रस्ताव दे रहे रही हैं नेता, विपक्ष, प्रस्ताव दे रही हैं क्या? आप शराब घोटाले पे चर्चा का प्रस्ताव दे दो, करवा देते हैं।

सुश्री आतिशी, माननीय नेता प्रतिपक्ष: अध्यक्ष जी, ये डबल स्टैंडर्स ठीक नहीं हैं। या तो हम ये कह दें कि सबको अधिकार है कुछ भी बोलने का तो फिर आप हमें मत टोकियेगा, फिर हम आरएसएस की भी बात करेंगे, महिला विरोधी होने की भी बात करेंगे। हर चीज पर बात करेंगे। देखिये तो इसलिए ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए अध्यक्ष जी।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा, माननीय उद्योग मंत्री: नहीं पर मैं तो आपके शराब घोटाले की बात नहीं कर रहा, मैं नारी अभिनंदन अधिनियम पे ही आ रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं इसकी पृष्ठभूमि सुनिये जरा। मेरा क्या कहना है वो पृष्ठभूमि सुनिये जरा। शराब के घोर विरोधी जिस महात्मा गांधी जी ने, आज उन्हीं के, ये गये वहां पर, क्या कहते हैं हम सत्याग्रह करने गये हैं। ये सत्याग्रह नहीं है, ये सत्ता को ग्रहण लग गया है, सत्ता को ग्रहण है ये। ये सत्याग्रह नहीं है। आप लोग झूठ और बेईमानी इस कदर करते हो। महात्मा गांधी जी के वहां जाके सत्याग्रह की बात करते हो और ये ग्रहण लगा है ग्रहण। सत्याग्रह नहीं है, ये ग्रहण है और मैं एक बात बताना चाहता हूं ये पहली बार ये देश सुन रहा है। सारी चीजें तो वैसे पहली बार सुनी थीं कि सुरक्षा नहीं लेंगे, बड़े घर नहीं लेंगे, गाड़ी में घुमेंगे, जहाज नहीं लेंगे, सुना तो पहली बार ही था। लेकिन हर चीज में झूठ निकलेगा, हर चीज में बेईमानी निकलेगी। अब आप देखिए सत्याग्रह करने वालों का असलियत सुनिए। ये पहली बार देश में करने जा रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल जी कहते होते हैं ना पहली बार, पहली बार, पहली बार, ये भी पहली बार हो रहा है कि एक मुजरिम कह रहा है, मुझे मेरी मर्जी का जज चाहिए।

...व्यवधान...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री): मुजरिम कह रहा है, मुजरिम है, मुजरिम है। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट कहती है, जब तक।

...व्यवधान...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री):हॉ मुजरिम है, मुजरिम है।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता(माननीय अध्यक्ष): चलिए सिरसा जी प्रस्ताव पे।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री):कोर्ट कहती है, जब तक किसी को उससे दोषमुक्त ना किया जाए वो तब तक मुजरिम रहता है ये कोर्ट का कहना है। अध्यक्ष जी इनसे पूछिए।

श्री विजेंद्र गुप्ता(माननीय अध्यक्ष): बैठिए, बैठिए, आप बैठ जाइए। मैं सम्भाल लूंगा मैं, बैठ जाइए आप। बैठ जाइए। बैठ जाइए कृपा करके बैठ जाइये प्लीज, प्लीज। चलिए।

...व्यवधान...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री):और मैं इनसे पूछना चाहता हूं ये जो सारे खड़े होके बोल रहे थे, मुझे बता दीजिए जब कोर्ट में लिखा जाता है तो अरविंद केजरीवाल जी के नाम के आगे क्या लिखा जाता है, accused मुजरिम, मुजरिम, मुजरिम लिखा जाता है, पढ़िए, पढ़ लीजिए मैं विधानसभा में खड़ा होके बोल रहा हूं, पढ़ लीजिए अगर मेरी बात गलत है तो। मेरे खिलाफ प्रस्ताव लाइए अगर मेरी बात गलत है। accused है।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता(माननीय अध्यक्ष): प्रस्ताव पे आ जाइए।

...व्यवधान

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री):आज भोले बनके खड़े होते थे।

श्री विजेंद्र गुप्ता(माननीय अध्यक्ष): अरे आप बैठ जाइए ना अब, इतनी परेशानी क्या है आपको।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री):आप देखिये जो लोग ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आज हमें।

...व्यवधान...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री):आएंगे, महिलाएं पर आएंगे मेरे भाई। महिला पर चर्चा करेंगे फिर बताएंगे तुमने कैसे एमपी को पीट दिया था फिर तुम कहोगे, क्यों बोल रहे हो। मैं तो महिला पर बोलूंगा फिर वो भी बताऊंगा अभी, जब मैं उसपे आऊंगा तब तुम रो पड़ोगे।

...व्यवधान...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री):ये महिलाओं का, बताते हैं, बताते हैं बैठ, बैठ जा।

...व्यवधान...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री):अध्यक्ष जी ये पहली बार देश में हो रहा है, एक अक्युज्ड, एक मुजरिम कह रहा है कि मैं जज तय करूंगा और मैं तय करूंगा जज कौन होगा मेरा। और यही मुजरिम।

...व्यवधान ...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री): मुजरिम, अरविंद केजरीवाल मुजरिम।

श्री विजेंद्र गुप्ता(माननीय अध्यक्ष): एक मिनट..

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री): अरविंद केजरीवाल मुजरिम, शराब घोटाले का मुजरिम।

श्री विजेंद्र गुप्ता(माननीय अध्यक्ष): आप बैठिए।

श्री विजेंद्र गुप्ता(माननीय अध्यक्ष): मैं कह रहा हूं ना उनको आप बैठ जाइये। हां वो बोल रहे हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री): शराब घोटाले का मुजरिम कह रहा है मैं जज तय करूंगा।

श्री विजेंद्र गुप्ता(माननीय अध्यक्ष): चलिए शुरू करिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री):और नारी के प्रति इनकी सोच क्या है वो तो आपने देखा कि जब एक नारी जिसको राज्यसभा में मौका मिला, उस नारी को घर लगाकर अरविंद कुजरीवाल जी की मौजूदगी में पीटा जाता है, ये नारी के प्रति।

श्री विजेंद्र गुप्ता(माननीय अध्यक्ष): चलिए अब आप शुरू करिए ना, महिला की पिटाई वाली बात से, वहीं से करिए। मुद्दे पर आइये ना।

...व्यवधान...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री):अध्यक्ष जी ये यही नहीं रूके, जब नारी की बात आती है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। एक नारी को कैसे।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता(माननीय अध्यक्ष): बैठ जाइये। परेशानी क्यों हो रही है आपको, बैठ जाइये।

...व्यवधान...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री):जो नारी के प्रति क्या सम्मान है इनका ये मैंने विधानसभा में, लोकसभा में तो दिखाया ही, लेकिन लोकसभा के बाहर भी इनका क्या सोच रहती है नारी के प्रति वो आपने देखा, इनकी अपनी राज्यसभा की एमपी के साथ इन्होंने क्या किया। यहीं नहीं रूके, देखिए स्वर्णकांता शर्मा जो एक वुमैन जज है, स्वर्णकांता जज के साथ जो इन्होंने किया, एक ज्यूडिशियल सिस्टम में बैठे हुए, सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता(माननीय अध्यक्ष): अब क्या हुआ।

...व्यवधान...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री): स्वर्णकांता शर्मा जी के लिए।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता(माननीय अध्यक्ष): आप बैठ जाइये, प्लीज बैठ जाइये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री): जब स्वर्णकांता शर्मा जी, जब कोर्ट में उनकी प्रति बोला गया शब्द, आज इनके लिए, आज आप सुन नहीं पा रहे।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता(माननीय अध्यक्ष): कुलदीप जी बैठ जाइये, कृपा करके बैठ जाइये, बैठिए, बैठिए। बैठिए प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री):क्योंकि आप उस विधायक का विरोध किया आपने। विरोध इसलिए किया आपने क्योंकि आप चाहते नहीं थे बहन-बेटियों को किसी भी सूरत

में बहन बेटियों का हक मिले। मैं जानना चाहता हूं। ये नहीं चाहते थे कि बहन-बेटियों को उनका हक मिले इसीलिए ना केवल इन्होंने लोकसभा में विरोध किया, लोकसभा के बाहर भी विरोध किया और ये सबसे बड़ा दुख की बात ये है, अध्यक्ष जी जिस पंजाब...

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता(माननीय अध्यक्ष): आप देखो चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(माननीय उद्योग मंत्री): के अंदर इनकी सत्ता है उस पंजाब के सभी MPs को इन्होंने विरोध करने को कहा और वो पंजाब की वो पवित्र धरती है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इनको तो ध्यान में भी नहीं होगा। इस पंजाब की पवित्र धरती ने इन लोगों को हक दिया था औरत को वोट डालने का, जब यहां पर ब्रिटिश का रूल था तब औरत को वोट देने का अधिकार नहीं था। सिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन हुआ, जब बहुत लम्बी लड़ाई के बाद तो पहले बार ऐसा हुआ कि जब हमारी वोटिंग का प्रोसैस हुआ तो लोकसभा, जब प्रोसैस शुरू हुआ तो ये तय किया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1925 के एक्ट के तहत पहली बार इस देश के अंदर औरत को वोट डालने का हक मिला और हमारे देश से ही शुरूवात हुई। ना केवल हमारे यहां देश में अध्यक्ष जी जब हमारे देश में वोट देने का हक मिला तो पहली बार Britisher को उनके वहां इंग्लैंड में भी वोट डालने का नारी को अधिकार तब मिला जब भारत के अंदर सबसे पहले हमें अधिकार मिला ये नारी को वहां की नारी को अधिकार लेके देने का भी भारत के लोगों ने काम किया और उस नारी का विरोध करने का काम हाउस में इन्होंने किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये पहली बार हुआ कि जिस तरह से पूरा सत्तापक्ष इस बिल को लाना चाहता था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नारी को हक देने के लिए जो कि 50 फीसदी इस देश की आबादी है, उसको हक देने के लिए आज देशभर की पंचायतों के अंदर जो हमारी बहन-बेटियों का योगदान है वो किसी से छिपा नहीं है। 25 लाख, पंचायतों में आधी, फिफ्टी प्रसैंट रिजर्वेशन के तहत आधी हमारी बहन-बेटियां वहां बैठ के ना केवल पंचायत की बात करती हैं लेकिन जब नारी पंचायत में जाती है तो पंचायत के अंदर शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक की सबकी चिंता हमारी बहन बेटियां वहां करती हैं। मैं बताना चाहता हूं ये दुनिया की सबसे बड़ी अब तक की, ये डैमोक्रेटिक सिस्टम में participation है विमैन की और भारत में होने पे भी दुनिया की सबसे बड़ी participation होती पूरे देश, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पारटिसिपेशन विमैन की

यहां पे होती ये एक इतिहास होता, लेकिन इसको रोका गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कोई पहली बार नहीं अनेकों बार जब नारी की बात आई चाहे देश की राष्ट्रपति, एक देश के पिछड़े वर्ग से लेकर एक अनुसूचित जाति, एक पिछड़ा वर्ग ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, वहीं इस पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर उनका हत्या करने का काम किया, उस बिल को मारने का काम किया। आप ये देखिये, मैं आपको गिनती भी बताना चाहता हूं। भारत के अंदर सबसे ज्यादी विमैन रिप्रजेंटेशन कब हुई। भारत के अंदर सबसे ज्यादा विमैन रिप्रजेंटेशन तब हुई जब भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं याद दिलाना चाहता हूं 14वीं लोकसभा में जहां 51 हमारी बहन-बेटियां बनकर आई, 17वीं में 78 और अब 18वीं में 75 हमारी बहन-बेटियां लोकसभा में पहुंची हैं। ये बड़ी बात है कि आज इस देश के अंदर सबसे बड़ी रिप्रीजेंटेशन भाजपा के आने के बाद हुई। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं ये कैसे-कैसे इन लोगों ने पहले विरोध कैसे-कैसे किया। मैं याद दिलाऊं, मैं टाइमलाइन के साथ आपको दिलाता हूं। सबसे पहले 1996 में, जब महिला आरक्षण के संविधान के संशोधन को आगे बढ़ाया गया तब देवागौड़ा जी की सरकार थी। तब कांग्रेस ने उनसे समर्थन वापस लेने की धमकी देकर उस बिल को पेश नहीं होने दिया। उसके बाद 1998 में और 2003 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार महिलाओं के लिए चार बार सदन में लाने का प्रयास किया, चारों बार कांग्रेस ने 2/3 मैजोरिटी पूरी ना होने का कारण चारों बार गिराने का काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चाहते थे तब भी भाजपा की सरकार चाहती थी, हम अपनी बहन-बेटियों को अपने बराबर की ताकत दें, लेकिन तब भी इन्होंने रोकने का काम किया। 2010 में ये विधायक राज्यसभा के अंदर 186 वोटों के पारित कर दिया गया, तब देश की महिलाओं को पहली बार लगा कि राज्यसभा में बिल पास हो गया है अब हमें हमारा मौका मिलने जा रहा है, तब भी यही पार्टियां मिलकर जब कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर फिर इन्होंने उस बिल को गिरा दिया और लोकसभा में आने नहीं दिया, उसके बाद 2014 में क्योंकि वो बिल राज्यसभा से ही खाली पास हुआ था वो बिल का मियाद खत्म हो गई। इसी तरह 2023 के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने फिर से ये तय किया की हम इसको अपनी बहन-बेटियों को जिनकी आधी रिप्रजेंटेशन है उनको बराबर का मौका देंगे, तब इस दबाव में क्योंकि चुनाव सामने था आधी हिचकिचाती करते, करते, करते बोल तो तब भी बड़ा कुछ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा। लेकिन मजबूरी में वोट करना पड़ा। अब जब 2029 में देने की बात आई तो

इन लोगों ने मिलकर फिर वही काम किया जो पिछले 50 सालों से कांग्रेस करती आई थी, उस बिल की हत्या करने का काम इन्होंने मिलकर फिर से किया। ये 131 अमेंडमेंट के साथ क्या होता, देश के अंदर 850 सीटें होती, 33 प्रसैंट रिजर्वेशन होती। आज आपके कितने विमैन रिजर्वेशन के तहत 200 से ज्यादा ढ़ाई सौ के आसपास ज्यादा शेयर बनता है। इसके आसपास हमारी बहन-बेटियां लोकसभा में आती, राज्यसभा में हमारी रिप्रजेंटेशन होती और इस हाउस के अंदर जहां हम बैठे हैं इस पवित्र हाउस के अंदर भी 33 प्रसैंट बहनें बैठी होती, इस ताकत का पूरे देश और दुनिया में संदेश जाता। लेकिन इसको रोकने का काम आप लोगों ने किया है। मैं याद कराना चाहता हूं भाजपा की कमिटमेंट क्या है। भारतीय जनता पार्टी ना केवल महिलाओं को और सशक्तिकरण का काम करती है बल्कि घोषणाओं पर उस पर काम भी करती है। कैसे, मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी के फस्ट काउंसिल में 10 महिलाएं थी जो की हिस्टोरिकल थी। पहली बार महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को सुषमा स्वराज जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दी। पहली बार विमन चीफ मिनिस्टर उमा भारती जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दी। पहली बार राजस्थान को मुख्यमंत्री एक विमन के तौर पर वसुन्धरा राजे भारतीय जनता पार्टी ने दी। पहली बार गुजरात को मुख्यमंत्री विमन मुख्यमंत्री के रूप में आनंदी बाई पटेल को देकर यह भारतीय जनता पार्टी ने दी और दिल्ली के अंदर तो आप देख ही रहे हैं रेखा गुप्ता जी को भी मौका मिला और एक लाख करोड़ रुपये का बजट लाने का काम एक नारी ने इस देश के अंदर करके दिखाया, देश की राजधानी में ये अपने आप में अद्भुत है। और यही नहीं चाहे ट्राइबल से आती हुई हमारी माननीया राष्ट्रपति जी को मौका देना हो। लेकिन सबसे बड़ा जो आज भी इस बात की तकलीफ सबको है कि जिस औरत के बिल के नाम के उपर सदैव राजनीति करती रही है पार्टीयां, हमेशा राजनीति आज भी करेंगे, आज भी बोलेंगे लेकिन जब उसको देने की बात आई तो औरत के साथ जिस तरह का व्यवहार इस पार्टी ने किया है ये स्पष्ट दर्शाता है कि एक औरत के प्रति आपके मन में कैसी भावना है। मैं याद दिलाना चाहता हूं जो न आज की जिसको लेकर ये बार-बार ये बोल रहे थे लोकसभा के अंदर माननीय गृह मंत्री जी ने इसका स्पष्टीकरण भी दिया। क्या नरेटिव सेट किया गया, नरेटिव बनाने की कोशिश की गई की ये तो जी साउथ के स्टेट्स का नुकसान हो जाएगा, हमारी कोई रिप्रजेंटेशन नहीं रहेगी, ईच वोट की रिप्रजेंटेशन में अंतर आ जाएगा। जब यह बात स्पष्ट की गई कि किसी वोट में अंतर आने वाला नहीं है, 50 फीसदी सभी की सीटें बढ़ाई जाएंगी, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। उसके बावजूद यह बिल को गिराने का काम इन्होंने

किया। अब सोचिए लास्ट हमारी जो साढ़े पांच सौ सीटें बढ़ाने का काम किया गया, उसके बाद यह पहली बार इतिहास में होने जा रहा था कि हमारी सीटें बढ़कर eco representation होनी थी। क्योंकि लास्ट जब की गई थी तब इस देश की जनसंख्या 50 करोड़ थी। आज 140 करोड़ के आसपास हम जनसंख्या में हैं और ऐसे में सब मेंबर पार्लियामेंट की सीट बराबर हो जाए। हर वो हर elected representatives के पास बराबर की वोट उनका अधिकार बराबर हो जाए, उनका काम करने की क्षमता बराबर हो जाए, इसको ध्यान में रखकर जब delimitation की बात की गई तो इसका भी इन लोगों ने जमकर विरोध किया और उस bill को गिराने का काम किया। अध्यक्ष जी, इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा, इतिहास के लोग भी कभी इनको माफ नहीं करेंगे। हमारी बहन-बेटियां भी इनको माफ नहीं करेंगी। क्योंकि जो सच्चाई है वो इनके चेहरों से दर्शाती है। इनकी सोच और इनकी मानसिकता से दर्शाती है। जैसे मैंने पहले कहा पंजाब जिसने सबसे पहले औरत को सम्मान देने का काम किया। गुरु नानक देव जी ने कहा था 'सो क्यों मंदा आखीए जित जम्मे राजान'। राजाओं की जननी को आप कैसे कम आंक सकते हैं, कैसे बुरा बोल सकते हैं। उसी पंजाब की धरती से चुनकर आए हुए इनके लोकसभा के अंदर सभी एमपीओं ने उसी बिल का विरोध किया, जिसके लिए कभी लंबे समय तक उन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी। लड़ने के बाद 1925 में उनको पहली बार अधिकार दिलवाया था। हमें खेद इस बात का है कि इस पार्टी ने न केवल दिल्ली के लोगों के साथ द्रोह कमाया, दिल्ली के साथ बेईमानी की बल्कि इस पार्टी ने जाकर पंजाब के साथ भी, पंजाब की सोच के साथ और पंजाब के लोगों की सोच के अनुकूल न फैसला लेते हुए इसका विरोध करने का जो काम किया है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अध्यक्ष जी, अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूं अच्छा होता काश अगर ये बिल पास हुआ होता तो क्या होता? अगर ये बिल पास हुआ होता तो हमारी बहन बेटियां जहां इस विधानसभा के अंदर आकर 33 परसेंट के रूप में बैठती, वो अपने फैसले लेती, वो अपने भविष्य का फैसला लेती। उनको पता होता कि जब फैसले की बात आएगी तो उनकी बात ही मानी जाएगी। इसी तरह लोकसभा और राज्यसभा में हमारे प्रतिनिधि के रूप में 33 परसेंट हमारी बहन बेटियां आकर बैठती। आज कार्पोरेशंस के अंदर पंचायत के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसको किसी तरीके से छोटे में आंकने का काम नहीं किया जा सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी जो की हमेशा एक धर्म की राजनीति करती है और उसी धर्म की राजनीति आम आदमी पार्टी भी करती है। इनको तो मुस्लिम के लिए चाहिए थी आरक्षण लेकिन विमन के लिए

आरक्षण नहीं चाहिए थी इस बात का हमें खेद है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री विशेष रवि जी।

श्री विशेष रवि: माननीय अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले हमारे सदस्य डॉक्टर अनिल गोयल जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला है, मैं उनको अपने सभी साथियों की तरफ से जो है बधाई देता हूं, उनको यह पुरस्कार मिलने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं । अध्यक्ष जी, महिलाओं के आरक्षण पर बात हो रही है। मेरा अभी यह fourth term है तो विधायक के तौर पर जो मेरा अनुभव रहा है वह मैं चाहता हूं पहले शेयर करना। हमने विधायक के तौर पे महिलाओं और पुरुष दोनों के साथ काम करने का मौका मिला है और अगर अधिकारियों की स्पेस्फिक बात की जाए तो मेरा यह एक्सपीरियेंस रहा है कि महिलाएं जब कोई काम करती हैं, महिलाएं कोई भी काम अपने हाथ में लेती हैं तो यह मेरा एक्सपीरियेंस रहा है वो पुरुषों के मुकाबले कई कई गुना जो है बेहतर जो है वो करके दिखाती हैं। चाहे सरकारी स्कूलों में जब annual day function होता है, एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि सरकारी स्कूल में जब annual day function होता है तो एक तरफ जहां पुरुष प्रिंसिपल होते हैं और एक तरफ जहां महिला प्रिंसिपल होती है तो हमेशा जो है मेरा अनुभव रहा है कि जिस स्कूल में महिला प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल रहती हैं, उस स्कूल का annual day function हमेशा well organized, अच्छे से तैयार किया हुआ कार्यक्रम बढ़िया और पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो बहुत बेहतर जो है रहता है comparison to जो male principal हैं उनके मुकाबले और चाहे डीएम स्तर पर हो, एसडीएम स्तर पर हो, सेक्रेटरी स्तर पर हो, हर स्तर पर यह अनुभव रहा है कि जितनी sincerity से महिलाएं काम करती हैं, जितने अच्छे से महिलाएं काम को पूरा करती हैं, जितने अच्छे से वह समस्याओं को सुनती हैं और पब्लिक को अटैंड करती हैं, मेरा यह अनुभव रहा है। फिर से दोहराऊंगा कि पुरुषों के मुकाबले कई गुना, कई गुना बेहतर जो है उनके काम करने का तरीका है और मैं इस महिला आरक्षण बिल के ऊपर अपने पक्ष की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम सब चाहते हैं कि महिलाओं को जो है आरक्षण मिले। उनको इससे भी ज्यादा जो है अधिकार मिलने चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं जिस बिल के बारे में मैं यह देख रहा था कि जब से हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पार्लियामेंट के अंदर 346, 346 बिल पास हुए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 346 बिल पास हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर और

सिर्फ एक बिल जो Land Acquisition Bill था, जिसको काला तीन काले कानून के तौर पे जो किसानों के विरुद्ध जो बिल लाया गया था, उस बिल के गिरने के अलावा सिर्फ दो बिल और अपने आप लैस हुए हैं। इसके अलावा एक भी बिल जो है वो ना गिरा है, ना फेल हुआ है। अब सवाल यहां ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ ये बिल जो है सरकार जो है पास नहीं करा पाई। जब 2014 से हम 2026 में पहुंच गए हैं, 346 बिल इस सरकार ने पास करा लिए तो इसी बिल पर आकर क्यों रुकावट हुई? क्यों ये बिल पास नहीं हो पाया? आखिर ऐसे क्या कारण थे? तो यहां सरकार की मंशा जो है उसका पर्दाफाश होता है। पब्लिक को यह समझ में आता है कि जो बिल सरकार पास कराना चाहती है वो लगातार धड़ल्ले से पास हो रहे हैं। 12-13 साल से लगातार पास हो रहे हैं। 346 बिल पास हो गए हैं लेकिन एक बिल जिसमें महिलाओं को अधिकार मिलने वाले थे, जिसमें महिलाओं को रिजर्वेशन मिलने वाला था, जिसमें महिलाओं को ताकत मिलने वाली थी। सिर्फ एक वो बिल जो है सरकार अपना पार्लियामेंट के अंदर जो है पास नहीं करा पाई। ऐसा क्यों हुआ? तो यह बात अपने आप सरकार की मंशा को दर्शाता है और यही कारण है, यही कारण है कि जमीन पर आप कितना भी हल्ला कर लीजिए कि विपक्ष विरोध कर रहा है, विपक्ष पास नहीं होने दे रहा है और हम चाहते हैं यह बिल पास हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि जमीन पे महिलाएं जो हैं इस बात को समझकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रही हैं कि इनकी मंशा ही नहीं थी। ये चाहते ही नहीं थे कि ये बिल पास हो और सिर्फ एक नाटक रच के एक ढोंग, एक प्रपंच बनाकर क्योंकि बंगाल में इलेक्शन हैं। बंगाल इलेक्शन के अंदर महिलाओं के वोट लेने हैं। वहां महिलाओं को झूठा ये दिखाकर बिल का रास्ता उनको जो है भटकाना है। सिर्फ इसलिए जो है इस बिल को जो है लाने का ढोंग किया गया और आप देखिए कि वैसे तो कई बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी जब आते हैं टीवी के ऊपर भाषण देते हैं तो यह महसूस होता है कि यह देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। लेकिन इस बार चुनावों के समय election code of conduct लगा हुआ है और प्रधानमंत्री जी देश का प्रधानमंत्री का प्लेटफार्म इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर आकर जो है वो महिला के आरक्षण के बिल के ऊपर जो है वह अपना झूठा भाषण दे रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं और वहां पर सब तरह की जो है एक्टिंग चल रही है, नौटंकी चल रही है। अब देश की जनता यह समझ रही है, यह सोच रही है कि हम तो समझते थे कि हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत ताकतवर हैं, उनके पास तो बहुत ताकत है, उनके पास तो बहुमत है और जब

सारे बिल पास हो रहे हैं सारे काम हो रहे हैं तो खाली हमारे बिल में, हमारे अधिकार में क्यों रूकावट हो रही है? क्या कारण है, क्यों नहीं होने दे रहे हैं? तो असलियत में जिसने भी भारतीय जनता पार्टी को और माननीय मोदी जी को ये सलाह दी थी कि इस बिल का लाने का हम नौटंकी करेंगे, ढोंग करेंगे, बिल पास नहीं करायेंगे उसके बाद हम इलैक्शन में जाकर जो है सिम्पैथी गेन करेंगे, जिसने भी ये सलाह दी थी आज उसको जो है पूरी भाजपा ढूंढ रही है कोसने के लिये क्योंकि जमीन पर ये मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। जमीन पर महिलाओं के सामने भारतीय जनता पार्टी का नकाब जो है वो उतर गया है,

(समय की घंटी)

श्री विशेष रवि: और पर्दाफाश हो गया है। दिल्ली के अंदर महिलायें जो हैं वो बेहाल हैं। दिल्ली बेहाल है, दिल्ली के अंदर महिलायें बेहाल हैं। दिल्ली की महिलायें कह रही हैं कि अगर आपको हमारे अधिकार की चिंता है तो भाई वो ढाई हजार रूपये दिला दो। दिल्ली की महिलायें कह रही हैं कि भाई अगर तुम्हारे को हमारी चिंता है तो पहले हमारे को जो है बसों में फ्री जो है वो सफर मिलता था अब हमें लाइनों में लगा दिया, सफर नहीं मिल रहा है हमारे को कार्ड नहीं बन रहे हैं हमारे। दिल्ली की महिलायें कह रही हैं कि हमारे अच्छे-भले राशन-कार्ड बने हुये थे राशन मिल रहा था, हजारों दिल्ली के अंदर महिलाओं के राशन-कार्ड काट दिये सरकार ने, दिल्ली की महिलायें बोल रही हैं कि भई हमें कार्ड दिलवा दो।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: चलिये धन्यवाद।

श्री विशेष रवि: दिल्ली की महिलायें कह रही हैं, बस सर खत्म कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: हो गया अब।

श्री विशेष रवि: एक मिनट रह गया है। दिल्ली की महिलायें कह रही हैं कि एक वादा था कि फ्री सिलेंडर देंगे महिलाओं को।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: चलिये, धन्यवाद।

श्री विशेष रवि: हालत ये है कि सिलेंडर पुरूषों को नहीं मिल रहे हैं, पैसों में नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली की महिलायें बोल रही हैं कि ये क्या कर दिया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: समय का ध्यान रखो अभी बहुत सारे वक्ता हैं।

श्री विशेष रवि: सड़कों की हालत खराब है काम के लिये बोलो अधिकारियों को तो बोलते हैं कि ईरान में युद्ध हो गया है जी मैटिरियल मंहगा हो गया है हम काम नहीं कर सकते, सड़कें टूटी पड़ी हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: चलिये, धन्यवाद, थैंक्यू।

श्री विशेष रवि: जल बोर्ड के सीईओ नहीं हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं।

श्री विशेष रवि: पानी को लेकर हाहाकार शुरू हो गया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य नीलम पहलवान जी।

.....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: हो गया, हो गया।

श्री विशेष रवि: मेरा बस आपसे इतना ही कहना है कि ये जो ये जो विधानसभा का पटल इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह की चीजों के लिये वो ना किया जाये। इसकी देखभाल करने का आपका जो है वो काम है। धन्यवाद, बहुत- बहुत शुक्रिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्या नीलम पहलवान जी।

श्रीमती नीलम पहलवान: धन्यवाद अध्यक्ष जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: समय का सबको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सूची लम्बी है सदस्यों के बोलने की और समय की सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा।

श्रीमती नीलम पहलवान: हम बार-बार कहते हैं कि भारत नारी शक्ति का देश है लेकिन जिस तरह महिला आरक्षण बिल को रोका गया वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज विधानसभा का विशेष सत्र इसलिये बुलाना पड़ा क्योंकि ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है अपितु देश की महिलाओं के सम्मान और अधिकार का विषय है। अध्यक्ष जी कई बार संसद और विधानसभाओं में कानून बनते हैं बहस होती है, सहमति और असहमति होती है लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कानून

की सीमाओं से आगे निकल जाते हैं और सीधे समाज के आत्म सम्मान को छूते हैं आज का विषय वैसा ही है। अध्यक्ष जी इस देश की हर बेटी ने बचपन में यह सुना था कि पढ़ो आगे बढ़ो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, देश का नाम रौशन करो लेकिन वही बेटी जब देश के निर्णय लेने वाली मेज तक पहुंचने की बात करती है तो उसके सामने बार-बार दीवार खड़ी कर दी जाती है। यह विरोध एक बिल का विरोध नहीं है यह उस सोच का विरोध है जो महिलाओं को बराबरी से आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहते। हमारी सभ्यता में नारी को कभी कमजोर नहीं माना गया है उसे हमेशा शक्ति का स्वरूप माना गया है लेकिन आज का सच क्या है। अध्यक्ष महोदय जिस देश में नारी को देवी का दर्जा दिया गया उसी देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी 15 प्रतिशत के आसपास अटकी हुई है। सात दशक बीत गये सरकारें बदलती रहीं, नारे बदलते रहे लेकिन यह स्थिति नहीं बदली। यह आंकड़ा उस असंतुलन का प्रमाण है जो हमारे लोकतंत्र में आज भी मौजूद है और अब इस असंतुलन को ठीक करने की एक गंभीर कोशिश की गई। जब महिलाओं को उनका हक देने का रास्ता बनाया गया तब क्या हुआ, वही पुरानी राजनीति सामने आ गई, रोकने की, टोकने की, टालने की और बहाने बनाने की। अध्यक्ष महोदय महिलायें बहुत कुछ भूल सकती हैं अपनी तकलीफें, अपने संघर्ष, अपनी कुर्बानियां लेकिन अपने सम्मान पर लगी चोट कभी नहीं भूलतीं और जब किसी के अधिकार को रोका जाता है तो वो सीधे-सीधे उसके आत्म सम्मान पर आघात होता है। आज देश की करोड़ों महिलायें यह सब देख रही हैं समझ रही हैं और महसूस कर रही हैं उन्हें यह साफ दिखाई दे रहा है कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा है। यह केवल एक राजनीति नहीं है यह एक विश्वास का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है यह दशकों से लम्बित एक न्याय है एक ऐसा अधिकार है जो बार-बार वादों में आया लेकिन हकीकत में उतर नहीं पाया। इस विधेयक का उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि देश का विकास women led development की दिशा में आगे बढ़े। आज पंचायतों में स्थानीय निकायों का अनुभव हमारे सामने है, जहां-जहां महिलाओं का नेतृत्व मिला है वहां-वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्राथमिकता मिली है व निर्णयों में संवेदनशीलता आई है संतुलन आया है। इस देश की महिलाओं ने वर्षों तक इंतजार किया है हर बार उन्हें कहा गया अभी समय सही नहीं है थोड़ा और इंतजार करो पहले ये प्रक्रिया पूरी हो जाये लेकिन सच यह है कि समय कभी अपने आप सही नहीं होता समय को सही

बनाना पड़ता है और जब नियत मजबूत होती है तब ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिये जाते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिन्होंने इस विषय को राष्ट्र के भविष्य से जोड़ा। जब उन्हें कहा गया कि यह एक पवित्र प्रयास है एक महायज्ञ है यह **शब्द** उस सोच का प्रतिबिंब था जिसमें महिलाओं को विकास की धुरी माना गया है, केवल लाभार्थी ही नहीं। यह भी अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने यह तक कहा कि यदि विपक्ष इस विधेयक का समर्थन करता है तो वो इसका पूरा श्रेय उन्हें देने का, देने के लिये तैयार हैं। आज की राजनीति में जहां श्रेय लेने की होड़ लगी रहती है वहां यह भावना अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हमारे इतिहास में इंदिरा गांधी जैसी सशक्त महिला नेतृत्व में रही लेकिन क्या आज हर सामान्य महिला को वही अवसर देने की इच्छा दिखाई गई। यह निंदा प्रस्ताव किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ नहीं है यह उस सोच के खिलाफ है जिसने महिलाओं के अधिकारों को फिर टाल दिया। महिला आरक्षण का बिल पास न होना करोड़ों महिलाओं की फीलिंग को ठेस पहुंचाने जैसा है। गांव की महिला हो, शहर की बेटी हो, एक माँ हो उनकी आवाज सदन तक पहुंचे यही लोकतंत्र की आत्मा है लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की बजाय बहानों और भ्रम की राजनीति तय की है। अध्यक्ष जी, म्हारी हरियाणवी में एक कहावत है कि छाज तो बोले और छालनी भी के बोले जिसमें सैकड़ों छेद हैं। विपक्ष ने भारत में वर्षों से शासनकाल किया है आज इस विधेयक बिल में जो इन्होंने रोड़ा अटकाया है एक भी इनकी बात जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने के योग्य नहीं है। इनका काम है अड़ंगा अड़ाना, ना खुद कुछ करके दिखाया और जो कोई खुद कुछ करे तो उसने भी नहीं करन देना। इब्ब इनके सारे नियम याद आ गये के होना चाहिये और के नहीं होना चाहिये। अब इनकी एक बात और ये कह रहे हैं कि 543 सीटों के आधार पर नियम ना लेके आ। 1971 में जब ये सीटें तय हुई थीं तब की जनसंख्या और आज की जनसंख्या में दिन-रात का फर्क है और मोदी जी ने तो इस नियम के लिये हर वर्ग, हर धर्म, 36 बिरादरी, सर्वसमाज यहां तक की पुरूष प्रधान समाज हमारे देश की वो रीढ़ की हड्डी है जो विकास के कार्यों में राजनीति में हर फील्ड में दिन-रात मेहनत करके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलता है अगर delimitation परिसीमन नहीं होगा तो कल को विपक्ष ये भी कह सके है कि पुरूषां का हक खाकर 33 परसेंट महिला बैठ गई। अरे हम तो आप सबने मोदी जी की सोच इतनी डेव्ल्प है कि किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं हो इसलिये सबका साथ

और सबका विकास की नीति पर चलते हुये इस नियम को लाने का काम किया है लेकिन सच्चाई साफ है।

(समय की घंटी)

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्रीमती नीलम पहलवान: नियत होती तो समाधान निकलता यह पहली बार नहीं है पहले भी ऐसे बहानों से महिला आरक्षण को टाला गया है। आज की लड़ाई बिल्कुल स्पष्ट है एक तरफ तो वो सोच है जो महिलाओं को निर्णय लेने की शक्ति देना चाहती है दूसरी तरफ वो उन्हें सीमित रखना चाहती है यह हिस्सा छीनने की नहीं हिस्सा बढ़ाने की बात है। कुछ लोगों को डर है कि अगर आम परिवार से महिलायें सदन में आ गईं तो राजनीति की दिशा बदल जायेगी और ये बदलाव उन्हें स्वीकार नहीं है। अध्यक्ष जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: आपकी सारी बातें आ गईं बहुत बढ़िया तरीके से।

श्रीमती नीलम पहलवान: देखो अध्यक्ष जी आप बैल बजा दो ना तो मने यूं लागे कि मेरे स्कूल की छुट्टी हो गई और मैं डर जाऊँ और जो मेरा याद है ना वो भी भूल जाती। देखो दो मिनट तो देना पड़ेगा, हां।

....व्यवधान....

श्रीमती नीलम पहलवान: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिसने हमेशा इस विषय को गंभीरता से लिया। यह संघर्ष नया नहीं है यह वर्षों से चला आ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही महिला आरक्षण को लेकर एक स्पष्ट प्रतिबद्धता रही है। मैं दिल्ली सरकार और हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण को जमीन पर उतारने का निरंतर प्रयास किया है। Skill development, उद्यमिता, सुरक्षा संरचना, Support system इन सबके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि महिलाएं अवसर की प्रतीक्षा न करें, अवसर का निर्माण करें। अध्यक्ष महोदय, जब केंद्र और राज्य दोनों सत्रों पर नीयत साफ हो, दिशा स्पष्ट हो, संकल्प मजबूत हो तो परिवर्तन निश्चित हो जाता है। आज देश की महिलाएं यह देख रही हैं कि उनके अधिकारों को लेकर एक गंभीर प्रयास हुआ है। एक ईमानदार कोशिश हुई है, लेकिन इसी के साथ

एक कड़वा सच भी सामने आता है, जब एक तरफ यह प्रयास चल रहा है तब दूसरी तरफ उसे रोकने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। यह विरोध प्रक्रिया का विरोध था ही नहीं। यह विरोध उस बदलाव का था जो इस विधेयक के माध्यम से आने वाला था। इस पूरी स्थिति को देखते हुए एक पंक्ति बार बार मेरे मन में आती है कि दीवारें खुद नहीं बनती, इरादों से खड़ी की जाती हैं और रास्ते खुद नहीं बनते, हिम्मत से बनाए जाते हैं। आज यह पता चल चुका है कि किसने रास्ता बनाने की कोशिश की और किसने दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। आज भारत की संसद में महिलाओं की भागीदारी चौदह पंद्रह प्रतिशत के आसपास है। राज्यसभा में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। सात दशक से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन हम अभी तक बीस प्रतिशत का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। यह स्थिति तब है जब देश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं शिक्षा में, प्रशासन में, सेना में, विज्ञान में, खेल में जहां अवसर मिला, वहां उन्होंने खुद को साबित किया है और ऑपरेशन सिंदूर इसका साक्षात प्रमाण है। लेकिन राजनीति के दरवाजे अब भी पूरी तरह उनके लिए नहीं खुले हैं। अध्यक्ष महोदय, 17 अप्रैल, 2026 की यह तारीख इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो चुकी है। वह यह दिन है जब देश की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदें एक बार फिर टल गई है कि ऐतिहासिक अवसर हमारे हाथों से फिसल गया और मैं यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगी। यह दिन लोकतंत्र के इतिहास में एक पीड़ादायक दिन के रूप में याद किया जाएगा। क्योंकि उस दिन केवल एक विधेयक नहीं रुका था। उस दिन सपनों की एक रफ्तार रुकी थी। उस दिन विश्वास को चोट पहुंची थी। उस दिन उम्मीदों को टाल दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, यह विषय समाप्त होने वाला विषय नहीं है। यह कोई प्रस्ताव नहीं है जिसे एक बार रोका जाए और फिर भुला दिया जाए। यह संघर्ष की शुरुआत है और जो तब तक जारी रहेगा जब तक इस देश की हर महिला को उसका पूरा अधिकार मिल नहीं जाता। आज जो कुछ हुआ उसने देश की महिला को और अधिक जागरूक किया है। उन्हें यह समझ में आ गया कि अधिकार केवल मांगने से नहीं मिलता, उन्हें पाने के लिए लगातार आवाज उठानी पड़ती है और आज की वह नारी, नारी नहीं है। जो चुप होकर बैठ जाए वह अपने अधिकारों के लिए खड़ी है, बोलती है और निर्णय भी लेती है। आज देश की महिलाओं को यह विश्वास है कि उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्हें यह भरोसा है जो प्रयास शुरू हुआ, वह पूरा होकर रहेगा। रास्ते में बाधाएं आएंगी, विरोध होगा, बहाने बनाए जाएंगे। लेकिन संकल्प अगर मजबूत है तो मंजिलें तय होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से इस सदन के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

जी का, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया और इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया और अंत में मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी कि:

जब आवाज उठी है तो अंजाम तक जाएगी,

यह चिंगारी है साहब, एक दिन आग बन जाएगी,

जो हक रोका गया था वर्षों से इस राह में,

वह हक अब लेकर रहेगी यह नारी हर चाह में,

हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं और यह हम अधिकार लेकर रहेंगे।''

अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री संजय गोयल जी।

श्री संजय गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि इस सदन में अत्यंत गर्व और सम्मान और भावनात्मक हर्ष के साथ जो 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' बिल में जो संशोधन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, तपस्वी प्रधानमंत्री, कर्मशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की, सरकार ने 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को इस लोकसभा के सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया और उस चर्चा में मातृशक्ति को 33 परसेंट का आरक्षण 2029 के चुनाव में आगामी लोकसभा चुनाव में मिले और जितनी विधानसभाएं 2029 के बाद में चुनाव हो, वहां पर भी 33 परसेंट आरक्षण उसमें मिले, इसके लिए संशोधन जो दिया उसका मैं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। क्योंकि हम सब जानते हैं भारतीय मातृशक्ति को सम्मान देने, लोकतंत्र को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का यह ऐतिहासिक संकल्प है और आज यह संकल्प हमारी दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने संकल्प सरकार का जो संकल्प है वो यहां प्रस्ताव यहां रखा उसका भी मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो विपक्ष की क्योंकि मैंने स्वयं लगभग चार घंटे विपक्ष के लोकसभा की चर्चा स्वयं सुनी और अनेकोंनेंक विपक्ष के नेताओं के माध्यम से कहा गया किंतु, केवल, परंतु, यदि ऐसे शब्द लगाकर इस संशोधन को रोक लगाई गई। यह संशोधन यदि होता तो सभी विपक्ष की पार्टी क्योंकि आज

देश के अंदर हमारी 21 राज्यों में सरकारें हैं और 15 राज्यों में अन्य पार्टी की सरकारें हैं। यह सबको फायदा मिलना था, खाली एक भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं मिलने वाला था। माननीय मोदी जी ने यह जो संशोधन देश के समक्ष लोकसभा में रखा वो इस बात को सोच कर रखा गया कि देश की नारी को जब 33 परसेंट आरक्षण तुरंत मिलना चाहिए। नहीं तो यह आरक्षण यदि हमें जनगणना की जाति जनगणना की परिसीमन के इंतजार करेंगे तो यह 2034 तक जा सकता है और 2034 तक जा सकता है तो यह विकसित भारत का जो संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2047 कर रखा है, कहीं ना कहीं उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं भारत में, भारत में संस्कृति में नारी को शक्ति और ज्ञान और समृद्धि का स्वरूप माना जाता है। हम मां दुर्गा की पूजा करते हैं, मां सरस्वती से ज्ञान की कामना करते हैं, मां लक्ष्मी से हम धन की कामना करते हैं और मां काली से हम शक्ति की मांग करते हैं, कामना करते हैं और जब हमारी संस्कृति नारी को इतना ऊंचा स्थान देती है और हम सब देते हैं, आजे हम सब यहां भाई बैठे हुए हैं। सब बिना नारी के कुछ भी नहीं है। यदि हमारी वाइफ हमको सहयोग ना करें तो हम एक दिन भी अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकते। हम उनकी शक्ति से ही आज यहां पर हैं। तो इसीलिए जब इतना ऊंचा स्थान है तो राजनीति और नीति निर्माण में भी उन्हें समान सम्मान स्थान मिलना चाहिए और साथ में आज, आज क्या यदि हम इतिहास को भी देखें। इतिहास में रानी लक्ष्मी बाई एक सबसे बड़ा हमारे समक्ष उदाहरण है, जिसमें और अनेकोंनेंक हमारी माताओं ने, बहनों ने इस भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया है। यदि सरोजिनी नायडू जी को देखें और आज के युग में देखें तो हमारे समक्ष उदाहरण है हमारी देश की यशस्वी और महामहिम राष्ट्रपति रही और आज द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं और वह भी एक आदिवासी से हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे और ऐसे राज्य से आते हैं तो इसीलिए हमको कहने में और करने में दोनों में सोचना चाहिए। यह खाली संशोधन को इसलिए रोक दिया गया कि अधिकतर पार्टी जो इंडी गठबंधन की पार्टी है, जो हमने देखा अधिकतर परिवारवादी पार्टी हैं, परिवार के द्वारा चलाई जाती है वो और परिवार के ही मुखिया हैं। उनको लगा कहीं यह 33 परसेंट का यदि आरक्षण आ गया, कहीं हमारी क्या नाम है, सीट ही गायब ना हो जाए क्योंकि 33 परसेंट बहनें परिवार में है नहीं और बाहर से आ गई तो जिसका क्या नाम है 33 परसेंट उनके पास में मैंडेट रहेगा तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री उस परिवार से ना बनकर वो 33 परसेंट बहनों में से बन सकती है या मंत्री जो है 33 परसेंट परिवार के सदस्य ना होकर वो बन सकते हैं। इसलिए इस बिल को इन्होंने

रोका किंतु-परन्तु कुछ नहीं इन्हें पता है। दूसरी बात यह तैयार नहीं थे कि हम 33 परसेंट बहनों को कहां से लाएंगे, कैसे चुनाव लड़ायेंगे क्योंकि वो तैयारी तो करते नहीं है और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यह कहना कि परिवार के विषय में बताना यह कुछ नहीं जानते हमारे बारे में। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी नहीं जानते हैं। यदि आज भारतीय जनता पार्टी है तो धारा 370 हटी आपको बता दें और आज भारतीय जनता पार्टी है तो आपके अयोध्या में मंदिर बना। भारतीय संस्कृति को देखते हुए बना और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो देश आगे बढ़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद भी ईरान भी कह रहा है भारत हमारा दोस्त है और इजराइल भी कह रहा है भारत हमारा दोस्त है। ये भारत की कूटनीति और भारत की योजना है। ये कहना आप तैयार नहीं हैं, तैयार हो जाइए जब आपको पता था, आप चाहते हैं 'नारी शक्ति अधिनियम' बिल पास होना चाहिए। आपने पास भी कर दिया 2024 से पहले के चुनाव में, 2024 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट करा कि सारा का सारा श्रेय सब पार्टियों को जाएगा, हमारे को नहीं चाहिए आपका सारा श्रेय। लेकिन बहनों को नेतृत्व मिले ये हम सब की priority होनी चाहिए। यदि ये priority नहीं होगी तो हम देश का विकास नहीं कर सकते। आज बहनें बहुत सारा अच्छा जानती हैं अब जैसे बहन जी ने बोला नीलम जी ने इतने सुंदर शब्दों में वर्णन किया कि कई बार तो मेरे को भी लगा कि हम इतने शब्द कहां से लेकर आएंगे। बहनें इतनी एक्सपर्ट हैं आज की डेट में और उनको यदि गरीब की बेटी यदि विधायक बनेगी, गरीब की बेटी यदि मंत्री बनेगी तो इनको चिंता होती है क्योंकि इनकी राजनीति खत्म होती है, इसीलिए इन्होंने उसका विरोध किया और मैं माननीय अध्यक्ष जी। जो 543 से 815 का आंकड़ा है ये कह रहे हैं आंकड़ा कहां से आया ये परिसीमन। अच्छा एक और बात करी इन्होंने परिसीमन रोटेशन नहीं होना चाहिए। अरे भाई कोई सभी का अधिकार थोड़ी है कि यह सीट मान लो मैं शाहदरा विधानसभा से विधायक हूं तो मैं शाहदरा विधानसभा से पुरुष ही विधायक रहेगा या महिला विधायक है तो महिला रहेगी। हो सकता है शाहदरा से विश्वास नगर हो जाए, विश्वास नगर से कृष्णा नगर हो जाए, कृष्णा नगर से कहीं से। रोटेशन को भी इन्होंने ऑब्जेक्ट किया। जबकि क्या एक विधानसभा की महिलाओं को दूसरी विधानसभा की महिलाओं का नेतृत्व करने का अधिकार नहीं है? ये रोटेशन भी इसलिए रखा गया और इस रोटेशन को भी इन्होंने ऑब्जेक्ट किया। क्योंकि ये नहीं चाहते कि बहनें जो है देश का नेतृत्व करें। माननीय अध्यक्ष जी

ये जनगणना और मतगणना पहले भी विषय आ चुका है और जनगणना तो चालू हो चुकी है, चालू हो रही है। पहले मकानों की संख्या हो रही है। उसके बाद में जनगणना की भी ट्रेनिंग हमारी दिल्ली में भी चालू हो चुकी है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में 2026-2027 में जनगणना आ जाएगी। ये कहकर कि पहले जनगणना कर लीजिए, फिर जाति जनगणना कर लीजिए, फिर आपके परिसीमन कर लीजिए, उसके बाद इस विधेयक को लेके आना चाहिए, लागू करना चाहिए। अरे भाई दो सौ आपके 543 से 815 यदि सीट होती हैं तो 272 सीटें तो बहनों की अलग से लेकर आई गई है और 272 की सीटें जहां बहनें खड़ी होंगी वहां आपकी भी बहनें, आपकी भी पार्टी की बहनें खड़ी होंगी और जो जिसके अंदर पार्टी की योजना जिसको पसंद आएगी उसकी सरकार बनेगी तो ये कह देने मात्र में इसको रोकना ये एक बहुत बड़ी इसकी हम निंदा करते हैं और साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न श्रद्धेय। उन्होंने हमेशा कहा कि किसी समाज की प्रगति का आकलन उसकी महिलाओं की प्रगति से किया जाना चाहिए और ये बात बिल्कुल ठीक कही उन्होंने उस समय जब संविधान की एक सुंदर संरचना की थी और इन्होंने उस संविधान को नहीं माना। उन्होंने उनकी बात को भी नहीं माना। अरे भाई 200 क्या, किसको पता है किसकी सरकार बनेगी, कब बनेगी, कैसे बनेगी? यदि सब व्यवस्थाएं समय के अनुरूप हो जाएं, जिसमें समय लगता हो 2034 यदि 2029 तक ये आंकलन हो जाए तो क्या दिक्कत है? भाई आपकी भी candidate हैं, हमारे भी candidate हैं, जिसको जनता ज्यादा पसंद करेगी उसकी सरकार को बनाएगी। इसलिए हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और उन्होंने कहा one man, one person, one vote, one value,

(समय की घंटी)

श्री संजय गोयल: एक आधार पर काम किया और माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से देश के अंदर 49 लाख तक माननीय अमित शाह जी ने स्पष्ट किया 49 लाख और कहीं साठ हजार जनसंख्या लोकसभा सीट के अंदर और आज दिल्ली के अंदर देख लीजिए। हमारे यहां पर कई विधायक बैठे हैं जहां पर सवा चार लाख मतदाता हैं और एक विधानसभा में सवा लाख मतदाता हैं। यदि एक आपके किस तरह से परिसीमन हुआ उस समय और आज की स्थिति में यदि परिसीमन vote wise distribute करके हो जाए। मान लीजिए सत्तर की सौ विधानसभाएं हो जाएं तो सौ विधानसभा में यदि हमारे डेढ़ करोड़ मतदाता हैं तो सीधे सीधे डेढ़ लाख के मतदाता के आसपास हम अच्छे से ज्यादा सेवा कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल जो है आरक्षण

नहीं है। ये सम्मान का अधिकार है, निर्णय का अधिकार है, समानता का अधिकार है। क्योंकि ये पार्टियां डर गई हैं। डर के माहौल में है कि हमारे पास तो इनकी तो भारतीय जनता पार्टी की तो बड़ी जबरदस्त तैयारी है। यहां तो इनके बूथ पर पन्ना प्रमुख भी हैं। लेकिन हमारे पास तो क्या नाम है मंडल और ब्लॉक में ही अध्यक्ष नहीं हैं। इस स्थिति में यह डर गए माननीय अध्यक्ष जी। इसलिए मैं इस विधेयक में आपके जो इन्होंने इसको पास नहीं होने दिया संशोधन को मैं कड़ी निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और वाकई में महिला मातृशक्ति आपको कभी माफ नहीं करेगी। आपको खुले मन से आना चाहिए, खुले दिल से आना चाहिए,

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री संजय गोयल: और फिर जब परिसीमन होता है तो परिसीमन में objection मांगी जाती है हर party से और आपको लगता है ये परिसीमन ठीक नहीं है। उस objection को आप overrule कर सकते हैं और बता सकते हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री संजय गोयल: इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री गजेंद्र दराल जी।

श्री गजेंद्र दराल: धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं आज ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम'' जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी सोच जो मेरी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ इस भारतवर्ष के अंदर राजनीति में भी उसका योगदान हो, उस विधेयक की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उनकी इस सोच को भविष्य में पूरी भी होते हुए देखेंगे। मैं अपनी माननीय मुख्यमंत्री का भी आभार प्रकट करता हूं कि आज इस विशेष सत्र में उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सोच को धन्यवाद करने के लिए और जो विरोधियों ने मेरी मातृशक्ति को आगे बढ़ने से, राजनीति के अंदर उनका सर्वोच्च देने से रोका, उसके लिए मैं उन सभी की कड़ी निंदा भी करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी देश की माताओं, बहनों और बेटियों को उनका अधिकार दिलाने, उन्हें राजनीति में सम्मानजनक भागीदारी देने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा रही थी। तब विपक्षी दल अपने राजनीतिक स्वार्थ में इसका विरोध कर रहे थे। वह केवल एक कानून का विरोध नहीं बल्कि करोड़ों

महिलाओं के सम्मान और सपनों का अपमान कर रहे थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी निर्णय है। लेकिन विपक्ष ने अपनी संकीर्ण राजनीति और कुर्सी बचाने की चिंता में इसका विरोध किया। इससे उनका असली चेहरा देश के सामने आया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कहा था :

'' नारी! तुम केवल श्रद्धा हो
विश्वास-रजत-नग पगतल में।
पीयूष-स्रोत-सी बहा करो
जीवन के सुंदर समतल में।''

यह पंक्तियां बताती हैं कि नारी केवल सम्मान की पात्र नहीं बल्कि राष्ट्र की आधारशिला है। लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष ने इस भावना को भी राजनीति का मुद्दा बना दिया। अभी कुछ देर पहले हमारे सामने जो भाई बैठे हैं उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली के अंदर एक महिला मुख्यमंत्री को मौका दिया गया। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री तो बड़ी मजबूती के साथ और सबको साथ लेकर बनी। लेकिन कुछ दिन पहले अगर पीछे जाए तो आपकी सोच बताती है कि आपने मजबूरी में एक मातृशक्ति को दिल्ली के अंदर बिठाया और उनको भी इस तरीके से उस मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया कि चलती उनकी नहीं थी। चलती उन सरदारों की थी जो दिल्ली को लूट रहे थे। आज हम सबको एक बड़ी पीड़ा है जब हमारी बराबर की बहनें, हमारी बेटियां। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां आईएएस बने, हमारी बेटी सेना में जाकर हर वो मान सम्मान कमाए। हमारी बेटी हर प्राइवेट सेक्टर में जाकर एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त करें तो क्या राजनीति में उसकी भागीदारी नहीं बनती? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारी मातृशक्ति को तैंतीस परसेंट का आरक्षण इसीलिए निर्धारित करना चाह रहे थे ताकि जो हमारी मातृशक्ति सरल और सहज बनकर एक परिवार को चला सकती है वो कब दुर्गा का रूप धारण करके इस देश के लिए भी सर्वोच्च बलिदान दे सकती है। इसीलिए वो उनको राजनीति में लाना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य कि कुछ लोगों ने अपने हित को देखते हुए उस बिल को रोका। उस बिल के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा और अब कहना क्या चाह रहे हैं कि आप लोग नहीं चाहते थे अगर हम ऐसा नहीं चाहते, तो इस बिल को ही नहीं लेके आते। आप लोगों ने उस नारी शक्ति का अपमान किया है और मैं आज सदन के माध्यम से बताना चाहता

हूं कि वह नारी शक्ति अब जागरूक हो चुकी है वह जाग चुकी है और इसका अभी आप यह देखेंगे कि 4 तारीख को जब पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आएगा तो मेरी बहनें कितनी बड़ी संख्या में आने वाली इस 29 तारीख को मोदी जी के उस मान सम्मान को और अपने मान सम्मान को सर्वोपरि मानकर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पूरे देश को पता लगेगा कि हमारी बहनों के अंदर कितना आक्रोश है और वह कितना इस पीड़ा के तहत हर पार्टी से हर उस विपक्षी से ये बदला लेना चाहती है। मैं अपनी मातृशक्ति से यह भी निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को और हमारे नरेंद्र मोदी जी को इतना मजबूत बनाओ कि आने वाले समय में यह बिल लाकर आपकी 33% की भागीदारी हम सबके साथ हो जय हिंद, जय भारत, जय मातृशक्ति।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य सुरेन्द्र चौधरी जी, (अनुपस्थित)। माननीय सदस्य अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्त: अध्यक्ष जी धन्यवाद आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी महिलाओं का सम्मान इस देश में इस पूरे विश्व में होना चाहिए और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे जिस देश की महिलाएं सशक्त होंगी उस देश का विकास होना तय है और पिछले करीब 12-13 साल से बीजेपी की सरकार देश में काम कर रही है और आज क्योंकि 5 स्टेट के चुनाव हो रहे थे उससे कुछ दिन पहले देश के अंदर महिला बिल को लाने की चर्चा बीजेपी ने शुरू की और इसका कारण यही था कि वो वोट्स को इंफ्लूऐन्स कर दें, महिलाओं के वोटों को इंफ्लूऐन्स कर दें एक उनको बार-बार एक नया जुमला दे दें, जैसे कि 2023 में बीजेपी ने जुमला दिया था कि हम महिलाओं को आरक्षण देने का बिल पास कर रहे हैं, लेकिन वो जुमला सिर्फ और सिर्फ चुनाव का जुमला था और इस बार फिर देश के अंदर 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा था, ये जुमला फिर छोडा गया और फिर इसमें जानबूझकर दिखाके कि आज तक बीजेपी के सिर्फ 2 या 3 बिल पास नहीं हुए हजारों बिल पास हुए, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण महिलाओं के ऊपर महिलाओं का विधेयक, महिलाओं के देखिये सुनिये, महिलाओं के विधेयक पे कानून पास नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी ना तो चाहती है कि महिलाओं को आगे बढायें और ना ये चाहती है कि देश के अंदर महिलाओं को किसी तरीके का सम्मान मिले। मैं दिल्ली की बात करता हूं आज दिल्ली के अंदर अगर आप देखें बीजेपी ने अपने मैनीफेस्टो में कहा 2500 रूपये देंगे, 2500 रूपये देंगे, 2500 रूपये देंगे। आज महिलाएं ढूंढ रही हैं, पच्चीस सौ रुपए नहीं आए। यहां दिल्ली की

मुख्यमंत्री ने दो बार इस सदन के अंदर बजट के अंदर कहा कि अब आपको पच्चीस सौ रुपए आ जाएंगे। दिल्ली की महिलाएं ढूंढ रही हैं, पच्चीस सौ रुपए कब आएंगे? महिलाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि महिलाओं को हम हर त्योहार पर सिलेंडर फ्री देंगे। महिलाएं इंतजार कर रही हैं।

....व्यवधान....

श्री अजय दत्त: दे दिए, अरे सिलेंडर ढूंढ रहे हैं कहां है सिलेंडर?

....व्यवधान....

श्री अजय दत्त: सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, सिलेंडर कहां है? मैं ढूंढूं और अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी।

....व्यवधान....

श्री अजय दत्त: तीसरी बात। बस के अंदर मार्शल लगे हुए थे महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए, इन्होंने उन बस मार्शल को हटा दिया। उन बस मार्शल को हटा दिया इन्होंने।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइये।

....व्यवधान....

श्री अजय दत्त: तीसरा मोहल्ला क्लीनिक जहां पे गरीब महिलाएं जाके अपना इलाज करा लेती थी मैं अंबेडकर नगर से आता हूँ इन्होंने 250 से ज्यादा मोहल्ला क्लीनिक बंद किए, इन्होंने 250 से ज्यादा मोहल्ला क्लीनिक बंद किए, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर दवाएं जो मुफ्त मिलती थीं आज पैसों से मिल रही हैं वो सारी की सारी, हां, हां, ये सत्य है। तो ये महिलाओं के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है एक गरीब महिला, अच्छा और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ एक अभी देखिए उछल के सारे खड़े हो जाएंगे। बीजेपी के लोग बार-बार जय श्री राम, जय श्री राम कहते हैं। हम कहते हैं जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम हम ये कहते हैं, हम कहते हैं जय सीताराम।

(माननीय उपाध्यक्ष, श्री मोहन सिंह बिष्ट, 3:06 बजे पीठासीन हुए)

श्री अजय दत्त: अब आपको बता रहे हैं अगर आपको महिलाओं की इतनी, मां सीता का इतना आपको सम्मान करना है अगर आपको इतना....

....व्यवधान....

श्री अजय दत्त: अध्यक्ष जी!

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: बोलिए, बोलिए।

श्री अजय दत्त: मैंने ये आज, अध्यक्ष जी, मैंने इच्छा जताई थी कि आपको समय मिल जाए, मेरे टाइम पे ही आपको समय मिल गया बहुत अच्छा।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री अजय दत्त: मुझे लगा आप 15 मिनट मुझे देंगे आज बोलने के लिए। अध्यक्ष जी! भगवान राम का मंदिर बना अयोध्या में, भगवान राम का मंदिर बना मां सीता, मां सीता। मां सीता, मां सीता क्यों नहीं है भगवान राम के साथ, मंदिर के अंदर ये बड़ा प्रश्न है बीजेपी के ऊपर, आप पूरे देश के अंदर डंका बजाते हो महिलाओं के सम्मान का, माता सीता वहां पर क्यों नहीं स्थापित हुई, ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं।

....व्यवधान....

श्री अजय दत्त: ये दांत दिखा रहे हो, ये सवाल आपके बीच में रख के जा रहे हैं।

....व्यवधान....

श्री अजय दत्त: अध्यक्ष जी, एक मिनट अध्यक्ष जी एक और बात।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: अजय जी! विषय पर ही बोलें अच्छा लगेगा।

श्री अजय दत्त: महिलाओं पर बोल रहे हैं।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: सब्जेक्ट पे बोलिए, आप जिस बिल की हम चर्चा कर रहे हैं उसके महत्व को समझिए आप इधर-उधर की बातें ना करें प्लीज।

श्री अजय दत्त: अध्यक्ष जी ये उछलेंगे मुझे पता है अध्यक्ष जी ये सच्चाई तो क्या है कि ये सिर्फ चुनाव के जुमलों में महिलाओं के वोट लेने के लिए सारे जुमले 2023 में भी बोले।

(समय की घंटी)

श्री अजय दत्त: आज महिलाओं, आज इन्होंने महिलाओं का जो पिंक कार्ड बनाते.....

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: अजय जी! आप कन्कलूड करिये। प्लीज सम अप करिए, सम अप करिए, देखिए।

श्री अजय दत्त: अभी तो दो मिनट हुए हैं आपको आए हुए।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: आपको 6 मिनट हो गए।

श्री अजय दत्त: कहां हुए 6 मिनट देखिये टाईम आप।

(समय की घंटी)

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: वो देखिये ना सामने।

श्री अजय दत्त: आप 10-10 मिनट दे रहे हैं यहां पे लोगों को। अगर विपक्ष को बोलने देना चाहते हैं तो...

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: नहीं नहीं ऐसा नहीं है हम विपक्ष का भी सम्मान करते हैं।

श्री अजय दत्त: हां तो ठीक है हम आपका सम्मान कर रहे हैं।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: आप सम अप कीजिए प्लीज।

श्री अजय दत्त: मैं तो कह रहा हूं आप परमानेंट कुर्सी पर बैठ जाओ। अध्यक्ष जी आखिरी बात ये और मैं कहने जा रहा हूँ आप लोगों ने ये महिलाओं पर बहुत महिलाओं के बिल पर महिलाओं को 33% आरक्षण की बात इतनी कर रहे हैं, बीजेपी ने दिल्ली के अंदर सिर्फ नौ महिलाओं को टिकट दी, नौ महिलाओं को दिल्ली के अंदर टिकटें दी, अच्छा और सुनिए, उनमें से एक भी महिलाओं को, एक को मुख्यमंत्री बना दिया या तो दूसरी को बनाते विधानसभा अध्यक्ष या उनको मंत्री तो बनाते, कम से कम एक और महिला को मंत्री बनाओ, तो मैं जानूं।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, **माननीय अध्यक्ष**: अजय जी आप सम अप कीजिए प्लीज।

(समय की घंटी)

श्री अजय दत्त: आप महिलाओं का सम्मान करते हैं।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: नहीं नहीं गलत बात है ये आप सम अप कीजिए प्लीज।

श्री अजय दत्त: अध्यक्ष जी**,** आपने सबको दिया था टाइम 10-10 मिनट का....

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: गलत बात है ये।

श्री अजय दत्त: एक मंत्री और बनाओ दिल्ली के अंदर जब हम जाने, जब हम जाने। हमारी बहन है पहलवान उसको बनाओ।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: राजकुमार भाटिया जी!

(समय की घंटी)

श्री अजय दत्त: हमारी, किसी को तो एक और....

....व्यवधान....

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: राजकुमार भाटिया जी! प्लीज।

श्री अजय दत्त: अध्यक्ष जी महिलाओं का सम्मान नहीं है ये अपमान है।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, **माननीय उपाध्यक्ष**: नहीं नहीं आप विषय से हट कर के बात कर रहे हैं सदन का समय बर्बाद ना करें प्लीज। नहीं गलत बात। राजकुमार भाटिया जी।

श्री राजकुमार भाटिया: धन्यवाद अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य है कि जब आपकी बारी आती है तब मेरी बारी आती है और आप मेरे पे विशेष स्नेह भी रखते हैं तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि घंटी बजाने में थोड़ी सी देरी करें।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: लेकिन औरों का भी समय आने दें और लोग भी बोलें।

....व्यवधान....

श्री राजकुमार भाटिया: अरे भाई साहब।

....व्यवधान....

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: चलिए चलिए प्लीज ठीक है कोई नहीं कोई नहीं अजय बाबू, बोलिए बोलिए प्लीज आप स्टार्ट कीजिए।

....व्यवधान....

श्री राजकुमार भाटिया: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया है और 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' मात्र एक राजनीतिक विधेयक नहीं था और ना ही यह आरक्षण का मुद्दा था, ना मतगणना का मुद्दा था और ना ही जनसंख्या निर्धारण का मुद्दा था। यह देश की आधी आबादी को उसकी राजनीतिक सहभागिता पूर्ण करने का एक विषय था, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा था। मेरे साथी अभी अलग अलग बात कर रहे थे, अपने अपने विचार सबने रखे। मैं देख रहा था भाई विशेष रवि जी जब अपनी बात रख रहे थे तो कहीं ना कहीं वो अपनी आत्मा की आवाज को दबा रहे थे। मैं उनसे हमेशा उम्मीद करता हूं कि वो सीधी बात करते हैं। मैं उनको काफी समय से जानता भी हूं। जब मैं विधायक नहीं था तब भी उन्हें सुना करता था। लेकिन आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को इसलिए दबा गए क्योंकि जिस दल से आप संबंधित हैं और उनके जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने इस ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम'' का संसद में विरोध किया है। मैं कल जब इस सत्र में बोलने की तैयारी कर रहा था तो मैंने उन दलों के नाम भी देखे जिन्होंने इसका विरोध संसद में किया। मैं तो इतना ही कहूंगा कि-

''क्या बताऊं कारवां क्यों लुटा, तेरा राहजनों से है वास्ता।

मुझे राहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी पर मलाल है।''

आपने संसद में इस bill का विरोध करके मात्र देश की नारियों का विरोध नहीं किया है, बेटियों का विरोध नहीं किया है, एक ऐसी भ्रूण हत्या करी है कि आने वाली पीढ़ियां भी जो बेटियों की होंगी, वह आपको माफ नहीं करेंगी। मात्र राजनीतिक मतगणना के साथ जोड़ दिया। गैर तार्किक बहस वहां पर हुई और गैर तार्किक बहस में आपने जो जो विषय वहां पर रखे उन दलों ने, भले वो टीएमसी हो, भले वो आम आदमी पार्टी हो, भले वो कांग्रेस हो। मैं 2014 से पहले उस विशेष परिस्थिति पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। देश में एक ही पार्टी की 71 साल सरकार रही, ज्यादा समय। बीच में हमारी सरकार भी आई, लेकिन ज्यादा समय एक ही पार्टी की

सरकार रही। और सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए उस सरकार की एक महिला प्रधानमंत्री ने भी लंबे समय देश पर राज किया। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री या कौन सा ऐसा राष्ट्राध्यक्ष जिसने सड़क के किनारे, रेल की पटरी के किनारे खुले में शौच करती हुई महिला को नहीं देखा होगा। भाई साहब, सबने देखा होगा, सबको शर्म आई होगी क्योंकि लाज सबको होती है। अगर हम इंसान हैं तो लाज लज्जा हमारे बीच में, हमारे संस्कारों में है। किसी ने रेलगाड़ी का शीशा बंद कर लिया, किसी ने पर्दा ढँक लिया, किसी ने मुंह मोड़ लिया क्योंकि बहन बेटी अगर खुले में शौच कर रही है तो किसी को भी शर्म आएगी। सबने दृष्टि से देखा और दृष्टि घुमा ली, सबने नजर से देखा और नजर घुमा ली। समाधान किसी के पास नहीं था। लेकिन जिस प्रधानमंत्री ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को इस संसद में प्रस्तुत किया, हमारे उस प्रधानमंत्री जी ने उस समस्या को नजर से नहीं देखा, नजरिए से देखा, दृष्टि से नहीं देखा और दृष्टिकोण से देखा और शौचालय बनवाकर देश में 12 करोड़ शौचालय बनवाकर और एक घर में अगर पांच सदस्य हों तो 70 करोड़ लोगों को शर्म से बचाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके मन में संवेदनशीलता थी, उनके मन में नारियों के प्रति सम्मान था, तब उन्होंने यह सोच करी और उस सोच का नतीजा यह हुआ कि आज किसी भी गांव देहात में नारी और जिस नारी को शक्ति देने की बात वो कर रहे थे, राजनीतिक सहभागिता देने की बात कर रहे थे वो नारी चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे वो मेरी पत्नी हो, चाहे वो मेरी मां हो या आपके घरों में रहने वाली मेरी मां बहन बेटी हो, एक महिला अपने घर की सबसे पहले गृहमंत्री होती है। जलशक्ति का संचालन भी वही करती है, घर की ऊर्जा मंत्री भी वही होती है, घर की वित्त मंत्री भी वही होती है और घर में अगर टूट फूट हो जाए तो उस घर को संभालने का काम भी वो महिला करती है, इसलिए वो वंदनीय है। हमारे समाज में भी इसलिए वंदन किया जाता है और इसका सीधा सीधा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर महिला मुख्यमंत्री बनीं, लेकिन जब बहन रेखा गुप्ता दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी तो मैंने अभी कहा और भाई गजेंद्र जी ने भी उसको कहा कि हमारी मुख्यमंत्री जी ने मजबूती के साथ सरकार चलाई, मजबूरी के साथ सरकार नहीं चलाई। मजबूती के साथ उन्होंने महिलाओं के रक्षा की बात करी, बाल विकास की बात करी और यही एक महिला की सूझ समझ होती है। घर में आटा खत्म हो, घर के बच्चों को कैसे बताना है कि आज आटा, रोटी नहीं चावल बनने जा रहे हैं। वो पुलाव बनाकर उनको प्रस्तुत करती है। नई नई डिश बनाकर क्योंकि आटा ना मांग ले। यह महिला के ही गुण हैं और

जब उस महिला को सशक्तिकरण की बात की, उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की बात हो रही थी, निर्णायक भूमिका में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने की बात हो रही थी और समाज में जो जेंडर इक्विटी की जो बात थी, लैंगिक समानता की जो बात थी, उसको पूर्ण करने का काम अगर प्रधानमंत्री जी की सोच में था तो इन दलों के पेट में दर्द क्यों हुआ? उन्होंने अलग अलग मुद्दे उठाकर इसको भटकाने का प्रस्ताव किया। कोई गंभीर बात होती तो तब भी कोई बात नहीं थी। लेकिन गैर तार्किक पक्ष पेश किए गए। आप एक एक video उठा के देखिए जब विपक्ष बोल रहा था तो उनके पास मुद्दे क्या थे? कुछ दलों ने ओबीसी की बात करी, कुछ लोगों ने महिलाओं के लिए अलग कोटे की बात करी। यह भी कहा गया कि लागू करने की प्रक्रिया जनगणना और परिसीमन में इसके कारण देरी होगी, कुछ ने तो इसे राजनीतिक समयबद्धता के साथ भी जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो कैडर था, ना कैडर बेस्ड वो पार्टियां रही। क्योंकि उनके यहां तो परिवारवाद निरंतर चलता था और विपक्ष की भूमिका पर हम सब लोगों को मिलकर विचार करना होगा। मैंने कहा ना कि आने वाली पीढ़ियां भी इस बिल को केवल खारिज नहीं किया गया, इस बिल की भ्रूण हत्या की गई है। यह आने वाले समय में विश्व पटल पर महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित करता था, भारत की भूमिका को सुनिश्चित करता था। लेकिन हम सब ने मिलकर इसको जब आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो विपक्ष को लगा। अभी भाई साहब बता रहे थे कि जी पांच state में election था। क्या आप जब election लड़ रहे थे तो आपने महिलाओं के vote नहीं लिए थे, क्या आपको महिलाओं ने vote नहीं दिया था? और इसका जवाब पांच state में नहीं, आपको भी अगले election में देना पड़ेगा कि जब आप vote मांगने जाएंगे तो आप खुले से अपने agenda में बताना कि हम वही लोग हैं जिन्होंने महिला आरक्षण bill का विरोध किया था, आप हमें vote दें ना दें, आपकी मर्जी है। तब आपको पता चलेगा कि दिल्ली की जनता, दिल्ली की आधी आबादी आपको चुनेगी कि नहीं चुनेगी। कैसी बात करी आपने? और आज भी जब मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संसद में खारिज हुए इस प्रस्ताव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है, तब भी आपको अपनी गलती महसूस नहीं हो रही। भले ही संसद में आपने कुछ न किया हो, लेकिन दिल्ली की जनता की आवाज उठाना, दिल्ली की आधी आबादी की आवाज उठाना आप सबका फर्ज बनता था और आज मुख्यमंत्री के निंदा प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए था आप सबको। अध्यक्ष महोदय! 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' केवल एक कानून नहीं था, बल्कि एक नवभारत की परिकल्पना थी। नए भारत को निर्माण करने की परिकल्पना थी और

(माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता अपराहन 3.18 बजे पुन: पीठासीन हुए।)

(समय की घंटी)

श्री राजकुमार भाटिया: जैसा आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा। बस एक ही मिनट में बात करूंगा और मैं मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आपने जो बेल बजाई है उसका भी समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री कुलवंत राणा जी।

श्री कुलवंत राणा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' बिल पार्लियामेंट में गिरा उसके संबंध में लाए गए निंदा प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो यह बिल लाया गया था इस बिल के पीछे एक उद्देश्य था कि परिसीमन में समय लगेगा। परिसीमन में ना जाकर के और हम शीघ्र प्रभाव से 2023 में 33 परसेंट का जो महिला आरक्षण था उसको लागू करें और इस काम को आगे जल्दी से बढ़ाएं और आने वाले 2029 के चुनाव में नए आरक्षण के साथ चुनाव कराए जाएं। आरक्षण आता महिला आरक्षण या किसी दल को किसी को क्षति नहीं थी इससे, किसी दल का कोई नुकसान नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े दिल से यह भी कहा कि हम आपको श्रेय देंगे इसका, श्रेय की भी इसमें श्रेय का झगड़ा भी नहीं था। पता नहीं क्या डर था विपक्ष को, किस डर के कारण उन्होंने इसका विरोध किया और इसमें संविधान संशोधन के अंदर ज्यादा नंबर चाहिए था। नंबर था नहीं इनको पता था इनके पास नंबर नहीं है। तो इस बिल को गिराकर के ये मजे मारना चाह रहे थे, सत्तापक्ष को नीचा दिखाना चाह रहे थे, ये ध्येय था इनका। नीचा दिखाने की प्रक्रिया थी और महिलाओं का आरक्षण रोकने का ध्येय था विपक्ष का। और यही लोग लम्बे अर्से से महिला आरक्षण की मांग करते आए हैं। हम भी मांग करते रहे लम्बे समय से, हमारे दल ने हमेशा महिला आरक्षण का सपोर्ट किया है और हमने अध्यक्ष जी 33 प्रसैंट भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में इसको लागू भी किया, इनके किसी दल में 33 प्रसैंट आरक्षण नहीं है महिलाओं का। हमारे मंडल में भी महामंत्री बने, महिला अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष भी बने, हमारे प्रदेश की टीम में भी बने, राष्ट्रीय समिति टीम में भी बने, हमारे यहां व्यवस्था है ऐसी और हम उस दल के लोग हैं, विचार मन से और विचार परिवार ने हमको संस्कार दिए हैं, विचार परिवार ने हमको दिशा दी है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं और हम

महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, इस दल से आप सीख सकते हो। हम आपकी तरह नहीं है कि एक महिला को पहले अपने घर में, पहले उसका सहयोग लिया पार्टी में, फिर महिला आयोग की अध्यक्षा बनाया दिल्ली की, फिर उसकी ठुकाई कर दी घर में बुलाके। इस प्रकार का काम हम नहीं करते। आपका एक मंत्री दिल्ली में, एक बेचारा हमारी तरफ का है नोर्थ वैस्ट का मंत्री था सुल्तानपुरी से और राशन मंत्री बन गया, मंत्री बनने के बाद राशन कार्ड लेने आई महिला उसकी ऊपर ही गंदी नजरें कर ली और उस महिला का शोषण कर लिया। तो इस प्रकार के लोग, तो निश्चित रूप से इनसे अपेक्षा यही है कि ये तो इन लोग को विरोध करना था। इनको विरोध करना था। अभी सीता जी, रामजी का मामला लिया, जय श्रीराम बोलो, जय सीताराम बोलो, तो प्रभू का नाम है बोलना चाहिए अच्छी बात है आपके मुख से सुना अच्छा लगा। दूसरी बात ये आरक्षण होने से निश्चित रूप से देश की महिलाओं को और ज्यादा अभी नम्बर 10 से 12 प्रसैंट संख्या बढ़ जानी थी इनकी और परिसीमन होने के बाद 800 कितनी समथिंग सीटें होंगी तो उसमें 181 तो अभी होती है, अगर वर्तमान के हिसाब से लगाएंगे हम करेंगे। तो बाद में सर मैं आंकड़ा दूंगा, मेरे पास आंकड़ा है कि कितनी सीटें और हो जाती परिसीमन के बाद, जब ये परिसीमन लागू होने के बाद, इसमें प्रमूख रूप से अध्यक्ष महोदय अगर आरक्षण लागू हो जाता है वर्तमान में होता तो जितनी सीटें थी उसके बाद, मैं एक मिनट बताता हूं आपको, 181 सीटें होती वर्तमान सीटों में और अगर आगे जो नया परिसीमन के आधार पर करें तो 6 में से 2 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तो मुख्य रूप से बहुत सारी जो महिला राजनैतिक दलों में काम करती हैं सबको अवसर नहीं मिल पाता ये सत्य है और जब एक आरक्षण निश्चित होगा तो निश्चित रूप से हर दल की एक मजबूरी होगी कि 33 प्रसैंट महिलाओं को अवसर देना ही देना पडेगा महिला सीट तो महिला ही लड़ेगी। तो ये भी सत्य है कि बाकी दलों की जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पहले से ही संगठन में जब हमने आरक्षण दिया उसके पीछे एक ये भी है कि आने वाले समय आरक्षण आएगा और आरक्षण के अनुसार हमको, महिलाओं को अवसर देना है। तो विधानसभाएं हों, निगम के चुनाव हों, लोकसभा के हों, इनकी धरातल पर इस प्रकार की तैयारी नहीं है और ये भयभीत हैं कि अगर आरक्षण आ गया तो महिलाओं को एकदम कैसे ढूंढेंगे और कुल मिलाकर के देश के अंदर राष्ट्र के अंदर जब बदलाव आए आज तक 2014 से मुख्य विपक्षी दलों का एक ही ध्येय रहा है उद्देश्य रहा है मोदी विरोध राष्ट्र विरोध और देश के हित में जितने भी निर्णय हुए विपक्ष ने एक भी निर्णय में सहयोग नहीं किया और हर बात में विरोध किया चाहे

वो राष्ट्र के पक्ष का हो, धर्म के पक्ष का हो, इनका काम एक ही ध्येय बन गया विरोध करना है, विरोध करना है और कोई ध्येय नहीं नीचा दिखाओ और ऐसे कितने सारे बदलाव 2014 के बाद आए हैं। अध्यक्ष जी उसमें प्रमुख रूप से आर्थिक और वित्तीय सुधार आए हैं, सामाजिक और कल्याणकारी योजनाएं आई, संवैधानिक और कानूनी फैसले भी हुए उसके साथ-साथ हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और उसके साथ-साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी आधारित सेवाओं का व्यापक उपयोग इनमें जितनी भी योजनाएं राष्ट्र में आई बड़ी-बड़ी उन सभी योजनाओं का इन्होने विरोध किया, 370 तक का भी विरोध किया जो कि इनका ये बनता नहीं था विरोध करना। राष्ट्र का मामला जहां भी आए भारतीय जनता पार्टी ने भी राजनीति की है, राजनीति करती आ रही है। अटल जी ने भी को भी अवसर मिला था विपक्ष का रहने का और आडवाणी जी ने भी नेतृत्व किया और उसके बाद में डेलिगेशन में भी गए बाहर कभी राष्ट्र के विरोध का कोई भी शब्द बोला नहीं है हमेशा सहयोग किया है राष्ट्र हित का कोई भी निर्णय हो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सपोर्ट किया उस निर्णय को और ये राजनीतिक दल का किसी का भी है ये दायित्व बनता है वो नेता विपक्ष कोई भी हो किसी दल से हों। जब कोई भी राष्ट्र का विषय हो तो उसके राष्ट्र के विषय में उसको साथ खड़ा होना चाहिए और प्रवृत्ति क्या बन गई इस राष्ट्र के नेता विपक्ष की कि विदेश में जाकर के निंदा करते हैं, देश की निंदा करते हैं, सरकार की निंदा करते हैं किस प्रकार से गिरावट मूल्यों में गिरावट आ गई सिद्धांतों में गिरावट आ गई, विचार में गिरावट आ गई, सोच में गिरावट आ गई क्या विपक्ष के लोग क्या ऐसी पार्टियां, क्या करेंगी ये पार्टियां। मजाक उड़ाते हैं देश का राष्ट्र का सम्मान खत्म कर रहे हैं, अपमान करा रहे हैं राष्ट्र का। ऐसे लोगों को राजनीति करनी नहीं चाहिए और ये सच है जिस प्रकार से बिल का विरोध किया आने वाले समय में महिलाएं ये सच है कि 50% महिलाएं हैं। आप कुछ भी बोल सकते हो आप बोलने के लिए आपके पास बहुत चीजें हैं बहुत सारे तरीके आपके पास हैं अलग-अलग तरीके से सोच सकते हो, आप निंदा कर सकते हो लेकिन महिलाएं छोड़ने वाली नहीं और आने वाले जो चुनाव होंगे बुरा हाल होगा आप लोगों का। देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी आपको और जितने भी दल विरोध में थे सबको माफ नहीं करेंगी। माननीय मोदी जी जब से सत्ता में आए या भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आई महिला सशक्त कैसे हो, कितनी सारी योजनाएं महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी लेकर आए और उन योजनाओं का उल्लेख ओम प्रकाश शर्मा जी ने भी बाकी अन्य सदस्यों ने भी किया है उनका मैं नहीं चाहता उल्लेख मैं भी करूं, समय का अभाव है। लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री कुलवंत राणा: जमीन पर जो

काम। नहीं, मैं समाप्त नहीं कर रहा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: नहीं नहीं अभी समय हो गया है वैसे।

श्री कुलवंत राणा: अभी घंटी बजेगी फिर उसके बाद अभी जो नीलम पहलवान ने बोला था स्कूल की घंटी की तरह मत बजाओ अभी थोड़ा सा समय मुझे दिया आपने उसके लिए धन्यवाद। तो मूलतः महिला सशक्तिकरण की कितनी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने शुरू की। वास्तविक रूप से उनके मन में एक पीड़ा रही है महिलाओं के प्रति बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और पहले जो भ्रूण हत्या पे भी अधिनियम और विधेयक आए हैं उस पर सख्ती अपनाई है नहीं पहले तो यही होता था कि भाई जांच कराओ बेटा है तो पैदा होगा और बेटी है तो मार दो गर्भ में। इस पर किसने रोक लगाई, भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगाई। बच्चियों को हर प्रकार से हर क्षेत्र में, महिलाओं को काम करने का अवसर प्राप्त हो, हर प्रकार से जैसे उन्होंने शौचालय की बात कही, ड्रोन दीदी की बात की और मुद्रा लोन के तहत जितनी योजनाएं इसका नाम लूंगा लंबी लिस्ट है 100 से अधिक योजनाएं हैं। तो ये सब योजनाएं क्यों प्रारंभ की कि महिला सशक्तिकरण हो, महिलाओं को कठिनाई ना हो भेदभाव समाप्त हो, जेंडर का जो भेदभाव है वो खत्म हो, समानता का अधिकार है ये सच है ईश्वर की रचना है, ईश्वर ने पुरुष भी ईश्वर ने बनाया महिला भी ईश्वर ने बनाई है प्रकृति दोनों से चलती है। तो ये भेदभाव तुम्हारे मन के हैं। तो महिलाएं सशक्त भी हैं शिक्षित भी हैं और देश को नेतृत्व दे भी चुकी हैं महिलाएं। आजादी से पहले भी दे चुकी हैं ये नहीं कि अभी आजादी के बाद ही महिलाएं सक्रिय हुई है देश में, आजादी के आंदोलन में भी भूमिका रही है महिलाओं की। 1857 में भी रही उससे पहले भी रही है। वीरांगनाएं हुई हैं राष्ट्र के अंदर महिलाएं और अपनी वीरता का परिचय दिया है, बुद्धिमता का परिचय दिया है, गुणवत्ता का परिचय दिया है और महिलाएं अगर घर नहीं चला सकती सही तो देश बर्बाद हो सकता है। तो महिलाएं अपनी काबिलियत से घरों को चलाती हैं उनको संभाल के रखती हैं जुटा के रखती हैं परिवारों को अनुशासन में रखती हैं, अनुशासन से बाहर ना जाएं, घर ना टूटे परिवार चले अच्छे से चले।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री कुलवंत राणा: सबकी चिंता करती हैं तो कुल मिलाकर के महिलाओं को इन्होंने कमजोर माना अध्यक्ष जी इन्होंने महिलाओं को हल्के में लिया है, महिला बिल को इन्होंने हल्के में लिया है और हम इनकी निंदा भी करते हैं और साथ में मैं आग्रह करूंगा भविष्य में जो भी विरोधी दल हैं विरोध करें हमारी नीतियों का विरोध करें, हमारे निर्णयों का विरोध करें लेकिन देश हित के निर्णयों का विरोध करना उचित नहीं होगा और सभी लोग देश के लोग देखते हैं इन चीजों को और परमात्मा भी तुम्हें माफ नहीं करेगा और देश कभी माफ नहीं करेगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: चलिए धन्यवाद।

श्री कुलवंत राणा: और देश के विषयों के अंदर विपक्ष के नेताओं से आग्रह करूंगा हमेशा देश के निर्णयों में साथ दें, सहयोग दें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: थैंक्यू, थैंक्यू।

श्री कुलवंत राणा: ये मोदी जी का निर्णय नहीं है देश का निर्णय है और मोदी जी के अंदर एक पीड़ा है कि देश बदले देश आगे बढ़े देश का गौरव बढ़े और उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: ठीक है धन्यवाद।

श्री कुलवंत राणा: और वो निर्णय कराए हैं जो निर्णय तुम लोग 70 साल में नहीं कर पाए, 75 साल में जो निर्णय नहीं कर पाए वो निर्णय मोदी जी ने करके दिखाए हैं वो देश भक्त हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। ज्यादा ना बोलते हुए अध्यक्ष जी आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार, घंटी नहीं बजाई धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण आज हम 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर चर्चा कर रहे हैं और कल ही मैंने सभापति तालिका में सदस्यों को मनोनीत किया था उसमें एक सदस्य श्रीमती शिखा रॉय है, तो मैं चाहता हूँ कि वो कुछ समय के लिए चेयर पर आएं और महिला सशक्तिकरण के इस अवसर पर वो सदन को चलाएं। और कपिल मिश्रा जी अब शुरू करेंगे, उसके बाद, आइए।

(श्रीमती शिखा रॉय अपराहन 3.30 बजे माननीय अध्यक्ष के स्थान पर पीठासीन हुई)

श्री अजय दत्त: एक सेकंड देखिए, ये अच्छी बात है कि विपक्ष की आवाज सुनी जाती है। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं उन्होंने इमीडिएटली मेरी आवाज सुनी और इनको यहां पर बिठा दिया और हमेशा के लिए बिठा रखेंगे। ये मेरा उनसे।

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्ष: आप बैठिए मैं, मैं धन्यवाद करती हूं। मैं आपकी तरफ से धन्यवाद मैं कर देती हूं बल्कि सबकी तरफ से और मेरी महिला साथियों की तरफ से मैं अध्यक्ष जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर नारी शक्ति को अपने अधिकार के हिस्से में से आज यहां पर हिस्सा दिया है, इसके लिए अध्यक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है, यही नीति है और यही नियत है जो आज मैं यहां पर इस समय इस अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठी हूं।

श्री अभय वर्मा(मुख्य सचेतक): स्पीकर महोदया, मेरा कहना है कि अभी हाउस से एक जोरदार ध्वनि जाना चाहिए क्योंकि पक्ष की भी महिला, विपक्ष की भी महिला और स्पीकर भी महिला।

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्ष: जी बहुत धन्यवाद, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्ष: चलिए, सदन का समय कीमती है चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कपिल मिश्रा जी।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री: बहुत-बहुत आभार माननीया अध्यक्ष महोदया जी और मेरा सौभाग्य कि आपकी अध्यक्षता में प्रथम वक्ता के रूप में मेरे को आपने मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और मैं इन पंक्तियों के साथ माननीया मुख्यमंत्री महोदया जी के द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव, सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पूरा राष्ट्र जिस विषय के बारे में सोच रहा है, चिंतित है। राष्ट्र की आधी आबादी जिस विषय को लेकर एक पीड़ा में है माननीया मुख्यमंत्री महोदया ने निर्णय लिया कि वह स्वयं उस विषय का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करेंगी इसके लिए आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। मैं माननीया मुख्यमंत्री महोदया जी के द्वारा प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और उसके पहले मैं यह कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं।

"सृष्टि नहीं नारी बिना यही जगत आधार,

नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार',

जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान,

देवी पूजन व्यर्थ है व्यर्थ हैं सारे दान,

लक्ष्मी, दुर्गा, शारदा सब नारी के रूप,

देवी सी गरिमा मिले नारी जन्म अनूप,

खुशियों का गेरू लगा रखती घर को लीप,

नारी रंग गुलाल है दिवाली का दीप।

और अंत में

क्यों नारी लाचार है, लुटती क्यों है लाज

क्या पुरुषत्व विहीन ही हुई धरा ये आज।''

यह जो चर्चा है, यह जो विषय है, इस पर थोड़ा विस्तार से बोलने से पहले विपक्ष के कुछ सदस्यों ने कुछ बातें रखी थी मैं उन पर जरूर बोलना चाहता हूं। विपक्ष की तरफ से सबसे पहले बोलते हुए संजीव झा जी ने विषय को छूने से इनकार कर दिया, विषय पर बोलने से इनकार कर दिया और पूछने लगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, विषय क्या है। तो मैं यह बताना चाहता हूं कई बार कई बार ना बोलकर चुप रह कर यह सामने वाला सोचता रहे कि आप अज्ञानी हैं। यह बेहतरीन है कि आप मुंह खोलें और साबित कर दें कि आप अज्ञानी हैं। जिस प्रकार से आपने सवाल उठाए। 1936 में पूनम जी ने बहुत विस्तार से बताया राष्ट्रीय सेविका समिति 1936 में गठन हो गया था और समकक्ष समानांतर संगठन है, करोड़ों की मेंबरशिप है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेंबरशिप है लेकिन हां जो आप यह बोलते हैं कि।

....व्यवधान...

श्री कपिल मिश्रा, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री: भाई आपके जैसे मैं बताता हूं, मैं बताता हूं आपके जैसे लोग अपने पिता से पूछते हैं कि तुम महिला क्यों नहीं हो।

....व्यवधान...

श्री कपिल मिश्रा, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री: यह बता रहा हूं ना, क्यों नहीं पूछते? तो इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं भाई साहब बात सुन लो।

....व्यवधान...

श्री कपिल मिश्रा, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री: देख भाई, अगर सुन लोगे तो बढ़िया है। अभी दर्द और होना है, अभी दर्द और होना है, अभी रोना शुरू मत करो, अभी दर्द और होना है। अभी तुम बहुत रोओगे, अभी शुरू हुआ है तुम्हारा रोना।

....व्यवधान...

श्री कपिल मिश्रा, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री: मैं केवल इतना कहना चाहता हूं।

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्ष: कुलदीप जी, कुलदीप जी समय कीमती है।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री: यह पीड़ा जायज है क्योंकि यह जिसके प्रतिनिधि के तौर पर बैठे हैं, उनका इतिहास यह बताता है कि यह पीड़ा जायज है। अभी कल जो हुआ।

....व्यवधान...

श्री कपिल मिश्रा, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री: अरे मैं बताता हूं स्वाति मालीवाल एक ही नाम काफी है इनको रुलाने के लिए। इनको रुलाने के लिए एक ही नाम काफी है और वह नाम है।

....व्यवधान...

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्ष: आतिशी जी, आतिशी जी बैठिये आप। उनको अपना वक्तव्य रखने दीजिए, उनको अपना वक्तव्य रखने दीजिए। आपने उनको शुरुआत ही नहीं अभी करने दी। माननीय सदस्य कृपया माननीय सदस्य को अपना वक्तव्य रखने दीजिए।

....व्यवधान...

श्री कपिल मिश्रा, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री: इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, अभी तो शुरू ही नहीं किया, अभी तो बोला ही नहीं इतनी मिर्ची क्यों लग गई। इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, आतिशी जी बात सुन लीजिए।

....व्यवधान...

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्षः आतिशी जी आप माननीय सदस्य को अपनी बात रखने दीजिए।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय विधि एवं न्याय मंत्रीः अभी तो। अभी तो शुरू ही नहीं किया और आप।

....व्यवधान...

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्षः मैंने पहले ही बैठते ही यह कहा समय बहुत कीमती है उसका ध्यान रखेंगे। माननीय सदस्य को अपनी बात रखने दें।

....व्यवधान...

श्री कपिल मिश्रा, माननीय विधि एवं न्याय मंत्रीः आप रो क्यों रहे हैं मत रोईये मत रोओ, अभी रोना बाकी है। क्यों रो रहे हो, क्यों इतना रो रहे हो।

....व्यवधान...

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्षः कपिल जी आप जारी रखिए।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय विधि एवं न्याय मंत्रीः नहीं नहीं इन्हें बैठना होगा। इन्हें बैठना होगा।

....व्यवधान...

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्षः आतिशी जी मुझे लगता है कि यह इस समय यह इस समय इस तर्क का विषय नहीं है। माननीय सदस्य को अपनी बात रखने दीजिए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि सदस्य अपनी बात रख रहे हैं, उनको पूरा करने दीजिए।

....व्यवधान...

श्री कपिल मिश्रा, माननीय विधि एवं न्याय मंत्रीः मुन्ना मत रो, देखिए।

....व्यवधान...

श्री कपिल मिश्रा, माननीय विधि एवं न्याय मंत्रीः मैं यह बताना चाहता हूं इनकी पीड़ा जायज है।

....व्यवधान...

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्ष: आप सुनना नहीं चाहते तो अलग बात है। विपक्ष सुनना नहीं चाहता मुझे लगता है अलग बात है अदरवाइज आप सदस्य को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

....व्यवधान...

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्ष: कुलदीप जी मर्यादा में, थोड़ा सा संयम से बैठते हैं और सुनते हैं। माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी करने दीजिए। माननीय सदस्य अपनी बात को आप एक्सप्लेन कर दें।

....व्यवधान...

श्री कपिल मिश्रा, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री: अध्यक्ष महोदय इन्हें बैठना होगा।

....व्यवधान...

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कर लें, समय का ध्यान रख लें, सबके लिए है, जी।

....व्यवधान...

श्री कपिल मिश्रा, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री: अभी तो बोला ही नहीं है। अभी तो बोला ही नहीं है और आप रोने लगे।

....व्यवधान...

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्ष: भाषा का सब, भाषा और टोन दोनों का प्रयोग संयम से करें। जी कुलदीप जी आप बैठिए।

....व्यवधान...

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्ष: आप बैठिए, माननीय कपिल जी।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री: अध्यक्ष महोदया, मैं इनके लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई, अभी तो बात

शुरू ही नहीं हुई और आप रोने लगे। अभी तो स्वाति मालीवाल की पीड़ा के बारे में चर्चा हो जाए तो क्या होगा। एकमात्र सांसद, एकमात्र सांसद राज्यसभा के अंदर एकमात्र सांसद और कोई साधारण सांसद नहीं है, आपकी महिला आयोग की अध्यक्षा भी वही थी। आपकी महिला आयोग की अध्यक्षा थी वो और क्या किया गया। अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष महोदया मुख्यमंत्री के घर में मुख्यमंत्री के घर के अंदर, मुख्यमंत्री के घर के अंदर और वो जो बयान है वो तो पुलिस के रिकॉर्ड में है ना। स्वाति मालीवाल के स्वयं का बयान है। यह तो कोई राजनीतिक आरोप नहीं है और उसके बाद से आज तक क्या अरविंद केजरीवाल उसे deny कर पाए। क्या वो बोल पाए उसके ऊपर। आज तक वो उसके ऊपर बोल नहीं पाए हैं। मुख्यमंत्री के सामने एक राज्यसभा की सांसद को मुख्यमंत्री के घर के अंदर जमीन पर गिरा के मारा गया, जूतों से मारा गया, पीटा गया और बाद में मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने जवाब देने तक से इनकार कर दिया और जो जो मारने वाला अपराधी था उसको अपने साथ हवाई जहाज में लेकर बैठाना शुरू कर दिया उस मुख्यमंत्री ने ये शर्मनाक है, शर्मनाक है लेकिन आप नहीं बोल पाओगे इसके बारे में। आपके पास बोलने के लिए इसके बारे में कुछ नहीं है। इससे बड़ी भी एक दुर्गति इन्होंने की। इन्होंने भी आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया। पिछली सरकार में जब केजरीवाल जेल गए, जब केजरीवाल जेल गए।

....व्यवधान...

श्री कपिल मिश्रा, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री: आप क्यों इतना रोते हो, आप इतना रोते क्यों हो, आप इतना मत रोया करो। अगली बार आपके लिए रूमाल लेकर आऊंगा।

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: नीरज जी, नीरज जी।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: अगली बार आपके लिए रुमाल लाऊंगा आतिशी जी।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: अनिल जी।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: अगली बार मैं आपके लिए रुमाल लाऊंगा ।

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: अनिल जी आप थोड़ा सा।

....व्यवधान....

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: मैं एक चीज कहना चाहता हूँ।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: अजय जी।

....व्यवधान....

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: एक और शर्मनाक घटना हुई।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: अजय जी, अजय जी, अजय जी।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: अजय जी, सदस्य को अपना, अजय जी आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: अजय जी आप स्थान ग्रहण करें वक्तव्य उनको पूरा करने दें।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: मैं ये बताना चाहता हूँ पीड़ा, पीड़ा का दूसरा कारण बताता हूँ पीड़ा का दूसरा कारण है कि आज दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बैठी हैं और स्वयं सक्षम बैठी हैं। जब आपने बनाया जब केजरीवाल जेल गए तो आदेश दे दिया बगल में ये कुर्सी मेरे नाम की खाली रखियो, एक कुर्सी मेरे नाम की खाली रखियो, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या, इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है कि आपने एक महिला को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाया भी और ये भी बोल दिया बगल में मेरी कुर्सी खाली रखियो, मीडिया में दो कुर्सी दिखनी चाहिए इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है क्या और वो भी किस मजबूरी में बनाया पूरे देश ने देखा था।

....व्यवधान....

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: अभी अजय दत्त जी ने बोला, अजय दत्त जी ने बोला मैं तो अभी भाई अभी तो केवल आपके बोलने पर ही का जवाब दे रहा हूँ.

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: अजय जी, अनिल जी, माननीय सदस्यगण अनिल जी, अनिल जी कृपया।

....व्यवधान....

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: अध्यक्षा जी।

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: जी।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: एक चीज और अभी जब अजय दत्त जी बोल रहे थे तो अजय दत्त जी ने बोला कि सिलेंडर नहीं आया, सिलेंडर का पैसा आया पर भाभी जी ने बताया नहीं आपको, आया खाते में सबके है पर बताया नहीं आपको।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: अजय जी बीच-बीच में बीच में आप डायरेक्ट।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: अजय दत्त जी बीच में डायरेक्ट कंफ्रंटेशन ना करें जब आपको बोलने का किसी का भी समय आएगा तब जवाब दीजिएगा, जी।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: धन्यवाद धन्यवाद

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: विशेष रवि जी ने अध्यक्ष महोदया।

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: अब सुन लेते हैं ।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: विशेष रवि जी बोल रहे थे तो विशेष रवि जी ने ये बोला कि 346 बिल संसद में पास हो गए लेकिन यही एक बिल पास क्यों नहीं हुआ। मैं ये मानता हूँ कि चार बार से सदन के सदस्य रहे हैं कौन सा बिल कितने बहुमत से पास होता है इसकी आपको जानकारी है तो मैं ये भी मानता हूँ कि आपने अज्ञानता में नहीं बोला आपने

जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश की 346 बिल के लिए टू थर्ड मेजॉरिटी नहीं चाहिए थी इस बिल के लिए टू थर्ड मेजॉरिटी चाहिए थी और इससे पहले जो बिल आया था टू थर्ड मेजॉरिटी का उसका आपने समर्थन किया था तो अगर आप ये कहते हैं अगर मैं आपकी भी, आपकी भी राजनीतिक बात को मान लूं इस आंकड़े को भी मान लूं , आपने।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: कुलदीप, कुलदीप जी, आप चेयर को एड्रेस करें ना, आप डायरेक्ट कंफ्रंटेशन मत करें। आप बीच-बीच में टोका-टोकी करके जवाब ना दें।

....व्यवधान....

कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: आपकी बात का जवाब दिया है।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: रवि जी, रवि जी आप उनको बोलने तो दें अभी तो शुरू ही नहीं हो पा रहा है उनका वक्तव्य शुरू ही नहीं हो पा रहा है। आप अभी, अभी आप बैठें जब समय आएगा आपका तो आप बोल लीजिएगा।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: जी

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: तो महिलाओं के लिए जब एक बिल सदन में आया ऐतिहासिक बिल आया था इसका विरोध किस-किस ने किया। इसका विरोध केवल दो ही तरह की पार्टियों ने किया एक तो परिवारवादी पार्टियों ने किया, जिनको ये पता है कि संसद में महिलाएं जाएं लेकिन मेरे परिवार की जायें, इसके अलावा कोई ना जायें। सोनिया गांधी जी खुद तो चाहती हैं कि वो अपने दल की नेता बनी रहे उनकी बेटी जरूर जाए लेकिन किसी और की बेटी सदन में ना जाए उसके लिए आरक्षण का विरोध आज नहीं किया पहली बार, पहली बार नहीं किया ये पहली बार का इतिहास नहीं है लगभग आधे दशक का इतिहास है आधी शताब्दी का इतिहास है 2010 में।

....व्यवधान....

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: कौन सी पार्टी से रही हैं, कौन सी पार्टी से रही हैं फिर आपको थोड़ा तो ज्ञान रखो ना।

....व्यवधान....

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: देखो अगर आप माता जी तक आओगे विशेष भाई, विशेष भाई, विशेष भाई देखिए अगर आप माता जी तक आओगे ना।

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: नहीं-नहीं।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: नहीं-नहीं, मेरी बात सुन लेना इस बात को मेरी बात तो अरविंद केजरीवाल से एक बात जाकर पूछना, सुनो और विशेष भाई अरविंद केजरीवाल से ये जाकर पूछना कि स्वराज लिखने से पहले किस निगम पार्षद के दरवाजे पर गए थे बस ये पूछ लेना अरविंद केजरीवाल से जाकर ये पूछना स्वराज लिखने से पहले किसके दरवाजे पर गए थे उसके बाद इसके बारे में बात करना उससे पहले मत करना बात।

....व्यवधान....

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: इतिहास बहुत, सुनो ऐसा इसी इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं लोग, लोग इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं जिसके भी पीठ में रीढ़ है और मुंह में जबान है वो इसीलिए छोड़ के जा रहा है क्योंकि आपको, आपको सत्य के साथ रहना नहीं आता, आपको सत्य के साथ रुकना नहीं आता, कोई ईमानदार आदमी आज आपके साथ रुक नहीं रहा जिसकी आत्मा जीवित है वो आपके साथ रुक नहीं रहा। सात सांसद एक दिन में छोड़ के चले गए इसी के कारण क्योंकि आपको सत्य के साथ खड़ा होना नहीं आता ये जाकर वापस सवाल पूछना।

....व्यवधान....

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: केवल केवल परिवारवादी राजनीति करने वाले।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: अनिल जी, अजय जी ऐसे ऐसे ऐसे हम बहस करते रहेंगे वक्तव्य पूरा नहीं होगा।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: अनिल जी आपका जब समय आएगा आप इन सारी बातों का जवाब देना आपके पास समय आएगा, आपने अगर नाम दिया है बोलने का तो आपके पास समय आएगा आप आप तब सारी बातें बोल लेना। नीरज जी नीरज जी नीरज जी आप बैठे।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: अनिल जी अपना टोन अनिल जी अनिल जी अनिल जी टोन और टेनर थोड़ा अपना आराम से करें, कपिल जी।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: अनिल जी, अनिल जी विषय, विषय पे बात कर लें, विषय पे चर्चा कर लें विषय पे चर्चा हो जाए।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: अध्यक्ष महोदया।

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: जी।

....व्यवधान....

श्री हरीश खुराना: पर्सनल आक्षेप करना बंद कर दो।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: अध्यक्ष महोदया मैं इतना ही कहना चाहता हूँ विपक्ष से।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है पर्सनल कटाक्ष पे मत जाइए निवेदन है कोई भी साथी पर्सनल कटाक्ष ना करे।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: नहीं विपक्ष के सदस्यों से मैं ये निवेदन करता हूँ कृपया जल लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदया कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं

या तो परिवारवादी राजनीति करने वाले विरोध कर रहे हैं जिनके लिए आरक्षण केवल अपने परिवार की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए चाहिए और या तो वो लोग विरोध कर रहे हैं।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: मैंने फिर कहा जी।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: जातिवादी और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले विरोध कर रहे हैं।

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: कपिल जी एक 1 मिनट कपिल जी देखिए।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: 2010 का इतिहास है मैं तो आज की बात ही नहीं कर रहा 2010 तक की भी अगर बात कर लें राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो चुका था, राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो चुका था और लोकसभा में मैच फिक्सिंग करके बिल की कॉपी को फाड़ा जाता है कोई एक सदस्य बिल की बिल की कॉपी फाड़ने से क्या प्रस्ताव रुक जाता है और उसके बाद सदन में कभी प्रस्ताव आया ही नहीं और बाई डिफॉल्ट 2014 में उसको लैप्स कर दिया गया उस प्रस्ताव को इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है और आज जब एक ऐतिहासिक अवसर सामने आया देश की बेटियों को, महिलाओं के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का, न्याय देने का, आरक्षण सुनिश्चित करने का और मैं कहता हूँ आप ये कह रहे हो

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: अजय जी, जी अजय जी, अजय जी मेरा मेरा फिर आखिरी निवेदन हो जाएगा प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं बार-बार ये बात कह रही हूँ समय सबके लिए कीमती होता है सदन का समय बहुत कीमती है।

....व्यवधान....

श्रीमती शिखा राय, माननीया अध्यक्ष: अजय जी आप बीच में टोका-टोकी ना करें, वक्तव्य पूरा होने दें

श्री कपिल मिश्रा, माननीय कानून एंव न्याय मंत्री: ऐतिहासिक मौका था सदन में इतिहास रचा जा सकता था महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए एक ऐसा कानून आया था और सबके

लिए आया था किसी राजनीतिक दल विशेष के लिए तो नहीं आया था बहुत बड़ा इतिहास लिखने का मौका था लेकिन विश्वासघात किया गया भारत के सदन के अंदर और जिस प्रकार से ये सुनिश्चित किया गया कि ये बिल पास ना हो और उन्हीं लोगों ने सुनिश्चित किया जो बार-बार पिछले 50 सालों से सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस प्रकार का कोई कानून आ ना जाए। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए किया गया तो आप पास करके रोक देते उस राजनीतिक फायदे को होने से, क्यों नहीं किया। जितने भी अभी विपक्ष ने काम पास इसके विरोध में बोला कोई ये नहीं बता पाया कि ये बिल क्यों नहीं आना चाहिए था ये तो बता रहे हैं कि आपको राजनीतिक फायदे के लिए लाए तो रुक जाता ना राजनीतिक फायदा आप सपोर्ट कर देते आपको सपोर्ट करने से किसने रोका था इस बिल को, सदन के अंदर खड़े हो जाते आप इसके समर्थन में लेकिन आपका इतिहास इसीलिए यहां बताना जरूरी था कि आपने विरोध क्यों किया इस बिल का इस प्रकार का एक इतिहास लिखने का मौका भारत की सदन ने गंवा दिया है उसी का ये निंदा प्रस्ताव यहां पर इस सदन में आया और मैं ये कहना चाहता हूँ ये पहली बार नहीं है कि आउट ऑफ ब्लू अचानक प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति के लिए कुछ लेकर आए हैं। राजकुमार भाटिया जी जब बोल रहे थे वो जो पीड़ा थी महिलाओं की मुझे तो लगता है कि ये 33% आरक्षण से 10 गुना ज्यादा बड़ा नारी सशक्तिकरण का वो काम है जो लाखों करोड़ों शौचालय निर्माण का कार्य किया गया उसके बारे में भाषण तो पहले प्रधानमंत्री देश के भी देते थे लाल किले में खड़े होकर लेकिन किया किसने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की आंखों में धुआं भी लगता है तबीयत भी खराब होती है इसका इसको करने का विजन किसके पास आया, इसका श्रेय किसके खाते में गया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खाते में गया और हर घर जल, नारी शक्ति के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इस देश में ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां 10-10 किलोमीटर दूर जाके और सिर पे मटका रख के पानी लाने की पीड़ा उसको समझने का काम ये केवल नारी शक्ति का ये जो रिजर्वेशन महिला रिजर्वेशन का बिल आइसोलेशन में नहीं है, अलग से लाया गया कोई प्रावधान नहीं है ये पूरी भारत की आधी आबादी की जितनी भी पीड़ायें हैं मुद्रा योजनाएं उसमें पहला लोन लेने का हक उसमें इंटरेस्ट रेट कम हो, लाडली योजना ड्रोन दीदी योजना ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की सरकार के द्वारा लाई गई उसके बाद राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए इस कानून को लाया गया क्योंकि अगर विपक्ष का बस चलता और उन योजनाओं के भी बिल अगर लाने पड़ते

तो ये उन योजनाओं को भी सदन में रोकने का पाप करते क्योंकि वहां बस नहीं चला क्योंकि उसके लिए किसी विशेष कानून की आवश्यकता नहीं थी इसलिए वो योजनाएं आज भारत की धरती पर लागू हैं गांव-गांव में लागू हैं। जहां आपके साथ की जरा से साथ की जरूरत पड़ी, खाली कुछ नहीं करते तो सदन से वॉकआउट कर जाते अगर आपकी नाक कट रही थी हमारी बेटियों के साथ महिलाओं के साथ खड़े होने में, वरना तो गर्व के साथ सीना चौड़ा करके खड़े होते, घर में जाते एक कप चाय एक्स्ट्रा मिलती। लेकिन ये मौका भारत के विपक्ष ने गंवा दिया पर ये बात भी है कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में जो संकल्प लिया है ये केवल एक पड़ाव है ये रुकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी का ये संकल्प निश्चित तौर पर पूरा होगा ये महिला सशक्तिकरण का ये प्रावधान आना ही है आप इसमें आज बाधाएं लगा सकते हो लेकिन हमेशा नहीं रोक पाओगे। जिस दिन भारत की बेटियां और बहनें सड़कों में, गांवों में खड़े होकर जब बैलेट के माध्यम से निर्णय देना शुरू करेंगी तब आपकी मजबूरी बन जाएगी इसके साथ खड़ा होना और जो साथ नहीं खड़े होंगे वो बह जाएंगे इस राजनीतिक आंधी में महिलाओं के आक्रोश का सामना आप कर नहीं पाएंगे और जो विशेष रवि जी कह रहे थे जमीन पर उल्टा हो गया जमीन पर उल्टा हो गया जमीन पर उल्टा हो गया अभी गुजरात के परिणाम आ रहे हैं 3:00 बजे हैं 3:30 बजे हैं 5000 में से डबल जीरो हैं आपके डबल जीरो हां डबल जीरो जमीन पे यही उल्टा हुआ है जमीन पे उल्टा हुआ गुजरात में दिख रहा है और हवा में उल्टा हुआ राज्यसभा में दिख रहा है किसके लिए उल्टा हुआ है। तो आंखें खोलो आंखें खोलो दीवार पर लिखी हुई इबादत को पढ़ो सत्य से उलट जाके खड़े होके जबरदस्ती का विरोध करने के लिए विरोध करने से कुछ नहीं होगा। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये निंदा प्रस्ताव ये निंदा प्रस्ताव समय अनुकूल है इसकी आवश्यकता थी दिल्ली का ये विधानसभा का ये सदन दिल्ली की महिलाओं और बेटियों और बहनों की पीड़ा को अपनी आवाज देने का काम कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने उस पीड़ा को समझा और इस प्रस्ताव को इस सदन में प्रस्तुत किया उसके लिए मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्ष-: धन्यवाद, माननीय सदस्य वीरेंद्र कादियान जी।

श्री विरेन्द्र सिंह कादियान: माननीया अध्यक्षा जी आज इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और एक अच्छी बात क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है और ये बात हो भी

ली कि हमारी माननीया मुख्यमंत्री जी भी महिला हैं लीडर ऑफ अपोजिशन भी महिला हैं और आप इस चेयर पर विराजमान आप भी महिला हैं। हम सब लोग नहीं हम सब, हम सब लोग महिलाओं का काफी मान सम्मान करते हैं हमारे घर में बहन बेटियां हम कोई भी जब बाहर निकलती हैं घर से तो सबसे ज्यादा चिंता हमें अपनी बहन बेटियों की होती है वो सुरक्षित रहें जबकि अगर बेटा जाता है तो उसको इतनी चिंता नहीं होती। इसी प्रकार से आधी आबादी महिलाएं हैं उनको उनका हक उनका पूरा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए सभी पार्टियां सभी लोग चाहते हैं अगर घर में भी आप बात करोगे तो घर में भी यही कहेंगे कि भई हां कि हमारी बेटी को आगे बढ़ाया जाए बेटा देख लेगा ऐसे कहते हैं। क्योंकि बेटी के प्रति पिता का ज्यादा प्रेम होता है ज्यादा उनकी चिंता होती है और जब बात आती है विधानसभा और लोकसभा में उनके नुमाइंदगी की, तो उस समय भी हम सब लोग दिल से कहते हैं इनकी नुमाइंदगी इनकी भागीदारी इनकी होनी चाहिए कम से कम आधी होनी चाहिए और ये प्रस्ताव बार-बार लोकसभा में आया कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखा जाए किसी ना किसी कारणवश कभी कोई बीच में बाधा लग के कभी कोई जाति की बात हो जाती है, कभी धर्म की बात हो जाती है जिसकी वजह से कभी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती है तो जिसकी वजह से ये टलता गया । 2023 में जब ये बिल आया तो सभी दलों ने इसका समर्थन किया और ये पास भी हो गया था। परंतु ये चीजें बार-बार जब पास हो गया था तो उसको लागू करना चाहिए था गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए था जो अब हुआ है अब 16 तारीख को हुआ है उसका गजट नोटिफिकेशन ये बिल गिरने के बाद मैं अध्यक्षा महोदय ये कहना चाहूंगा कि अब इस बिल को लाने की आवश्यकता क्या थी, जब पांच राज्यों में अधिसूचना जारी हो रखी थी पांच राज्यों में चुनाव थे और खासकर दक्षिण भारत और हमारे ईस्टर्न स्टेट आसाम और बंगाल इनमें महिलाओं की आप जब पूरा डाटा निकाला गया देखा गया और देखते हैं पुराना इतिहास देख लो कि इनमें महिलाएं थोड़ी सी अग्रणी है, उत्तर भारत के बजाय पढ़ी पढ़ाई में भी अग्रणी है और आप नौकरियों में देख लो किसी भी चीज में देख लो वहां की महिलाएं थोड़ी सी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं एज पर डाटा। तो इन्होंने सोचा क्योंकि चुनाव है जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है अक्सर वहां तो चुनाव से पहले आचार संहिता का उल्लंघन करके या सोच समझ के 5000-10000 रुपये उनके खाते में डाल देते हैं कभी सिलेंडर की घोषणा कर देते हैं या 2500 जैसी स्कीमें उनके लिए कर देते हैं भई हम आपको ये देंगे हमारी सरकार आएगी तो। लेकिन इन पांच इन पांच राज्यों में सरकारें विपक्ष की थी आसाम को छोड़कर के तो केंद्र की

सरकार ने सोचा कि इनको लुभाने के लिए क्योंकि आधी आबादी है और समझदार महिलाएं हैं और जो पिछला रिकॉर्ड देखा गया तो महिलाओं की भागीदारी मतदान में पुरुषों के मुकाबले अधिक रही है। तो इसके लिए क्या किया जाए तो आनन-फानन में ये बिल लेकर आए और ये केंद्र की सरकार को पता था इनके पास आंकड़े नहीं है इनके पास बिल को क्योंकि दो तिहाई बहुमत चाहिए होता है कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करने के लिए 131 वां ये संविधान का संशोधन था जिसमें दो तिहाई जरूरत थी लोकसभा में और राज्यसभा में 218 आपको राज्यसभा में चाहिए होते थे और लगभग 360 लोकसभा में चाहिए। जबकि आपकी संख्या थी नहीं आपने जानबूझकर ये बिल लेकर आए सदन पटल रखा अगर आपकी मंशा होती तो सभी दलों से विचार विमर्श करते और जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट थे उनको करते महिलाओं के पक्ष में सारे लोग थे और पास हो जाता। परंतु इसके पीछे एक और मेन चीज छिपी थी वो थी डीलिमिटेशन इसके माध्यम से डीलिमिटेशन करना चाहते थे जिससे बहुत से दल बहुत से राज्य नाराज थे क्योंकि उनकी भागीदारी में असर पड़ता है। इस कारण से बिल फेल हुआ और आपको भी कहने का मौका मिल गया कि भई विपक्ष के लोग ये असल में मायने में ये आपकी विफलता है ये पट्टी जो हमें बांध के आनी चाहिए थी आपको नहीं बांध के आनी चाहिए थी। आज आप सारे के सारे क्योंकि कल चुनाव है कल चुनाव है आज ये राज्यसभा की कार्रवाई पूरे बंगाल में चल रही है पूरे पत्रकार भी इस मीडिया में भी दिखाया जा रहा है कि देखो दिल्ली विधानसभा में महिलाओं का बिल आया ताकि उनको उनके दर्द को कुरेदा जाए। लेकिन आपको बता दूं कि जिस मकसद से आप आज ये विधानसभा का सेशन एक दिन का रख रहे हो, ये कामयाब नहीं होगा। इसका कारण है क्योंकि जिस पार्टी के खिलाफ आप वहां पर लड़ रहे हो और जिसको दिखाना चाहते हो वो ऑलरेडी 37% महिलाओं को सांसद महिलाएं सांसद 37% हैं और आपकी कितनी महिलाएं सांसद हैं, कितनी महिलाएं विधानसभा में हैं चार महिलाएं दिख रही हैं मुझे। तो मैं ये कहना चाहूंगा मैं, मैं ये कहना चाहूंगा।

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्ष: कादियान जी, वक्तव्य कुछ समय क्योंकि अभी ब्रेक होने के समय है तो थोड़ा जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री विरेन्द्र सिंह कादियान: माननीया अध्यक्षा जी देखिए मैं एक दिल्ली के लिए एक अच्छी बात बताऊं हमें बड़ी खुशी होती है अब तक मेरी जानकारी अनुसार सात मुख्यमंत्री हुए हैं और दिल्ली का सौभाग्य रहा है कि दिल्ली में चार महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं और मुख्यमंत्री महिलाएं मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से इनका दिल्ली में तो रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन बाकी स्टेटों में जहां पे

आपकी सरकार है उनमें भी महिलाओं को कम से कम देना चाहिए जैसे आपने राजस्थान में बननी थी वहां हटा दी हमने तो बना दिया ना हमने थोड़े समय में भी हमने माननीय उनको बनाया एलओपी बनाया। तो हम, हम महिला।

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्ष: कादियान जी।

श्री विरेन्द्र सिंह कादियान: एक मिनट और अध्यक्षा जी एक एक मिनट और लूंगा इसके इसके इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए महिलाओं को खाली मैं विधानसभा, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन से भी काम नहीं चलेगा। काम चलेगा उनकी सुरक्षा देखनी पडेगी। अब आप देखो सारी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दी गई। हमारी महिलायें आती थीं वहां से दवाईयां ले जाती थीं।

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्ष: कादियान जी मेरा ख्याल विषय पर रहें**,** विषय पर चर्चा करें।

श्री विरेन्द्र सिंह कादियान: तो महिलाओं पर चर्चा करें तो महिलाओं का पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाये इसकी भी बात करें ना कि खाली राजनीति की.....

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्ष: समय.....

श्री विरेन्द्र सिंह कादियान: तो आज हम यहां पर वो करके, सदन लगाकर पूरे मिडिया में चलाकर दिखायें कि भई हम महिलाओं के प्रति सचेत हैं।

(समय की घंटी)

श्री विरेन्द्र सिंह कादियान: आप महिलाओं के प्रति सचेत होते तो सोच-समझकर इस बिल को लाते, जरूर पास होता जब 2023 में पास हुआ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती शिखा रॉय, माननीया अध्यक्ष: सदन आधा घंटे के लिये चाय के ब्रेक के लिये स्थगित किया जाता है। आधे घंटे के बाद पुन: मिलते हैं।

(सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिये स्थगित की गई।)

सदन पुन: 04.30 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष(श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री तरविंदर सिंह मारवाह जी। समय का विशेष ध्यान रखना है। वक्ताओं की एक लम्बी सूची अभी बाकी है।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी पता है क्या है। इसी सदन में 20**-20, 30-30** मिनट बोल चुके हैं देखो अब हमारे ऊपर पाबंदी ये हमको बर्दाश्त नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मैं 5 मिनट का समय है, उसी हिसाब से चलना पडेगा। बैठिए, बैठिए, बैठिए।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बैठ जाओ, बैठ जाओ। शुरू करो।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बैठिए। बैठिए। अरे शुरू करने दीजिए। समय देखिए। अब आप बैठ जाइए। बहुत हो गया। बैठ जाइए। intentionally समय खराब कर रहे हो आप। मुझे action लेना पड़ जाएगा। बैठ जाइए आप। बैठ जाइए। चलिए शुरू करिए। चलिए।

....व्यवधान....

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी! आपने एक ऐसे bill पर बोलने का मौका दिया, ऐतिहासिक Bill है और मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन Bill गिर गया था Parliament में सबसे पहले प्रदर्शन भी किया था इसका और मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद करते हैं कि आपने दिलेरी से इस बिल के हक में खड़े हुए हो और साथ में ही जो आज एक दिन का अध्यक्ष जी आपको भी मुबारकवाद देता हूं क्योंकि आप भी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। अगर कोई सबसे ज्यादा सम्मान करता है उसका नाम तरविंदर सिंह मारवाह है। क्योंकि, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है अध्यक्ष जी सबसे बड़ी बात ये है महिलाओं से ही घर चल रहा है। महिलाओं से ही देश चल रहा है। अब विपक्ष ने क्या सोचा पार्लियामेंट में उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। एक छोटा सा शेर जो मेरा दोस्त ले के आया है सबसे नजदीकी है मेरा जिनको था डर की बदल ना जाए कहीं ये दौर वो आज भी पुराने ख्यालों में कैद हैं नारी जो उठ खड़ी हुई अपने हक के लिए अब फैसला वही होगा

जो उसके साथ है। अध्यक्ष जी आज के दिन में आज के दिन में जो 17 अप्रैल, 2000 पार्लियामेंट में 2017 में पार्लियामेंट में पूरा विपक्ष एक तरफ था, पूरा विपक्ष एक तरफ था किस लिए था कि गलत काम करने के लिए, किस लिए था कि नारी सम्मान का अपमान करने के लिए। बड़ी हैरानी की बात है 17 अप्रैल इतिहास में लिखा जाएगा काला दिन, काला दिन लिखा जाएगा कि नारी का अपमान किन्होंने किया जो वहां पर पार्लियामेंट में मौजूद थे जिन्होंने उसका बायकॉट भी किया और उसके खिलाफ वोट भी डाली। अध्यक्ष जी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं 2014 के बाद आज देखो महिलाओं का सम्मान कहां-कहां पहुंच रहा है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने महिला को राष्ट्रपति बनाया है वो भी उस महिला को आदिवासी महिला को कितना बड़ा सम्मान प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद जो शौचालय की बात भाटिया जी ने की किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक सोचा नहीं था कि महिलाओं के लिए जो खुले में शौचालय जाती हैं उनके लिए एक नहीं दो नहीं करोड़ों के हिसाब से उनमें शौचालय बनाकर दिखाए। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। महिलाओं के लिए बड़ी बात आज पीछे आपने एक महिला को देखा कितने दिन चंद्रमा में वहां पर घूमते रहे। लोग प्रार्थना करते रहे क्योंकि वो हिंदुस्तान की महिला थी। लोग तो कह रहे थे कि इसकी ऑक्सीजन खत्म होगी जो अखबारों में हम पढ़ते थे। 50 दिन की ऑक्सीजन रह गई, 15 दिन की रह गई लेकिन उस महिला ने करके दिखाया दोबारा धरती पे आई और आज वो महिला सुरक्षित है और हिंदुस्तान की महिला है। कितनी बड़ी बात है महिलाओं का आज इतिहास देखो कहां-कहां नहीं हैं। आईएएस में, आईएएस में महिलाओं की गिनती सुनो और सबसे मोदी जी ने जो नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हमारी मुख्यमंत्री जी ने भी जो महिलाओं के लिए सोचा है कि पैदा होते ही उनके अकाउंट में पैसे डल जाएंगे जब 19 साल की होगी तो उनको 1 लाख 30 हजार रुपया उनके बैंक में आ जाएगा ये नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री जी की जो गैस कनेक्शन योजना आज हर घर में चूल्हा बंद हो गया है जो उससे जलता था लक्कड़ से आज हर घर में गैस पहुंच चुकी है प्रधानमंत्री जी की उज्जवला जो उज्जवल, उज्जवला योजना जो है गैस कनेक्शन और सिलेंडर भी कई घरों में प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं हिंदुस्तान में। आज प्रधानमंत्री जी ने जो लोन की योजना ये पहली बार बनी है कि महिलाओं को भी लोन देना शुरू कर दिया है। आज अध्यक्ष जी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने कहा है समय की पाबंदी है लेकिन घंटी मत बजाना मेहरबानी करके।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: नहीं घंटी बजने वाली है।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: आज अभी आप देखो एक योजना महिलाओं को फ्री टीका लगा रहे हैं, 4000 रुपये का टीका है और हर महिला को कैंसर का टीका फ्री आरोग्य मंदिर में लग रहा है ये महिलाओं को नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए। ये इनको किसी ने नहीं सोचा था 11 साल से अभी मेरे भाई कह रहे थे वो मोहल्ला क्लीनिक बंद कर दिया अरे मोहल्ला क्लीनिक में वहां पर है क्या था ये तो पता लगे। वहां पर तो कुत्ते घूम रहे थे कई मोहल्ला क्लीनिक में। मैं आपके लिए ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने जो किया वो हमको हैं वो हमको वो हमको भुगतना पड़ रहा है भैया लोगों। हमको भुगतना पड़ रहा है। जाओ तो पता लगता है कहीं सीवर नहीं, कहीं गंदा पानी नहीं यही एक साल से हम देख रहे हैं और हम ठीक करते-करते ऊपर ही ना चले जाएं कहीं गलती से। क्योंकि आपने इतना काम बिगाड़ रखा है और नारी शक्ति की जो विपक्ष का कई भाइयों ने ठीक कहा है कांग्रेस तो हमेशा इसकी विरोधी रही है और सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी जी ने कही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही कि इसका जो श्रेय है आप ही ले लो आप ही बन जाओ लेकिन इस बिल को पास होने दो, क्योंकि इस बिल से नारी शक्ति को बहुत ही उत्साह मिलेगा। हम भी यहां पर बैठे हैं 70, यहां पर 33 परसेंट होंगी, तो 25 या 22, 24 तो आएंगी। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को घर से निकलना सिखा दिया है वो किसकी देन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। जो महिलाओं को चूल्हे तक सीमित रखते थे, इन 11-12 सालों में महिलाओं की जितनी तरक्की हुई, महिलाओं को चेयरमैन बैंकों के बनाए गए, मैं आपको बताना चाहता हूं और आपका ये भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारा पेपरलेस जो आपने कर दिया इसमें पढ़ के हम सुना सकते हैं। ये बहुत बढ़िया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, **माननीय अध्यक्ष:** इसके लिए आधा मिनट आपको और मिल जाएगा, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया है ना, इस पर पढ रहे हैं आप। समय समाप्त हो चुका है।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने अच्छाई नहीं करता, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि मेरे को भी तीन बार पहले एमएलए रहा, लेकिन जो आपने अध्यक्ष बनके इसको सुंदर बनाया, हमारे को ये दे दिया, फ्री लैपटॉप दे दिया, वो टेलीफोन के लिए पैसे दे दिए, ये पहले और एक लाख आते ही अध्यक्ष जी आपने एक लाख हमारे अकाउंट में पहली तारीख आ जाता है जो लोग हमारे यहां काम करते हैं उनको पहली तारीख तनख्वाह दे देते हैं। ये किसने किया अध्यक्ष जी आपकी मेहरबानी, इतनी जल्दी कोई नहीं कर सकता। इतनी जल्दी कोई नहीं कर सकता मैं कहना चाहता हूं आपको।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, **माननीय अध्यक्ष:** चलो, विषय पे आओ, विषय पे।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी मैं आप लोगों के लिए एक लाख अभी किया है शायद और छह महीने में एक डेढ़ लाख और ना कर दे अध्यक्ष जी। एक लाख और ना बढ़ा दें, प्रशंसा तो करनी पड़ेगी ना अध्यक्ष जी की, नहीं तो...। अध्यक्ष जी नारी जो।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, **माननीय अध्यक्ष:** अब आप इसको कंक्लूड करो फटाफट।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: हां-हां**,** कर रहे हैं अध्यक्ष जी, कर रहा हूं मैं जल्दी ही।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, **माननीय अध्यक्ष:** समय की एक सीमा है।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: मैं तो आज, आज तो बहुत कम बोल रहा हूं अध्यक्ष जी, आज तो कुछ बोला ही नहीं अभी तो शुरू किया है। अध्यक्ष जी आज आप देखो महिलाओं को सैनिक में सेना ने किसी ने सोचा था कि महिलाएं कभी चली जाएंगी आज प्रधानमंत्री जी ने सेना में भी बड़े-बड़े जो लेफ्टिनेंट कर्नल तक महिला चली गई है। वायु सेना में महिला चली गई हैं और उसके बाद इंडियन एयर फोर्स में महिला पायलट बन गई है फाइटर पायलट आम पायलट नहीं जो फाइटर जो हमला करके देने जाते हैं उसमें भी महिला आ गई है अध्यक्ष जी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आज हम लोगों को चाहे हम किसी भी पार्टी से हैं, लेकिन महिलाओं को उन पर लानत है जिन लोगों ने पार्लियामेंट में इस बिल के विरुद्ध वोट डाली है हम लोगों को महिलाओं को आगे बढ़ाना है अगर महिलाएं आगे बढ़ेगीं, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा ये मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जहां-जहां आप रशिया को, रशिया में जाओ वहां पर महिलाओं को कितना सम्मान दिया जाता है और महिलाएं हर जहां पर जाओ किसी भी नौकरी में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। हमें भी हिंदुस्तान में प्रण करना है कि महिलाओं को हर जगह सम्मान मिलना चाहिए जितना 50 परसेंट ओम प्रकाश शर्मा जी नहीं हैं उन्होंने 50 परसेंट कहा है मैं तो ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी देश की आजादी के बाद सुनो, सुन लो पहले, देश की आजादी के बाद अगर हम लोगों ने 75 साल राज किया है तो उनको भी ऐसा चांस दो कि वो भी राज करें। अध्यक्ष जी क्योंकि महिलाएं जो हैं देश के लिए नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, **माननीय अध्यक्ष:** चलिए धन्यवाद।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: जिस घर में अध्यक्ष जी, सुनने की बात है मैं आपको छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं जिस घर में महिला नहीं होगी उस घर में कोई प्रगति नहीं होती, ये भी मैं बताना चाहता हूं। जहां पर महिलाएं होंगी, जहां पर महिला चूल्हा जलाएंगी, जहां पर महिला काम करेगी, जहां पर महिला जाकर बाहर नौकरी करेंगी, उस घर का उत्थान होता है, वो घर आगे बढ़ेगा अध्यक्ष जी ये मैं कहना चाहता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, **माननीय अध्यक्ष:** चलिए ठीक है। अब मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं मोहन सिंह बिष्ट जी। धन्यवाद। बस अब आप।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी लास्ट में**,** अध्यक्ष जी एक मिनट एक मिनट लूंगा अध्यक्ष जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, **माननीय अध्यक्ष:** जी

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: एक मिनट लूंगा। अध्यक्ष जी हम सबको मिलकर महिलाओं का सम्मान करना चाहिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, **माननीय अध्यक्ष:** ठीक है।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: और साथ में ही उनके साथ कंधे से कंधा जोड़ के काम करना चाहिए यही मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी आपने बोलने का समय दिया धन्यवाद करता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, **माननीय अध्यक्ष:** धन्यवाद। थैंक यू। माननीय श्री मोहन सिंह बिष्ट जी।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के तहत महिला सशक्तिकरण के बिल पे बोलने का मौका दिया सबसे पहले तो मैं अपनी लोकप्रिय मुख्यमंत्री और अपनी सरकार का जिनके माध्यम से इस प्रस्ताव को यहां सदन के अंदर ले के आए, जिन्होंने देश की 50 परसेंट आबादी वाले महिलाओं की सशक्तिकरण की चिंता की, उनका भी मैं आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय ये सत्य है और कहा गया है सशक्त भारत की नई पहचान सदियों से कहते आए हैं ''यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवताः'' अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता निवास करते हैं। ''नार्यस्तु समाजस्य आधारशिलाः शांतिः समृद्धिः गृहलक्ष्मीः समाजस्य शक्तिः च अस्ति'' अर्थात जहां नारियों के समाज की आधारशिला है उसी घर पे लक्ष्मी और समाज का वास्तविक शक्ति है। ये सत्य है अध्यक्ष महोदय कि बीजेपी के पास

सर्वाधिक सांसद हैं, लेकिन जिनके पास या एनडीए के पास सर्वाधिक महिला सांसद ना होना और डबल डिजिट को क्रॉस ना करना यही नहीं अभी मेरे भाई लोग विपक्ष के लोग बोल रहे थे जिनका एक भी सांसद दिल्ली में ना हो ना, दिल्ली में ना हो और महिला सांसद भी ना हो अध्यक्ष महोदय ये लड़ाई कोई आज की नहीं जब जब भाजपा की सरकार आई केंद्र में हमारी सरकार बनी 1998 से लेकर के 2001 के बीच में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा इस विधेयक को पेश किया गया और जब इस विधेयक को पेश किया गया तो सदन के अंदर भारी हंगामा हुआ, चर्चा पूरी नहीं हो पाई, जिस कारण उस समय में यह विधेयक पारित नहीं हो सका। अध्यक्ष महोदय ये भी सत्य है कि उसी समय मेरी सरकार केंद्र की सरकार ने एनडीए की सरकार ने फिर यह प्रस्ताव 1999 में रखा और सहमति ना बनने के कारण फिर यह प्रस्ताव रुक गया। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह लगातार 2003 के अंदर भी कोशिश की गई विधेयक आगे बढ़ाने का कोशिश की गई विधेयक फिर भी पास नहीं हो सका। ये भी सत्य है कि राज्यसभा में यूपीए सरकार के 108वें संविधान संशोधन राज्यसभा में पेश किया गया इसमें एक रणनीति के तहत लोकसभा भंग होने पर ये विधेयक फिर पास नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से 2010 के अंदर राज्यसभा में यह विधेयक पारित हुआ और इस को बिल के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया जो मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन अध्यक्ष महोदय लोकसभा में इसको पारित करने पारित नहीं होने के बाद फिर 2014 में जैसे विधेयक निष्प्रभावी हो गया, क्योंकि लंबे समय तक ये कानून ना बनने के कारण इसका प्रभाव खत्म हो गया। ये भी सत्य है कि ऐतिहासिक रूप में पारित करके केंद्र द्वारा नए नाम के साथ इस विधेयक को पेश किया जो 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' 128वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यह बिल पारित किया गया और राष्ट्रपति जी के इसको मंजूरी देने के बाद यह कानून की प्रक्रिया में आगे बढ़ने लगा। अध्यक्ष महोदय ये भी सत्य है कि 2026 में जैसे ही मेरी सरकार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले वर्षों से कई वर्षों से इस प्रकार का विधेयक में बार-बार रुकावटें आ रही थी इसमें 2026 के अंतर्गत 131वां संविधान संशोधन विधेयक पे चर्चा करते हुए इसे जल्द लागू करने की बात कही थी। अधिनियम के अनुसार जनगणना के बाद परिसीमन लागू किया जाए ये इस प्रकार का 27 वर्षों के कई बार कोशिशों के बाद आखिर ये पारित तो हुआ लेकिन भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में इसको ऐतिहासिक कदम माना जाता है। अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार से बिल को रखा गया बिल का विरोध हुआ ये

अपने आप में ऐसा लगता है कि इस देश की आबादी के हिसाब से जिनका 50 परसेंट देश की आबादी में उनकी हिस्सेदारी होनी थी वो बिल को जिस प्रकार राजनीतिक दलों ने जानबूझकर के रोकने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से लगा कि आज इस सदन के अंदर इसी बात को लेकर के जैसे मेरी सरकार ने इसको आगे बढ़ाने के लिए बिल को पारित करने के लिए दबाव बनाने के लिए ये जो काम किया आज मैं अध्यक्ष महोदय इस सदन के अंदर भारी मन से खड़ा हूं क्योंकि ऐसे विषय में हम चर्चा कर रहे हैं जो किसी दल या विचारधारा का नहीं बल्कि देश के आधी आबादी के अधिकारों का विषय है। महिला सशक्तिकरण बिल केवल एक कागज का दस्तावेज नहीं है दस्तावेज नहीं है यह उन करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतीक है जो वर्षों भर उनकी भागीदारी की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन दुख की बात यह है अध्यक्ष महोदय जब देश एकजुट होकर के आगे बढ़ने चाहिए तो कुछ लोग ऐतिहासिक अवसर में राजनीति की इसको भेंट चढ़ा दी। ये विधेयक केवल मुद्दा नहीं बल्कि हमारे समाज की आधी हिस्सेदारी का सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। महिला सशक्तिकरण बिल केवल उद्देश्य ही नहीं ये प्रतिनिधित्व था

(समय की घंटी)

श्री मोहन सिंह बिष्ट: सर आप ये अभी तो स्टार्ट किया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं।

श्री मोहन सिंह बिष्ट:क्या है ऐसा क्या है?

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: थोड़ा समय का देखना पड़ेगा आपको।

श्री मोहन सिंह बिष्ट:नहीं समय तो देखना पड़ेगा जो वैसी बातें कर रहे...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: नहीं नहीं ऐसे नहीं।

श्री मोहन सिंह बिष्ट:मैं विषय पर प्वाईंट टू प्वाईंट आ रहा...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: हाँ प्वाईंट टू प्वाईंट बोल रहे हो आप लेकिन समय का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना।

श्री मोहन सिंह बिष्ट:मैं पॉइंट से बाहर की बात नहीं कर रहा हु सर।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: प्वाईंट टू प्वाईंट बोल रहे है अच्छी बात है पर समय का तो हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा ना ।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: ये केवल एक विधेयक नहीं, यह समाज की आधी आबादी का अधिकार है और सम्मान की बात है। महिला सशक्तिकरण बिल उद्देश्य और प्रतिनिधित्व को बढ़ाना ही नहीं था बल्कि एक सुनिश्चित करना है कि ये निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की ये भागीदारी बराबर होनी चाहिए। जब महिलाओं की नीति और निर्माण में भागीदारी करते हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पोषण हो, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे में सबसे अधिक संवेदनशील और प्रभावशाली निर्णय सामने आते हैं। भारत जैसे विविधता देश के अंदर जहां महिलाओं का हर क्षेत्र के अंदर शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल और क्षमता साबित कर रही है उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्र में ये मजबूती से उनकी आवाज उठनी चाहिए ये बिल उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है ऐसा मैं मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस बिल से एक विधेयक से व्यापक सहमति बन जाती तो राजनीति नहीं, बल्कि इसमें सामाजिक भी होता एक संदेश जाता कि इस मुद्दे में एकजुट ही नहीं आवश्यक है कि दलगत राजनीति से उठ करके इन विषयों को दृष्टिकोण से विकसित करें। महिला सशक्तिकरण का अर्थ कानून बनाना नहीं है बल्कि प्रभावी ढंग से सामाजिक सोच में परिवर्तन लाना, सुनिश्चित करना, हर महिला को सम्मान और अवसर के साथ सुरक्षा सम्मान मिले। अंत में मैं यही कहूंगा कि महिला सशक्तिकरण एक नीति नहीं, ये राष्ट्र के संकल्प का होना चाहिए, ऐसे मिल कर के हमको प्रयास करना चाहिए। आगामी आने वाली पीढ़ियों के अधिक न्यायपूर्ण और सम्मानजनक समाज के निर्णय हो जो महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं आज उन्हें महिलाओं के अधिकार के रास्ते में वो खड़े दिखाई दे रहे हैं इस बिल का विरोध नहीं बल्कि महिलाओं की आवाज को कमजोर करने के लिए वो इस प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये भी सत्य है कि आज भारत के अंतर्गत 15 प्रतिशत के आसपास बहनों की सहभागेदारी है लेकिन लोक सभा के संदर्भ के अंदर इसकी आबादी 30 से 40 परसेंट तक हो, महिला सशक्तिकरण का विकल्प एक राष्ट्र के निर्माण की आवश्यकता है। इस बदलाव में वो हम नहीं खड़े हैं इस इतिहास को गलत पक्ष में नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था किसी समाज की प्रगति को तब माना जाता है जब महिलाओं की प्रगति से इसमें जोड़ा जाए और जोड़ा ही नहीं जाए, इस देश की सहभागिता में उनको ला करके आगे खड़ा करना चाहिए यही महात्मा गांधी जी ने कहा। मेरा आपसे निवेदन है इस सदन से भी है मैं

इस बिल के पक्ष में खड़ा हूं, महिलाओं के समान अधिकार और इस समाज के उत्थान के लिए तभी संभव हो सकता है जब ये विधानसभा इस प्रस्ताव को पास करके आगे भेजे, यही मैं कहना चाहता था बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरीश खुराना जी।

श्री हरीश खुराना: धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आज प्रस्ताव पेश किया गया उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पे 17 अप्रैल का जो दिन था वो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता था लेकिन विपक्ष की जो साजिश हुई उसके तहत ये इतिहास का सबसे काला दिन बन के रह गया। संसद में जो कुछ हुआ अध्यक्ष जी वो विधेयक सिर्फ एक हार नहीं थी, वो भारत के 70 करोड़ महिलाओं की, बहनों की और बेटियों की उन सपनों पर सीधा-सीधा प्रहार था जो एक सपना देख रही थी महिला सशक्तिकरण का, जो महिला देख रही थी कि हम भी संसद में और विधानसभा में जाकर प्रतिनिधित्व करेंगी, ये उसपे कुठाराघात था, ये उस पर अटैक था। जिस तरह से कल नारी शक्ति सम्मान का ये जो विधेयक गिरा और तमाम कांग्रेस और उनके इंडी दलों के जो सदस्य जिस तरह जश्न मना रहे थे, वो अशोभनीय नहीं था शर्मनाक भी था अध्यक्ष जी और ये देश की नारी शक्ति का अपमान था, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है अध्यक्ष जी।

माननीय सदस्य, विपक्ष: अध्यक्ष जी कोरम तो पूरा करा लीजिए कोरम पूरा...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: कोरम पूरा है।

श्री हरीश खुराना: कोरम पूरा है भाई साहब... कोरम पूरा है... जो आप साजिश कर रहे हो नहीं होगा चिंता मत करो देख रहे थे हम क्यों उठ रहे थे आप, बैठ जाइए...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइए आप।

श्री हरीश खुराना: प्रियंका वाड्रा जी ने जिस प्रकार से जिस प्रकार से एक बिल का गिरना संविधान की जीत को बताया था ये दिखाता है कि नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस और सहयोगी दलों ने जिस प्रकार से छल और देरी करी और 60 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने महिलाओं को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया अध्यक्ष जी, लेकिन उसके वास्तविक

राजनीतिक अधिकार देने का गंभीर कभी प्रयास नहीं किया। ये वही कांग्रेस है अध्यक्ष जी जिन्होंने शाहबानो केस के अंदर महिलाओं का अपमान किया और वहां से चलते हुए ट्रिपल तलाक तक हर बार महिलाओं का अपमान किया, महिलाओं को लेके जिस प्रकार की इनकी सोच है वो दिखाता है कि कदम दर कदम वो महिलाओं के विरोधी रहे हैं अध्यक्ष जी। प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों से निवेदन किया था कि वो दलगत राजनीति से अपनी अंतरात्मा से इसको अपने परिवारों को महिलाओं को याद करके वोट कीजिएगा, लेकिन अफसोस एक भी विपक्ष के नेता ने इसको नहीं माना और जिस प्रकार से इस बिल को गिरने दिया वो महिलाओं का अपमान था और ये प्रधानमंत्री जी तो इतना सोचते हैं महिलाओं के बारे में। ये कोई पहली बार नहीं है अध्यक्ष जी चाहे वो विमेन रिजर्वेशन बिल हो, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 हो, सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट हो, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 हो, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज एक्ट 2019 हो, ये तमाम बिल ऐसे दिखाते हैं अभी विपक्ष पूछ रहे थे कि क्या हुआ इतने सारे बिल, ये महिलाओं के बिल थे जिसको इन मोदी जी के नेतृत्व के अंदर महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए पास किया गया और ये सिर्फ बिलों के अलावा भी जो बात हो रही है जन धन योजना का जिक्र हुआ, उज्ज्वला योजना का जिक्र हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र हुआ ये मोदी जी की सोच दिखाती है कि वो किस प्रकार से सिर्फ अभी बिल के लिए नहीं थे हमेशा वो महिलाओं के लिए खड़े रहे हैं ये महिलाओं की दिखाते हैं कि महिलाओं की सोच के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या रही है। अभी हमारे विपक्ष के कुछ लोगों ने बोला कि ये बिल अभी दे देते 543 में दे देते अब मैं उनकी सोच पे मेरे को थोड़ा सा तरस आता है अध्यक्ष जी मैं थोड़ा सा मुझे निवेदन है इनको टेक्निकल आस्पेक्ट या तो पता नहीं है या जानबूझ के इसका कहीं ना कहीं उसको करते हैं। इसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम थी महिलाओं को अगर 33% आरक्षण लागू करने का निर्णय डीलिमिटेशन होना जरूरी है इनको पता होना चाहिए था अध्यक्ष जी। मौजूदा 543 सीट्स हैं वो 2001 के अंदर जनगणना पर आधारित थी अब इनको नहीं पता तो कसूर तो हमारा है नहीं। कई राज्यों में जनसंख्या बदल चुकी है अब जानबूझ के अगर विरोध करेंगे तो करना है तो जनता देख रही है। बिना परिसीमन के आरक्षण लागू करना चुनौती कोर्ट में भी जाती और कानूनी पक्ष भी इसके अंदर खड़ा होता और रही बात एससी एसटी।

श्री विजेंद्र गुप्ता, **माननीय अध्यक्ष:** एक सेकंड। सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता।

श्री हरीश खुराना: धन्यवाद अध्यक्ष जी। अभी मेरे यहां पे कुछ मित्र बैठे हैं जो एससी/एसटी आरक्षण की बात करते हैं। एससी/एसटी आरक्षण जरूरी था अगर एससी/एसटी आरक्षण के तहत महिलाओं को भी आरक्षण देना होता तो ये परिसीमन लाना जरूरी था अब इनको कौन समझाए अध्यक्ष जी। एक सदस्य ने कहा इलैक्शन थे अब इलैक्शन तो भैया हर साल होते हैं अब हर साल दो-दो, तीन-तीन बार होते हैं अगर हर बार अगर इलैक्शन को ध्यान में रखा जाता तो ये बिल कभी आता ही नहीं। इसलिए इनकी सोच जो दिखाती है कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता दिखाती है कि महिला विरोधी हैं। अभी मेरे कुछ सदस्यों ने बोला विशेष रवि जी ने बोला कि महिलाओं की बात कर रही है रेखा गुप्ता जी की सरकार लेकिन ढाई हजार नहीं आए। बड़ा हैरानी हुई अध्यक्ष जी जब ये लोग ये बात कर रहे हैं। 28 मार्च, 2000 अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं केजरीवाल खड़ा होकर गुजरात में कह रहे हैं हमने पंजाब में 1000 रुपये दे दिए। 29 मार्च को इन्हीं के भगवंत मान जी जो मुख्यमंत्री पंजाब के हैं सुनना क्या बोल रहे थे गुजरात कहते हैं जी हमने बैसाखी में रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। साढ़े चार साल हो गए अभी तक 1000 रुपये जो इन्होंने साढ़े चार साल पहले इन्होंने प्रॉमिस किया था आज तक नहीं मिले और ये हमसे जवाब मांग रहे हैं अभी तक नहीं हुए। अच्छा मैं अभी जा नहीं रहा अध्यक्ष जी ये इनका बजट का भाषण है 2024-2025 का इसी सदन के अंदर यहां खड़े होकर मेरी विपक्ष के नेता ने दिया था और मैं वो उल्लेख करना चाहूंगा अध्यक्ष जी 53वां नंबर उस बजट भाषण का। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत हम हजार रुपये महिलाओं को देंगे ये उन्होंने वादा किया था फरवरी 2024 में अध्यक्ष जी। बजट निकल गया, साल उनकी बाद सरकार रही मुख्यमंत्री महिला थी आज हमसे सवाल पूछ रही हैं कि हमने अभी तक दिए नहीं ये मोदी जी की आशीर्वाद से सरकार रेखा गुप्ता जी की सरकार है एक-एक वादा पूरा करेगी हर महिलाओं के लिए हमने जो जो कहा है वो हमने पूरा कर रहे हैं और करते रहेंगे अभी सिलेंडर की बात की थी इनकी लगता है भाभियों से बात होती नहीं है, भाभियां इनको बताती नहीं है कि पैसे आ गए हैं। इसलिए मेरा मानना है अध्यक्ष जी कि महिलाओं को लेके जितनी सजग रेखा गुप्ता जी की सरकार है इनकी सरकार कभी नहीं रही है और हम एक एक वादा जो हमने कहा है वो हम पूरा करके रहेंगे और अंत में मैं सिर्फ यही बात करूंगा अध्यक्ष जी क्योंकि समय कम है और मैं समय का ज्यादा ध्यान रख रहा हूं। ये लड़ाई सिर्फ एक बिल की नहीं थी अध्यक्ष जी ये लड़ाई थी एक नीयत की, एक तरफ वो लोग थे जो कानून बनाते हैं, हम लोग जो कानून बनाते हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो रास्ता रोकते हैं देश

तय करेगा महिलाएं के साथ कौन खड़ा है और अध्यक्ष जी आखिर में एक ही बात करूंगा ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो ठान लेते हैं वो करते हैं अगर एक बार सोच लिया महिलाओं का उसका हक मिलेगा तो निश्चित तौर पे मिलेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजेंद्र गुप्ता(माननीय अध्यक्ष): धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कुलदीप कुमार जी।

श्री कुलदीप कुमार: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे बोलने का मौका दिया मेरा निवेदन है कि मुझे भी समय उतना ही दिया जाए जितना बाकी सदस्यों को दिया गया है चाहे बिना रोकटोक के दिया जाए लेकिन समय थोड़ा दिया जाए। अध्यक्ष जी एक बहुत महत्वपूर्ण बिल पर आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं और ये जो बिल है अध्यक्ष जी, आज हम इस बिल पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज तक ये देश की महिलाओं को देश के लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि जब इस सरकार ने 2023 के अंदर ये बिल पास कर दिया था और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी-बड़ी रैलियों में भाषण में जाके सभी यहां मंत्री बैठे हैं इन सबने जाके कहा कि मोदी जी ने महिलाओं को उपहार दे दिया, मोदी जी ने महिलाओं को उपहार दे दिया और देश के अंदर महिला आरक्षण बिल पास हो गया। 2024 का चुनाव आप लड़े लेकिन 2024 चुनाव लड़ने के बाद आज फिर आप 2026 के अंदर आकर आप कह रहे हो कि बिल हमारा रोक दिया। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं अध्यक्ष जी जब ये बिल 2023 में संसद में आया था तो पक्ष हो या विपक्ष, विपक्ष के सभी साथियों ने मिलके सभी पार्टियों ने मिलके एक मत एक ध्वनि से इसका समर्थन करने का काम किया और 2023 में ये बिल संसद के अंदर पास होने का काम हुआ लेकिन आज आज फिर वही नौटंकी, आज फिर वही जुमलेबाजी केवल चुनाव के लिए आपने उस समय हमने कहा कि आप इस बिल को लागू करिए आज के आज लागू करिए लेकिन सरकार ने क्या कहा सरकार ने कहा कि विपक्ष के लोगों को जानकारी नहीं है पहले डीलिमिटेशन होगा, सेंसस होगा उसके बाद ये होगा और 2034 में जाके लागू होगा ये मैंने नहीं कहा ये देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये अमित शाह जी ने कहा, ये आप लोगों ने कहा जितने मंत्री बैठे हैं इन्होंने कहा। तो मैं पूछना चाहता हूं जब आपने उस समय 2023 में इस बिल को पास नहीं किया ये बताते हुए कि डीलिमिटेशन और सेंसस होना जरूरी है और सेंसस हुआ नहीं तो फिर ये बिल पास कैसे किया

आपने आप लोगों ने क्योंकि आपका मकसद जो है वो केवल और केवल जुमलेबाजी करना है अध्यक्ष जी। एक नारे की बात से बताऊंगा:

"बेटी बचाओ बेटी बेटी पढाओ का नारा तो खूब उछाला गया

पर हर गली में डर का साया क्यों पाला गया

मोदी जी जवाब तो दो जरा महिलाओं का अधिकार

क्यों मुद्दा बनाकर टाला गया।"

आपने महिलाओं के अधिकार को मुद्दा बना के टाल दिया। आप सोचो फिर आप बात करते हो आप कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग तो महिलाओं के हितैषी हैं हम महिलाओं के लिए काम करने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप किस महिला सशक्तिकरण की बात करते हो। आपकी पार्टी तो पूरी की पूरी जो पार्टी है वो ऐसे-ऐसे अपराधियों के साथ भरी पड़ी है जिन्होंने महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया सबने देखा । कुलदीप सेंगर की बात कर लीजिए वो कुलदीप सेंगर कौन सी पार्टी का था भारतीय जनता पार्टी का था, बृजभूषण शरण की बात कर लीजिए वो कौन सी पार्टी के सांसद हैं, देश की हरियाणा की बेटियां हरियाणा की हमारी बेटियां उनका शोषण करने का काम हुआ वो धरने पर बैठी प्रदर्शन पर बैठी उन्हें खींचा गया वो कौन सी पार्टी के थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना कौन है जिन्होंने महिलाओं की 3000 वीडियो सीडी बनाई और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उनका हाथ ऊपर करके कहते हैं कि अबकी बार प्रज्वल रेवन्ना को जीता के भेजना। आप किस मुंह से बात करते हो, अध्यक्ष जी ये लोग किस मुंह से बात करते हैं आपको कहां से किसने अधिकार दिया और वो बोलते हैं छाज तो बोले छन्नी भी बोले 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी जिसका इतिहास रहा है मैं बता दूं इनके इतिहास के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने जब इस देश में हिंदू कोड बिल लागू करने का काम किया,जब देश में हिंदू कोड बिल लागू करने का काम किया

.....व्यवधान....

श्री कुलदीप कुमार: अरे बाबा साहब का नाम लेते..

.....व्यवधान....

श्री विजेंद्र गुप्ता(माननीय अध्यक्ष): बैठ जाइये, बैठ जाइये।

श्री कुलदीप कुमार: बाबा साहब का नाम लेते ही बिदक गए, बाबा साहब का नाम लेते ही बिदक गए, बाबा साहब। बैठ जाइए, बैठ जाइए ।

....व्यवधान....

श्री कुलदीप कुमार: बाबा साहब अंबेडकर ने जब हिंदू कोड बिल पेश किया तो हिंदू कोड बिल का जब पेश किया तो उसका विरोध करने वाले नेता का नाम पता क्या है जानना चाहोगे उनका नाम है जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। उन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया , इस्तीफा दिया उन्होंने और आप किस मुंह से बात करते हो वो आरएसएस जिससे आप आते हो उन्होंने उसका विरोध करने का काम किया।

श्री विजेंद्र गुप्ता(माननीय अध्यक्ष): कुछ भी बोल रहे हो।

श्री कुलदीप कुमार: हमेशा करने का काम किया, उन्होंने, अरे ऑन रिकॉर्ड है, बैठ जाइए, बैठ जाओ बैठ जाओ, सुनते रहो बैठ जाओ।

...व्यवधान...

श्री कुलदीप कुमार: बाद में करेक्शन करना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध करने का काम किया, सारे हिंदू संगठनों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया और बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड भी लागू कराने के लिए महिलाओं के अधिकार के लिए ..

....व्यवधान....

श्री कुलदीप कुमार: अरे भाई मेरा टाइम क्यों खा रहे हो। अध्यक्ष जी गलत बात है देखो।

....व्यवधान....

श्री कुलदीप कुमार: अध्यक्ष जी

श्री विजेंद्र गुप्ता, **माननीय अध्यक्ष:** नहीं आप तथ्यों को तोड़-मरोड़कर मत पेश करो ना, आप अपनी बात कहो। लेकिन आप ऐसा कुछ मत बोलो जिसमें ओब्जैक्शन हो।

श्री कुलदीप कुमार: दूसरी बात।

....व्यवधान....

श्री कुलदीप कुमार: अरे भाई बैठ जाओ। तो अध्यक्ष जी मेरा कहना आज यही है कि वो संस्था, वो पार्टी जिसका इतिहास रहा है महिलाओं का विरोध करने का, 21 राज्यों में तुम्हारी सरकार है भई, 21 राज्यों में एक मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं बाकी 20 मुख्यमंत्री जो हैं वो भाजपा ने क्यों नहीं बनाने का काम किया। और दूसरी बात, आज उनको भी उन मुख्यमंत्री जी को भी आप हटाने में लगे हुए हो तो किस मुंह से आप लोग बात करने का काम करते हो। तो आपको देश को बताना पड़ेगा और देश ये और देश ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि जब आज की डेट में आप महिलाओं को कुछ दे सकते हो। अगर अपनी बहन को मैं आज कुछ दे सकता हूं तो उसको ये नहीं कहूंगा कि पहले मैं संपत्ति कमाऊंगा, संपत्ति लाऊंगा उसके बाद तुम्हें अधिकार दूंगा। अगर तुम्हारी नीयत है, सच्चे भाई हो, सच्चे पिता हो तो बेटियों को आज के आज अधिकार देने का काम कीजिए। 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का काम कीजिए लेकिन आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीयत में खोट है, नीयत में नहीं आप जिस विचारधारा को फॉलो करते हो, उस विचारधारा के अंदर खोट है। वो विचारधारा महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं देती है और मैं सवाल करूंगा, मैं पूछूंगा कि इस देश की जो संस्था बताते हैं आरएसएस सबसे बड़ी है, उसका प्रमुख कोई महिला क्यों नहीं बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती प्रमुख महिला बनना चाहिए।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब आप बैठ जाइए, हो गया।

श्री कुलदीप कुमार: क्यों नहीं बन सकती है अध्यक्ष जी एक मिनट।

....व्यवधान....

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइये, आप तथ्य।

श्री कुलदीप कुमार: अध्यक्ष जी, यह गलत बात है। अध्यक्ष जी, एक मिनट दीजिए मुझे बस। अरे बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, बात करते हैं फिर ये बात। ये किस मुंह से बात करते हैं। अरे भाई बैठिए इस जगह इस सदन के अंदर ये परिवारवाद की बात करते हैं। XXXXXXX[2]

[2] चिन्हित अंश माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब आप बैठ जाइए।

श्री कुलदीप कुमार: XXXXXXX1

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइए अब आप। हो गया आपका। आपके आपके सारे तथ्य। बैठ जाइए।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइए, हो गया। चलिए अब माननीय सदस्य श्री गजेंद्र यादव जी। ये क्या बोल रहे हैं इनको कुछ पता ही नहीं है। महिला बिल पर बात हो रही है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए।

श्री गजेन्द्र सिंह यादव: माननीय अध्यक्ष जी:

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अरे आप कम से कम तथ्यों को तो मत घुमाइए ना। मैं कार्यवाही में से निकालता रहूं सब लाइनें। बस यही करता रहूं। बैठ जाइए आप। शुरू करिए।

श्री गजेन्द्र सिंह यादव: आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह है।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइए, बैठ जाइए, चलिए गजेंद्र जी शुरू करिए।

श्री गजेन्द्र सिंह यादव: कि जब देश की महिलाओं को उनके अधिकार की बात आई तब कुछ राजनीतिक दलों ने इसे समर्थन देने की बजाय, इसे समर्थन देने की बजाय अपने सीमित राजनीतिक हितों के चश्मे से देखा।

....व्यवधान....

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अरे भाई ये देखिए ये objectionable बातें बोल रहे हैं जो सिर्फ बेसिर पैर की हैं, जिनका कोई तथ्य नहीं। अब ये गुमराह कर सदन को गुमराह करेंगे। मैं कार्यवाही करूंगा अच्छा लगेगा,

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: चलिए।

श्री गजेन्द्र सिंह यादव: आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण यह है।

(विपक्ष द्वारा सदन से वॉकआउट किया गया)

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बहुत ही एक मिनट बैठिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष बहुत गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के दौरान तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना, गुमराह करना। सदन में डेढ़ घंटा देर से आए और अब जो है बिना किसी कारण के चले गए। उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन को भी जाना पड़ा। वह भी इस पर वक्तव्य नहीं दे पाएंगी। तो मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस बार विपक्ष जो है वह बहुत गैर जिम्मेदार है।

श्री अजय महावर: अध्यक्ष जी एक बात कहना चाहता हूं मैं। एक लाइन खाली, एक लाइन, एक लाइन कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि आज अभी जो यह लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं, यह बताएंगे विपक्ष वाले की 15 साल हो गए इनकी पार्टी बने हुए हैं।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: नहीं वो छोड़िए अजय जी।

श्री अजय महावर: राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल कुर्सी पर जमे बैठे हैं। क्या हिम्मत है किसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें ये।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बैठिए, इसमें एक बात और स्पष्ट कर दूं, अभी जो इनका वॉकआउट है, उसके पीछे नाटक इसलिए है यह कि इन्होंने मुझे 6 या 7 नाम दिए थे। सबको मैंने बुलवा दिया। अब जब आखिरी वक्ता बोल लिया तो इन्होंने कहा अब बैठ कर क्या करेंगे तो इसलिए इनका व्यवहार में पूरी तरह इनका ना महिलाओं के आरक्षण से कोई संबंध है, ना महिलाओं को मिलने वाले अधिकार से इनका कोई संबंध है। इनको सिर्फ यहां पर कोरी राजनीति करनी थी वो करके चले गए हैं। चलिए, अब आप शुरू करिए।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, पिछली बार भी आपने देखा क्या रवैया किया इन्होंने। चार दिन में ना विपक्ष की लीडर आई, एक दिन नहीं आई और बाकी लोग भी जब मर्जी निकल जाते हैं। आज भी डेढ़ घंटा लेट आए। आपने सातों को बुलाने का मौका दिया तब भी। अब सबसे

बड़ी बात इन्होंने जो बातें कही साहिब सिंह वर्मा जी हमारे पूजनीय पिताजी थे। ये बातें कहने वाली हैं कपिल मिश्रा जी की माताजी।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: छोड़िए ना अब ये विषय है ही नहीं। बात विषय नहीं है।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, आप उनको निकालो बातों को बीच में से। आप निकालो बीच में से बातें।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: वो तो वो तो कार्यवाही में है ही नहीं मैंने पहले ही रोक दिया था।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी कार्यवाही में हैं ना। उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: देखिए, वो क्या बोल रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं वो कोई उसका सिर पैर नहीं था उसको निकाल दीजिए कार्यवाही से। आखिर में जो ये बोल रहे थे, कोई सिर पैर नहीं था बात का कोई रेलेवेंस नहीं था।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: निकालो अध्यक्ष जी निकालो।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: ठीक है, निकाल दिया। अब अगले वक्ता श्री गजेंद्र यादव जी।

श्री गजेन्द्र सिंह यादव: आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष का व्यवहार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे सदन ने देखा है। बजट सेशन में भी उनका नहीं आना और आज भी इतने महत्वपूर्ण बिल पर जब निंदा प्रस्ताव आ रहा है तो वे अपनी बात रखने के लिए सही समय पर आ सकते थे लेकिन देर से आना और जल्दी चले जाना यह उनकी नीयत को दर्शाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ चुनिंदा राजनीतिक दलों ने अपने हितों के कारण संसद में बिल का विरोध किया और न केवल विरोध किया जब बिल गिर गया तो बहुत ही खराब तरीके से उनके लीडर वहां पर बिल के गिरने पर खुशी मना रहे थे और हंस भी रहे थे, बधाईयां दे रहे थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि इंडी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, कांग्रेस का महिला सशक्तिकरण केवल और केवल सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तक रह जाता है। समाजवादी पार्टी में महिला सशक्तिकरण केवल और केवल डिंपल यादव तक रह जाता है। टीएमसी में केवल ममता बनर्जी तक रह जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कल्पना सोरेन और दिल्ली की आम आदमी पार्टी में सुनीता केजरीवाल

तक रह जाता है। मैं कुछ डेट बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी आपके सामने। यह तो हमारी जो नेता विपक्ष हैं वह किस्मत की धनी हैं बाल-बाल बच गई इसलिए यहां नेता विपक्ष बन के बैठी हैं नहीं तो मैं डेट बता रहा हूं 23 मार्च, 2024, 27 मार्च, 2024, 29 मार्च, 2024, 4 अप्रैल और 26 जून ये सारी डेट वो है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, भ्रष्टाचार में जेल में थे और वे अपने घर की जो उनकी पत्नी थी उनका सशक्तिकरण करने के लिए मीडिया के सामने पीछे शहीद ए आजम भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के बीच में मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर बिठाकर महिला सशक्तिकरण किसी और का, दिल्ली की महिला का नहीं कर रहे थे वो केवल और केवल अपनी पत्नी का सशक्तिकरण कर रहे थे। इन पार्टियों की नीयत खराब है। ये पार्टियां केवल और केवल महिला सशक्तिकरण का नाम वो केवल अपने परिवार तक सीमित रखना चाहते हैं। मैं कुछ नाम और यहां पर बताना चाहता हूं। नैना साहनी, जेसिका लाल और स्वाति मालीवाल ये तीनों वो बहनें हैं हमारी। एक को कांग्रेस के नेता ने तंदूर में जला दिया, एक को समाजवादी पार्टी के नेता ने गोली मार दी मेरे महरौली क्षेत्र में और स्वाति मालीवाल को तो शर्म की बात है कि उन्हीं के मुख्यमंत्री ने अपने शीशमहल में बुलाकर उनकी पिटाई करी जिसका बखान कपिल मिश्रा जी ने भी किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, तीन नाम मैं और बताना चाहता हूं जिनके पीछे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की योजना दिखाई पड़ती है। भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रोपदी मुर्मु जी, उड़ीसा के सुदूर आदिवासी क्षेत्र से और देश की राष्ट्रपति बनना और उसमें सहयोग करना, बिना सहयोग के कौन कैसे बन पाता। यह योजना थी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का नाम आज देश की एक-एक बच्ची जानती है और साथ ही साथ कर्नल सोफिया कुरैशी। कर्नल सोफिया कुरैशी का जब नाम आता है तो गुजरात और मध्य प्रदेश की बच्चियां समझती हैं कि आज नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में सरकार चल रही है उसके कारण से यह गुजरात और मध्य प्रदेश की हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी वे ऑपरेशन सिंदूर में आगे आई और विपक्ष के लोग कह रहे थे कि केवल एक दिल्ली की मुख्यमंत्री ही महिला क्यों है। वो television पे जरूर इस बात को सुन रहे होंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया, सुषमा स्वराज जी, उमा भारती जी और आनंदी बेन पटेल जी इस भारत देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा महिला मुख्यमंत्री किसी ने भी दी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। इस भारत देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा सांसद, महिला सांसद किसी के भी हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। महिला विधायक किसी के भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं।

महिला मेयर किसी भी पार्टी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और तो और ग्राम प्रधान भी अगर महिला किसी भी पार्टी की सबसे ज्यादा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, शिक्षा का सुरक्षा का अधिकार, उज्ज्वला योजना ने करोड़ों माताओं को सम्मानजनक जीवन दिया। जन-धन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया। स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं की गरिमा को सुनिश्चित किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं केवल अंत में यही कहना चाहूंगा कि नारी केवल voter नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की सशक्त भागीदार है और मैं तो अंत में एक सुझाव देना चाहता हूं आपको, आज की इस पूरी कार्यवाही में विपक्ष का जो चेहरा है, अगर सिर्फ उसी की recording को दिल्ली के अंदर चला दिया जाएगा तो दिल्ली की और देश की एक-एक महिला समझ जाएगी कि इनके मन में कितना जहर है महिला सशक्तिकरण के लिए। मेरी बात पूरी हुई। आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सूर्य प्रकाश जी।

श्री सूर्य प्रकाश खत्री: धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले मैं अपनी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पर जोकि अपने आप में बहुत अहम मुद्दा है और वह ऐसा मुद्दा है कि महिला सशक्तिकरण का, ‘‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’-2023’ का और यह एक मुद्दा जिस मां की कोख से हम सब लोगों ने जन्म लिया, जिस बहन के हम भाई कहलाए, जिस परिवार में हमारी पत्नियों ने हमारे बच्चों को जन्म दिया, उस नारी शक्ति का सवाल है। जहां से मैं समझता हूं कि चाहे Parliament बने, चाहे विधानसभा बने, चाहे Corporation बने, उस नारी शक्ति के बगैर नहीं बन सकती। अध्यक्ष जी, 17 अप्रैल, 2026 में जब यह Bill Parliament के अंदर गिरा तो यह एक पूरे भारत के लिए एक शर्मनाक घटना का दिन था, काला दिन था और आज हम देख रहे हैं कि विपक्ष का जिस तरीके से सदन से गायब होना और जबकि विपक्ष की नेता स्वयं एक महिला है, वह अपने साथियों के साथ आज इस सदन से नदारद हो गई और यह उसकी पिछली परिपाटी भी ऐसी रही है, इससे पता लगता है कि विपक्ष इस मुकदमे में इस चीज के लिए कितना अपने अंदर संवेदनशीलता रखता है। अध्यक्ष जी इस सदन में एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए खड़ा हूं जो केवल एक नीति का प्रश्न नहीं है। वह भारत के लोकतंत्र की आत्मा, उसकी विश्वसनीयता उसकी नीयत का सवाल है। यह विषय 33 percent महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदना अधिनियम-2023 का है, जिसको प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने की सरकार ने संसद में रखा तो विपक्ष का असली चेहरा सामने आ गया जो

कि एक महिला विरोधी के रूप में भारत के अंदर और पूरे संसार में वो चेहरा अपने आप में बेनकाब हो गया। मैं स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूं यह बहस महिलाओं को अवसर देने का नहीं था, ना कि यह बहस इस बात का कि वास्तव में हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं यह सवाल इस बात का था यह केवल उसके नाम पर राजनीति करते हैं। अध्यक्ष जी, भारत का लोकतंत्र आधा-अधूरा सच है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम बार-बार यह कहते हैं लेकिन यह क्या पूरा सच है? यह सच इसलिए नहीं है कि भारत के अंदर लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की पार्टियां विश्वास नहीं रखती हैं। सच्चाई यह है इस लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बेसीमित है। आज भी लोकसभा में महिलाओं की जिम्मेदारी 14 से 15 percent के आसपास है। इतिहास उठाकर देख लीजिएगा अध्यक्ष जी, 1952 में यह आंकड़ा 4.9 प्रतिशत था और 70 साल बाद भी हम 15 percent तक पहुंच पाए हैं मात्र 15 percent तक। मैं इस सदन से पूछना चाहता हूं क्या 75 साल में 10 percent की बढ़ोतरी को हम प्रगति कहते हैं, अगर यही रफ्तार रही तो महिलाओं की बराबरी महिलाओं को बराबरी तक पहुंचाने में अध्यक्ष जी 100 साल लग जाएंगे 100 साल। मैं आज विपक्ष से एक सवाल पूछता हूं आप कहते हैं कि हम जुमले छोड़ते हैं हम क्योंकि इस मुद्दे को तब लेकर आए जब पांच राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे थे और 2023 में 2024 में भी यह पास हो सकता था, तब विपक्ष कहता है हम तैयार थे लेकिन सत्ता पक्ष ने, कि नीयत ठीक नहीं थी। मैं कहता हूं कि आज अगर हम 2026 में इसको पास कर रहे हैं तो यह मैं पूछना चाहता हूं कि विपक्ष के हाथ किसने बांधे हुए थे, विपक्ष के मुंह में किसने दही जमाई हुई थी तो वह आज पूरा कर देते अगर वह भी पूरा कर देते तो क्या उस मत को पूरा भारत और पूरा विश्व देख रहा था तो उनको इसकी advantage लेने से कौन रोक सकता था, चुनाव में वो भी थे, चुनाव में हम भी थे। चुनाव में वो भी कहते हैं कि हमने इसको समर्थन दिया और उसको पास किया है लेकिन क्योंकि यह मुद्दा हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए किया था, महिलाओं की मजबूती के लिए किया था। इसका advantage हमारे प्रधानमंत्री जी और भारतीय सरकार को न मिल जाए। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि हर सही काम का हर भारत की उन्नति को का विरोध करना और उसको रोकना। अध्यक्ष जी, जमीनी हकीकत यह है पंचायत बनाम संसद। जब, मैं अब आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं जो इस मुद्दे का सबसे बड़ा सबूत है। जब 1992 में 73 संविधान संशोधन हुआ तो पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। आज भारत में लगभग 31 लाख जनप्रतिनिधियों में से 46% महिलाएं

हैं। यानि करीब 14 लाख साढ़े 14 लाख महिला प्रतिनिधि। 21 राज्यों में 50 percent तक percent तक आरक्षण लागू है। यह दुनिया का सबसे बड़ा महिला राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल है। अब सवाल यह है गांव में महिलाएं 46 percent है लेकिन संसद में 15 percent है। पंचायत में महिलाएं सफल हैं तो विधानसभा में क्यों सफल नहीं हो सकती? पंचायत में जब वह सफल हो सकती है तो संसद में वो क्यों नहीं सफल हो सकती? इसका सीधा जवाब है समस्या महिलाओं में नहीं है, system में है, विपक्ष की party की सोच में है। अगर मौका मिले तो यह महिलाएं बेहतर शासन करती हैं। कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय अध्ययनों से यह साबित किया गया है। महिला नेतृत्व बेहतर निर्णय लेते हैं। अध्यक्ष जी, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल द्वारा 2010 में किए गए एक शोध से पता चला और इसको अर्थशास्त्र की नोबेल पुरस्कार विजेता इस्टर यूफोलो ने भी शोध में यह पाया कि महिला नेतृत्व वाले क्षेत्रों में पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जैसे मुद्दे पर अधिक निवेश हुआ है। (समय की घंटी) आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया में औसतन महिलाओं की राजनीति भागीदारी 26 से 27 percent है बाकी देशों में लेकिन भारत में हम 15 percent के आसपास अटके हुए हैं। कई देश हमसे आगे निकल चुके हैं। रवांडा में 60 percent महिलाएं हैं संसद में, स्वीडन में संतुलित प्रतिनिधित्व है क्या भारत पीछे रहना चाहता है, योग्यता बनाम आरक्षण सबसे बड़ा भ्रम है। अब मैं उस तर्क पर आता हूं जो बार-बार दिया जाता है कि आरक्षण से योग्यता खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं क्या आज राजनीति में केवल योग्यता ही चलती है? क्या वंशवाद, पैसा, जाति और शक्ति का ही कोई role नहीं है? अगर यह योग्यता है तो महिलाओं को मौका देने से डर क्यों? सच्चाई यह है आरक्षण योग्यता को खत्म नहीं करता बल्कि छिपी हुई योग्यता को सामने लाता है। एक और तर्क दिया जाता है महिला proxy बनेगी। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं यह तर्क महिलाओं का अपमान है। मैं मान लेता हूं महिला खुद निर्णय नहीं ले सकती हमारी मानसिकता की कमजोरी है और अगर पंचायत में लाखों महिलाएं स्वतंत्र रूप से शासन कर सकती हैं तो विधानसभा में क्यों नहीं कर सकती। अध्यक्ष जी, महिला आरक्षण केवल अधिकार नहीं, आवश्यकता है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री सूर्य प्रकाश खत्री: अध्यक्ष जी, एक minute और लूंगा, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है अध्यक्ष जी, जिसमें पूरे भारत की 50 percent आबादी इससे प्रभावित है। मैं समझता हूं कि इसके लिए अगर हमें और भी दो घंटे बोलना पड़ जाए तो इसमें हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि

यह मौका बार-बार नहीं आता। यह भारत की अपनी एक आत्मसम्मान की भी बात है। मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें time को लेकर कोई कंजूसी करनी चाहिए। अध्यक्ष जी, महिला आरक्षण केवल समानता का मुद्दा नहीं है, यह विकास का मुद्दा है। क्योंकि जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में आती हैं, शिक्षाएं बेहतर होती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होती हैं, भ्रष्टाचार कम होता है, सामाजिक न्याय बढ़ता है। लोकतंत्र का असली अर्थ लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव नहीं है अध्यक्ष जी। लोकतंत्र का मतलब है हर वर्ग की भागीदारी, हर आवाज का प्रतिनिधित्व, हर नागरिक का सम्मान। जब महिलाओं को बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो लोकतंत्र अधूरा रह जाता है। अध्यक्ष जी, अंतिम माननीय अब समय आ गया है हम निर्णय लें। क्या महिलाएं केवल vote bank बनेंगी या उनको निर्णय लेने वाला भी बनाएंगे? क्या हम नारे देंगे या अधिकार देंगे? मैं इस सदन में स्पष्ट कहना चाहता हूं महिला आरक्षण कोई उपकार नहीं है, यह उनका अधिकार है। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह संवैधानिक न्याय का प्रश्न है। अन्यथा यह इतिहास लिखेगा। भारत ने महिलाओं को सम्मान देने की बात तो की, लेकिन अधिकार देने में देर कर दी। अध्यक्ष जी, मैं इसी बात के साथ ही मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और हम सब मिलकर केवल बातें ना करें, इतिहास रचें। 33 percent महिला आरक्षण लागू हो उसके लिए मैं आज यहां पर सदन में अध्यक्ष जी, आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको हमें तुरंत लागू करना चाहिए और यह जो निंदा प्रस्ताव है इसका मैं समर्थन करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी को पुनः इस बात का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक दिन का समय इस निंदा प्रस्ताव को रखने के लिए हम सबको मौका दिया, जय हिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अशोक गोयल जी।

श्री अशोक गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प 'नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम' पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। ये पवित्र सदन आज कांग्रेस पार्टी, आपदा पार्टी और इंडी गठबंधन द्वारा देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाओं के साथ किए हुए धोखे, उनके साथ किए हुए प्रपंच और उनके अधिकारों पर की गई डकैती पर चर्चा कर रहा है। इंडी गठबंधन ने संसद के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने जो प्रस्ताव रखा, उसको गिराकर 70 करोड़ महिलाओं की उड़ान को रोक दिया। इस प्रस्ताव को गिराकर इंडी गठबंधन ने 70 करोड़ महिलाओं के सपनों को कुचल दिया। इस प्रस्ताव को गिराकर इस इंडी गठबंधन ने

जिस तरह से एक कन्या की भ्रूण में हत्या की जाती है, उसी तरह से इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम की भ्रूण हत्या कर दी और यह भ्रूण हत्या करने का उन्होंने महापाप किया है, जिसको यह प्रस्ताव गिराकर उन्होंने नारी शक्ति के आत्मसम्मान और आत्म स्वाभिमान पर चोट की है। ये गिराकर उन्होंने और जिस तरह से सदन में प्रस्ताव गिरा, उसके बाद उन्होंने जो तालियां बजाई, मेजें थपथपाई और जिस तरह से अट्टाहास लगाया, यह उनके दानवीय व्यवहार को दर्शाता है। यह संशोधन माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ एक विधेयक नहीं था, बल्कि देश की माताओं और बहनों के सम्मान, उनके अधिकार और उनके उज्ज्वल भविष्य का सपना था, जिसे इस इंडी गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने, आपदा पार्टी ने, टीएमसी ने इन्होंने मिलकर तोड़ दिया। मैं देश की माताओं और बहनों को यह बताना चाहता हूं क्योंकि हमारी बहनें अपमान को भूलती नहीं है। इन खाली सीटों को देख लीजिए। यह विपक्षी लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, आपदा पार्टी के लोग, टीएमसी के लोग जब भी आपको मिले, इनकी party के लोग मिले। तो इनसे पूछना जरूर है कि यह घटिया कृत्य आपने क्यों किया? क्योंकि यह जो विधेयक है, यह किसी के अधिकार छीनने का विधेयक नहीं था। यह महिलाओं को उनके अधिकार देने का विधेयक था। हर राज्य की, हर वर्ग की महिलाओं को समान अवसर देने का अवसर वह था विधेयक। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर हमारी विपक्ष की पार्टियों ने टेक्निकल कि ये उत्तर और दक्षिण का डिवाइड हो जाएगा, दक्षिण के अधिकार कम हो जाएंगे जबकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने सदन के अंदर बताया कि कोई अधिकार कम नहीं होंगे, कोई सीट कम नहीं होगी। सबकी सीटें बराबर बढ़ेगी। उसके बावजूद भी इन्होंने छल किया और हर राज्य में सीट बढ़नी थी। दिल्ली के अंदर भी 70 विधानसभा की सीट थी, 105 होनी थी यानि कि 105 विधायक बनते। दिल्ली के अंदर सात सांसद थे, जिससे कि 11 सीटें होनी थी, 11 सांसद बनते यानि कि ज्यादा लोग इस विधानसभा में और लोकसभा में पहुंचते। दिल्ली के लोगों के साथ इस आपदा पार्टी ने धोखा किया है। इसी तरह से हर राज्य में चाहे वह टीएमसी हो, सपा हो, डीएमके हो, इन्होंने अपने अपने राज्यों के लोगों के साथ धोखा करने का काम माननीय अध्यक्ष जी किया है। कांग्रेस पार्टी ने और इंडी गठबंधन ने 1990 से लेकर लगातार बहाने बनाकर इस महिला आरक्षण बिल को लगातार लटकाया है। माननीय अध्यक्ष जी आज देश की जनता इनकी नीयत और नीति दोनों को समझ चुकी है। जब भी देश हित को लेकर कोई भी बिल आया है, कोई भी जनहित को लेकर कोई भी बिल सामने आया है, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों ने इसका विरोध किया है। जीएसटी का विरोध

किया, डिजिटल पेमेंट का विरोध किया। जैम यानी कि जनधन आधार और मोबाइल जब इनको लिंक किया गया, इसका भी विरोध किया। धारा 370 का भी विरोध किया, राम मंदिर का भी विरोध किया। महिलाओं के सम्मान का बिल जो था, तीन तलाक का भी बिल किया। सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण देने के बिल का भी विरोध किया। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का भी विरोध किया और अभी ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन का भी माननीय अध्यक्ष जी विरोध कर रहे हैं। वोटर के शुद्धिकरण एसआईआर का भी विरोध कर रहे हैं। घुसपैठियों को इस देश से बाहर निकालने का उसका भी विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के ऊपर जो रिफॉर्म है, उसके ऊपर भी विरोध कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी विरोध कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों ने हर वक्त जब भी कोई जनहित का काम होता है, उसका विरोध करना होता है। महिला शक्ति वंदन अधिनियम समय की मांग है अध्यक्ष जी, इसे लागू करना ही होगा। हम नारी शक्ति के इनके अधिकार दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। हमारे हौसले बुलंद हैं, हिम्मत अटूट है, इरादा अडिग है। ये कांग्रेस के लोग, आपदा पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, डीएमके पार्टी के लोग और इंडी गठबंधन के लोग इसे रोक नहीं पाएंगे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं जो केवल एक विधायी प्रक्रिया का मुद्दा नहीं बल्कि देश की आधी आबादी के सम्मान, अधिकार और प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लोकसभा के विशेष सत्र में 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 महिला आरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहल पर व्यापक चर्चा हुई थी। देशभर में अपेक्षाएं जगी और एक सकारात्मक परिणाम की आशा की जा रही थी। लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी विस्तृत चर्चा और जन भावनाओं के बावजूद यह विधेयक पारित नहीं हो सका। लोकसभा में जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो ब्यौरा दिया गया था। 16 और 17 अप्रैल, 2026 को चर्चा हुई थी। चर्चा 21 घंटे और 27 मिनट तक चली। तीनों विधेयकों पर चर्चा में 131 सदस्यों ने लोकसभा में भाग लिया था। उन्होंने आगे कहा कि संविधान संशोधन विधेयक जो है, दुर्भाग्य है कि इतनी चर्चा के बाद भी पारित नहीं होने दिया गया। यह एक ऐसा अवसर था जब इतिहास रचा जा सकता था। जब भारत की लोकतांत्रिक

व्यवस्था को और अधिक समावेशी बनाया जा सकता था। यह वह क्षण था जब हम एक निर्णायक कदम उठाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और समानता पर आधारित राजनीतिक ढांचा सुनिश्चित कर सकते थे। लेकिन यह अवसर हमारे हाथ से निकल गया जो निश्चित रूप से चिंतन और आत्ममंथन का विषय है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह संभव था, लेकिन नहीं हो पाया। इसके पीछे जो भी कारण रहे हों, वो देश की उन करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं को ठेस पहुंचाने वाली हैं जो लंबे समय से अपने उचित प्रतिनिधित्व की प्रतीक्षा कर रही हैं। यह केवल एक विधेयक का मुद्दा नहीं बल्कि विश्वास, समानता और न्याय का प्रश्न है। हालांकि, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसे इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि यह प्रयास समाप्त हो गया है। यह मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। यह केवल टला है। इसमें देरी हुई है। इतिहास गवाह है कि सामाजिक न्याय से जुड़े बड़े निर्णयों में कभी कभी समय लगता है। लेकिन जन समर्थन और सतत प्रयास अंततः परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री जी ने जो सदन में जो जब बिल प्रस्तुत हुआ उसके बाद जब देश को संबोधित किया राष्ट्र को तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। इस अवसर पर देश के गृहमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं को सबल बनाने और विधायी संस्थाओं में उन्हें हिस्सेदारी देने के लिए हमें चाहे किसी भी विरोध का सामना क्यों ना करना पड़े, हम संघर्ष करते रहेंगे। तो आज की जो चर्चा है सदन में, जिसमें सभी सदस्यों ने भरपूर हिस्सा लिया है। अब माननीया मुख्यमंत्री चर्चा का उत्तर देंगी और उत्तर देने के बाद संकल्प को पारित करने के लिए इसकी विषय वस्तु सदन के सामने प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं दिल्ली सरकार के हमारे सभी विधायक गणों का जिन्होंने इस चर्चा में सहभागिता की और पूरा-पूरा अपना समर्थन दिया। इस बिल को अपनी ओर से ये बताकर कि ये कितना जरूरी एक कदम था, अपना समर्थन देते हुए आपने जितने शब्द कहे मैं देश की आधी आबादी की ओर से आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं और सच में हमें दु:ख है इस बात का कि ये जो 16, 17 और 18 अप्रैल हमारे लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में कहीं ना कहीं जुड़ गया है। वो तीन दिन जब पूरे के पूरे देश की हर महिला लोकसभा की ओर देख रही थी कि 78 साल का इंतजार शायद अब खत्म होने वाला है। वर्षों से देश की महिलाएं यह इंतजार कर रही थीं कि

हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा विधानसभाओं में, लोकसभाओं में और वहां पहुंच कर के हम भी देश की नीति निर्माण का हिस्सा बन पाएंगे। पर अफसोस कि वो 16 और 17 को जितनी चर्चाएं लोकसभा में हुई वो बहुत ही निराशा देने वाली थी। क्यों जरूरत पड़ी इस महिला आरक्षण की, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे समाज के आगे बार-बार आता है। हमारे भारत देश में महिला और पुरुष की परिस्थितियां दोनों बहुत अलग-अलग हैं। दोनों अलग-अलग सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बड़े होते हैं। एक महिला समाज की अपेक्षाओं को अपने ऊपर रखकर के जब चलती है तो वो उस स्पीड में उस गति में आगे नहीं बढ़ पाती जिससे कि एक पुरुष आगे बढ़ पाता है। वो आज घर से बाहर निकलती है तो उसको सैकड़ों सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। एक महिला जब आगे बढ़ना चाहती है तो अनेकों इजाजत उसको लेनी पड़ती है। पुरुष को नहीं लेनी पड़ती। पुरुष को ना कोई इजाजत लेनी है, ना कोई प्रतिबद्धता है और ना ही कोई अवहेलना का सामना करना पड़ता। महिला को हर तरीके की अवहेलनाओं से डर करके अपने आप को आगे देखना पड़ता है और ऐसे में जब संविधान हमें जमीन देता है, पार्टी हमें मौका देती है और जनता अपना आशीर्वाद देती है तब जाकर के कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनता है, तब जाकर के कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनता है। मैं अपनी बात कहती हूं। संगठन में पार्टी ने हमें मौका दिया। संविधान ने निगम में जो रिजर्वेशन की जमीन दी, जनता ने आशीर्वाद दिया। तब जनसेवा की इस दहलीज पे मेरे जैसी दिल्ली की एक साधारण परिवार की बेटी ने कदम रखा और यहां इस पॉलिटिकल फील्ड में मैं आ पाई और 30 साल के अपने संघर्ष को चलते हुए मैंने दिल्ली शहर में अपनी सेवा दी और एक असंभव सा दिखने वाला एक दुर्गम सा दिखने वाला ये रास्ता ये मैंने तय किया। इसमें हमारे नेतृत्व का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें मिला। पर हर पार्टी में ऐसे नेता नहीं होते। इतने बड़े दिल के लोग नहीं होते कि एक बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की एक साधारण महिला को मुख्यमंत्री के दायित्व से नवाज सकें। नहीं होते अध्यक्ष जी, नहीं होते और पूरे देश में लगभग 15 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो पंचायत स्तर पर निगम के स्तर पर चुनकर के आती हैं। पर विधानसभा जाते-जाते विधानसभा तक पहुंचते-पहुंचते मैं आपको बताना चाहूंगी कि 4600 सदस्य पूरे देश में विधानसभा सदस्य हैं, पर उसमें से मात्र 10% महिलाएं ही विधानसभा तक पहुंच पाती हैं और इसी तरह लोकसभा तक पहुंचते-पहुंचते वो संख्या इसी तरह कम रहती है। 13 से 14% आज की वर्तमान की लोकसभा में राज्यसभा में भी इतनी महिलाएं हैं। क्या तकलीफ रहती है, क्या परेशानी होती है, क्या विपत्तियां हैं, क्या आपत्तियां हैं कि ये महिलाएं विधानसभा

और लोकसभा तक नहीं पहुंच पाती, ये एक बड़ा प्रश्न है कि क्यों महिलाओं को ये मौका नहीं मिलता है। देश आजाद हुआ, देश का संविधान बना और संविधान जब बना तो संविधान सभा की सदस्य 15 महिलाएं भी थीं। सरोजिनी नायडू जी थी, विजयलक्ष्मी पंडित जी थी, सुचेता कृपलानी जी भी थी। जब संविधान लिखा गया तो समानता का अधिकार दे दिया, वोट का अधिकार दे दिया, चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया, उन्हें लगा कि बस इतने से आजाद भारत में महिलाएं तरक्की कर जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी। पर उन्हें नहीं मालूम था कि आजाद भारत के ये राजनैतिक दल महिलाओं को कभी आगे आने ही नहीं देंगे, कभी नहीं आगे आने देंगे और इसीलिए ये शायद उस संविधान सभा को पता होता तो वो जिस समय एसटी-एससी के आरक्षण रख रहे थे तो महिलाओं के लिए भी आरक्षण रख सकते थे, पर उन्हें उम्मीद थी कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं में महिलाएं आगे बढ़ते हुए अपना स्थान बना लेंगी पर केवल समानता का अधिकार काफी नहीं था। वो समानता का अधिकार केवल काफी नहीं था। महिलाएं आज भी उस हकीकत का सामना कर रही हैं जिसमें उन्हें वो मौके नहीं दिए जाते। 27 साल के इतिहास में ये महिला आरक्षण बिल सात बार लोकसभा के पटल में रखा गया। सात बार एक बार, दो बार नहीं, सात बार। कभी इसे फाड़ा गया, कभी इसे जलाया गया और कभी इसका विरोध किया गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, टीएमसी सबने मिलकर इस बिल के रास्ते में कांटे बिछाए। पास नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने तय कर रखा था। किसी महिला को आगे नहीं आने देना है, नेतृत्व नहीं देना है। महिलाएं यदि नेतृत्व करेंगी साधारण परिवार की महिलाएं तो इनकी परिवारवादी राजनीति का क्या होगा, ये उनकी चिंता थी कि फिर हमारे परिवार की महिलाओं का क्या होगा और शायद ये भी कि हमारा क्या होगा अगर ये 33 परसेंट आकर के हमारे सामने खड़ी होंगी, तो हमारी सत्ता और हमारा सिंहासन हिल जाएगा। गांधी परिवार के लिए हमेशा उन्हीं के परिवार की महिलाएं सबने बताया, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा कौन? कोई नहीं। यह समाजवादी पार्टी डिंपल यादव सबने बताया, सबको पता है लालू यादव, राबड़ी जी, मीसा जी, इसके अलावा कौन? कोई नहीं है। एक किसी भी पार्टी की कोई भी महिला कार्यकर्ता उसको समझ में आता है कि भई हमारे लिए कोई स्थान हमारे नेतृत्व ने किया ही नहीं सिवाय भाजपा के। और इन महिलाओं को ना इतना अधिकार दिया गया कि वह आगे आएं, ना चुनाव लड़ने का उनको अधिकार है, ना निर्णयों में भागीदारी का अधिकार है। इस सदन के माध्यम से मैं देश की आधी आबादी उन महिलाओं से पूछना चाहती हूं कि ये हमारी ही किस्मत में क्यों

लिखा गया कि यह पुरुषवादी समाज में माफ कीजिएगा, अधिकतर भाई लोग बैठे हैं यहां। भ्रूण हत्या हमारी किस्मत में, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा एक एक कुरीति महिलाओं के ही पाले में डाल दी गई और संघर्ष करते करते इतने साल निकल गए। कभी नारा हमारे लिए बेटी बचाओ का तो वो दौर हमने गुजारा, बेटी पढ़ाओ में कितना संघर्ष हुआ, पर आज बेटी बढ़ाओ में भी ये लोग हमारा साथ नहीं दे रहे। बेटी बढ़ाओ, छोटी छोटी अपनी जरूरतों के लिए हमें क्यों उन राजनेताओं की ओर देखना पड़ता है? शौचालय के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए हम नजरें गड़ाए सदन की ओर देखते रहते हैं कि भई क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, पर यदि कोई एक व्यक्ति महिलाओं के हित में सोचने वाला, साहस के साथ उनके साथ खड़े रहने वाला मिला तो वह देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मानिए कि तब से ही इस देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ। देश की करोड़ों बेटियां मजबूर थीं, खुले में शौच जाने के लिए, मोदी जी आए तो उन्होंने हर गांव, हर घर शौचालय बनवाए। देश की महिलाएं चूल्हे के धुएं में अपने फेफड़े जला रही थी, आंखें जला रही थीं, मोदी जी आए तो उनको उज्ज्वला के कनेक्शन मिले। घर, हर नल, हर घर में नल से जल, पोषण, मुद्रा, जन धन ये सारी जितनी योजनाओं की चर्चा बार बार इस सदन में हुई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई। मोदी जी ने फिर एक बार हिम्मत करी, 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' 2023 लेके आए। सबको निवेदन करके सबसे बातचीत करते हुए उन्होंने इसे सदन पटल पर पास करवाया। हमें लगा कि हो गया, परंतु फिर ये ध्यान में आया कि जिस गति से या जो जितनी इसमें टेक्निकल फॉर्मेलिटीज हैं परिसीमन की, डीलिमिटेशन की और उसके बाद यह शायद 2034 तक भी महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना आसान नहीं दिख रहा है और इसीलिए मोदी जी ने एक अमेंडमेंट के साथ में फिर से इसको प्रस्तुत किया, कि बहनों को 2029 तक उस लोकसभा चुनाव में 33 परसेंट आरक्षण दे दिया जाए। इसके लिए कुछ संशोधन जरूरी हैं और उन्होंने वो संशोधन रखे। पर ये विपक्षी तो पहले से ही तय करके बैठे थे कि हम तो इसे पास होने ही नहीं देंगे और इसीलिए उन्होंने अनेक अनेक अडंगे लगाए। कभी कोटे में कोटा की बात उन्होंने की, कभी मुस्लिम महिलाओं की दुहाई दी, कभी 543 पे क्यों नहीं कराते हो, कभी कहते हैं डीलिमिटेशन क्यों नहीं कराते हो, जबकि पूरा एक एक प्रतिनिधि यह जानता है कि 2023 के बिल में साफ-साफ लिखा है कि डीलिमिटेशन होने के बाद ही आरक्षण दिया जाएगा। तो आज किस लिए ऑब्जेक्शन हो रहा है भई। आज किस बात पर

आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? वो तो पहले से ही तय था। आज तो केवल चर्चा यह हो रही थी कि 543 की जगह साढ़े 800 हो जाए तो बेहतर होगा और वह भी इसलिए माफ कीजिएगा, ये सारे हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। आप 543 में जब वोट देने की बात आएगी तो वो 87% पुरुष लोग हैं जिसको उस बिल पे वोट देना है और वो कोई भी पुरुष प्रतिनिधि कभी यह नहीं चाहता कि मेरा हक मार के मेरी सीट मार के मैं किसी महिला को दे दूं। कभी नहीं चाहता और इसीलिए भिन्न-भिन्न सिचुएशन के नाते यह फॉर्मूला लाया गया कि यदि सीटें बढ़ जाए तो महिलाओं को 33 परसेंट भी मिल जाएगा और किसी पुरुष प्रतिनिधि की भी सीट खाली नहीं होगी। इसमें क्षेत्रीय दलों को भी लाभ मिलेगा, इसमें साउथ के राज्यों की सीटें भी ऐसी की ऐसी रहेगी, महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, किसी के लिए भी कमी नहीं थी, पर इसमें दिक्कत इन विपक्षी दलों को क्या थी, यह आज तक हमारी समझ में नहीं आया, कि इन्हें क्या परेशानी थी। इनको सब कुछ दिखाई दिया, सबका हित दिखाई दिया, सिवाय उस महिला के हित के जो एक्चुअल में इनकी वोटर है, जो इनके लिए रोज दिन रात काम करती है, इनको जीताती है, सिंहासन पर बिठाती है, राजा बनाती है उसका ध्यान नहीं था। पर इन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं की बात करो। अरे भई मैं पूछना चाहती हूं आप इतने हितैषी थे मुस्लिम महिलाओं के तो वह शाहबानो का केस याद कीजिए जब उसको तलाक तलाक कहकर के उसके पति ने तलाक दे दिया और वह अपने भरण पोषण के लिए कोर्ट गई। कोर्ट ने उसके हित में निर्णय दिया तो क्यों राजीव गांधी की सरकार ने उस कानून को खिलाफ कानून बनाकर के मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय किया और उनके भरण पोषण का अधिकार खत्म कर दिया। यदि तुम मुस्लिम महिलाओं के इतने हितैषी थे तो जब मोदी जी ट्रिपल तलाक लेकर के आए तो आप उस ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए तुम्हें कभी, कभी इस बात का गम नहीं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ में क्या क्या अन्याय हो रहा था। आप बात करते हो ओबीसी महिलाओं की आपको कोटे में कोटा चाहिए परंतु इतने हितैषी यदि आप ओबीसी वर्ग के थे तो आपने जनरल चुनाव में उसके लिए कोटा क्यों नहीं रखा? ओबीसी के लिए आज आप महिलाओं के लिए कह रहे हैं केवल इसलिए कि 'ना नो मन तेल हो, ना राधा नाचे।' इनका यह हाल पूरा का पूरा देश देख रहा है कि बातों, बातों में, बातों में उलझाना है। कभी बात 543 की, कभी साढ़े आठ सौ की, क्षेत्रीय दलों की, साउथ के राज्यों की और इन सबके चलते हुए जब ये बिल गिर गया तो इन्होंने जो जश्न मनाया, पटाखे जलाए, कमाल की बात थी। लोकसभा में, राज्यसभा में इस बिल को

गिरते देख कर के हमने यह देखा कि इस बिल को गिराते गिराते यह नेता, यह पार्टियां खुद कितनी गिर गई। यह खुद कितनी गिर गई कि इन्होंने यह नहीं सोचा कि ये बोल क्या रहे हैं। समाज भूल नहीं सकता, महिलाएं भूल नहीं सकती, इन नेताओं ने जब जब महिलाओं का अपमान करने के लिए वो शब्द कहे हैं। कोई भूल सकता है कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था। महिला अपनी ही पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के लिए 100 टंच माल की बात कही। यह मुलायम सिंह यादव जब बलात्कार के मामलों पर बोल रहे थे तो कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। यह ऐसे नेता हैं, ऐसी सोच है वो आजम खान जिसकी बात पूरा देश की महिला कभी भूल नहीं सकती, जिसने अपने शब्दों से एक महिला नेता को निर्वस्त्र कर दिया। इतने गंदे शब्द उसने कहे कौन भूल सकता है। अधीर रंजन चौधरी को जिसने माननीय महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्र पत्नी कहा ये उनकी सोच जताती है। इन्होंने जब जब मौका मिला महिलाओं को अपमानित किया। संजय निरुपम कैसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे कि ठुमके लगाने वाली महिला हो तुम, एक नेता के लिए और पुरुष तो पुरुष महिलाएं भी, महिलाएं कम नहीं हैं इनकी, ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी से कहती हैं कि महिलाओं को रात को निकलने की जरूरत नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत तो भाव लगाती हैं महिलाओं के कि क्या भाव है बताइए, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं और वह जो प्रियंका गांधी है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अरे लड़ सकती हूं, तो जब लड़कियां, जब बेटियां लड़ रही थी तो तुम साथ छोड़ कर क्यों भाग गई? उसके बाद जश्न मना रही हो। मैं पूछना चाहती हूं बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है, जिनको आपने कहा कि यह बिल गिर गया और लोकतंत्र की जीत हो गई। और यह केजरीवाल साहब, पूरा का पूरा विपक्ष खाली है चले गए केजरीवाल साहब जिन्होंने अपने जेल जाने के बाद पूरी कोशिश की कि मेरी धर्मपत्नी डिफेक्टो मुख्यमंत्री बन जाए। समाज से रोष आया तो आतिशी बहन को बुलाना पड़ा, पर पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने उसको अपनी कुर्सी पे नहीं बैठने दिया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अलग है पर तुम अलग से कुर्सी लगा लो और अभी मैं मोबाइल देख रही थी। स्वाति मालीवाल जी ने इतना बड़ा एक ट्वीट लिखा है। अपने मन का दर्द कहा है जिसको यह बातें सुन नहीं सकते थे इसलिए यहां से यह उठकर चले गए। उस महिला ने जितनी मेहनत के साथ आम आदमी पार्टी का साथ दिया, यह सोचकर कि शायद यह लोग देश हित में कुछ करना चाहते हैं। उसके साथ जो बुरा व्यवहार किया, एकमात्र उनकी महिला सांसद उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया वह पूरी दुनिया ने देखा और आज भी आज भी जिस तरीके की नौटंकी इनकी चल रही है। कैसे आदमी है ये, जाकर के कह

रहे मैं सत्याग्रह करूंगा, सत्याग्रह जैसे एक ऐसे शब्द का जिसके कारण से हमें भारत को आजादी मिली उस शब्द का कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, मैं पेश नहीं होऊँगा, मैं सत्याग्रह करूंगा, आज महात्मा गांधी जी को कितनी पीड़ा हो रही होगी, सोचिए जरा, कि आज एक ऐसा व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति उनका नाम लेकर सत्याग्रह शब्द को बदनाम कर रहा है और, और वहां जाकर के बैठता है राजघाट पर जाकर पुष्प चढ़ाता है। ऐसी नौटंकी मुझे तो उनका इसमें भी महिला विरोधी चेहरा नजर आता है। जो बात हमारे एक साथी ने कही कि क्योंकि जज एक महिला है तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये महिला जज और उन्हें पता है कि वो ईमानदारी के साथ में निर्णय लेने वाली है और उन्हें इस बात का भी पता है कि इनका गुनाह अब एक्सपोज होकर रहेगा। इसलिए वो यह सब नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए वो यह सब नौटंकी कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए बढ़ाई जाती है।

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री: ये व्यक्ति कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मर्जी टाईप का, मेरी मर्जी, वो सुना है ना आप सबने गाना मैं मुजरिम हूं पर मैं कोर्ट न जाऊं, मेरी मर्जी, मैं घोटाला करूं, जनता का गुनहगार हूं पर मैं अपनी मर्जी का जज लगाऊं, मेरी मर्जी, ऐसा व्यक्ति जो खुद ही मुजरिम है, खुद ही गवाह है, खुद ही वकील है और खुद ही जज है। ऐसा तो इतिहास ने कभी देखा नहीं और ऐसे में यह पूरा का पूरा देश उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता है। न्याय उनकी मर्जी से नहीं होगा, न्याय तो न्यायपालिका ही करेगी और यह गुनहगार है, देश की भोली-भाली जनता को इन्होंने गुमराह किया और उस गुमराह करने के साथ साथ गुनाह किया और इसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। मैं बहुत संवेदनाएं रखती हूं आतिशी जी के साथ कि कैसे इस चोरों के झुंड में वो सर्वाइव कर रही हैं, कैसे उन लोगों के बीच में यह रह पा रही है, कैसे उनके साथ में होती होंगी, मुझे लगता है कि आज वह अपना यहां वक्तव्य नहीं दे पाई। इसके पीछे भी कोई ना कोई उनके साथ षड्यंत्र रचा गया है। आज इस सदन के माध्यम से देश की सभी महिलाओं की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इस साहस के साथ महिलाओं के साथ खड़े रहे और पूरी पुरजोर लड़ाई लड़ी कि महिलाओं को यह अधिकार मिले, 33 परसेंट रिजर्वेशन मिले और आजाद भारत में वह एकमात्र एग्जाम्पल हैं प्रधानमंत्री के जिन्होंने इतना खुल करके महिलाओं का साथ दिया और महिलाओं की लड़ाई लड़ी। और यह जो 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' है, यह सच में एक नए युग की शुरुआत है। यह कोई एक ऐसा सूरज भारत के लिए लेकर आने वाला है जहां महिलाएं जब विधानसभा और

लोकसभा तक पहुंचेंगी तो वह निर्णयों में भागीदार होंगी। लोकतंत्र में भारत के विकास के लिए, विकसित भारत के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के वह काम करने वाली है और इतनी बात जरूर मैं कहूंगी कि अब, ''अब याचना नहीं रण होगा और महा संग्राम भीषण होगा। अब याचना नहीं रण होगा। संग्राम महा भीषण होगा'', क्योंकि अब बहुत हो चुका। इतने सालों में महिलाओं ने यह देख लिया कि ये पोलीटिकल पार्टीज, ये राजनेता, ये जितना ढोंग कर सकते हैं, जितना षड्यंत्र कर सकते हैं, इन्होंने कर लिया और किसी भी हाल में ये महिलाओं को न्याय देने वाले नहीं हैं। और मैं भी आज देश की अपनी महिलाओं से एक कवि की कही हुई कुछ लाइनें कहना चाहती हूं।

''कि सुनो द्रौपदी, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे,
छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो,
खुद ही अपना चीर बचा लो, द्रुत बिछाए, द्रुत बिछाए बैठे शकुनि,
द्रुत बिछाए बैठे शकुनि, मस्तक सब बिक जाएंगे,
अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे।
कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम,
बिके हुए दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं,
वो क्या लाज बचाएंगे, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे।
तुम ही कहो, यह अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे,
तुम ही कहो, यह अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे,
सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे।''

तो महिलाएं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं। पूरे देश की महिलाएं एकजुट हैं और यह जो रण है, भीषण होने वाला है। हर एक दिशा से अब एक ही आवाज है कि यह 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' होना चाहिए और यह होकर रहेगा। जय हिंद, जय भारती।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री द्वारा नियम 90 के तहत प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता,

संकल्प स्वीकार हुआ।

माननीय सदस्यगण, सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने से पहले वर्तमान सत्र के संचालन में सहयोग देने के लिए मैं सदन की नेता एवं माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती आतिशी, सभी मंत्रीगण तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय तथा दिल्ली सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों और सुरक्षा एजेंसियों तथा मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हों।

राष्ट्रगान- जन गण मन

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब सदन की, बैठ जाइए एक बार सभी लोग, बैठ जाएं। अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गई।)

.....समाप्त.....